

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

कुलसचिव कार्यालय

कार्यसूची विवरण

प्रबंध मंडल
की
57वीं बैठक दिनांक 28 मई 2003
से
68वीं बैठक दिनांक 29 मई 2007 तक

अनुक्रमणिका

प्रबंध मंडल की बैठक संख्या	दिनांक	पृष्ठ संख्या (पृष्ठ के उपर की ओर अंकित)
57	28 मई 2003	01A-11A
58	24 मई 2004	01-09
59	26 जून 2004	10-89
60	25 सितंबर 2004	90-91
61	25 फरवरी 2005	92-114
62	31 मई 2005	115-120
63	22 अक्टूबर 2005	121-126
64	15 फरवरी 2006	127-141
65	06 जून 2006	142-148
66	08 दिसंबर 2006	149-153
67	24 अप्रैल 2007	154-161-A
68	29 मई 2007	162-163

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय: कोटा

प्रबंध मण्डल की 57 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परिशील-11

प्रबंध मण्डल की 57 वीं बैठक दिनांक 28 मई, 2003 को अपरान्ह 3 बजे क्षेत्रीय स्तर पर, जयपुर पर आयोजित की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे:

डॉ. आर.वी.व्यास कुलपति, वमखुविवि, कोटा	:	अध्यक्ष
प्रो. एस.सी.गर्ग समकुलपति, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली	:	सदस्य
श्री रामसूरत शैक्षिक सलाहकार, विनायक मिशन रिसर्च फाउन्डेशन, सेलम तमिलनाडू	:	सदस्य
प्रो. एल. एन. गुप्ता 80/8 पटेल मार्ग मानसरोवर, जयपुर	:	सदस्य
डॉ. के.एस.शर्मा विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर	:	सदस्य (प्रतिनिधि शासन सचिव, उच्च शिक्षा)
श्री एस. सी. देराश्री उपसचिव, वित्त राजस्थान सरकार जयपुर	:	सदस्य (प्रतिनिधि शासन सचिव, वित्त)
श्री अनाम जैतली आचार्य, राजनीति शास्त्र वमखुविवि, कोटा	:	सदस्य
डॉ. (श्रीमती) सुषमा सिंघवी निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुविवि, जयपुर	:	सदस्य
प्रो. एम.के.घडोलिया वित्त अधिकारी, वमखुविवि, कोटा	:	विशेष आमंत्रित
श्री एन.एल. चाण्डक कुलसचिव, वमखुविवि, कोटा	:	सचिव

11

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल एवं माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध मण्डल की 57 वीं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया तथा उनके द्वारा विश्वविद्यालय को निरंतर मार्गदर्शन दिये जाने की प्रशंसा की तथा यह अपेक्षा की कि भविष्य में भी उनका सकारात्मक मार्गदर्शन विश्वविद्यालय को प्राप्त होता रहेगा।

इस अवसर पर कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई, 2003 को विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के प्रथम सोलह वर्ष पूर्ण कर अपने सत्रहवें वर्ष में प्रवेश करेगा। किसी भी संस्था के प्रथम सोलह वर्ष उसके organic विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन वर्षों में जो आधार तैयार किया जाता है वही भविष्य की नींव के रूप में काम करता है किन्तु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के संदर्भ में, यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो, ऐसा प्रतीत होगा कि इसके विकास का इसकी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। जो कार्य प्रथम पाँच वर्षों में होने चाहिए थे उसे या तो किया ही नहीं गया या अब किया जा रहा है और जो विगत तीन-चार वर्षों में किये गये उन्हें आगे भविष्य में होना चाहिये था। इस प्रकार विश्वविद्यालय की प्रगति को conceptualize किया जाना एक कठिन कार्य है। विश्वविद्यालय पूर्व में अनेकों बार किसी न किसी प्रकार के संकट में फँसता आया किन्तु उल्लेखनीय बात यह भी है कि हर बार विश्वविद्यालय ने अपने को उस संकट से निकालकर आगे बढ़ने की क्षमता का परिचय भी दिया है। आजकल भी विश्वविद्यालय एक प्रकार के संकट से गुजर रहा है। प्रशासनिक ढाँचा पूर्णरूपेण रिक्त है फिर भी विश्वविद्यालय के कार्यों में निरन्तरता बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति निम्न प्रकार है:

1. निदेशक - तीन पद : रिक्त दो पद (एक पद गत छः वर्षों से एवं एक पद गत नौ वर्षों से)
2. कुलसचिव - एक पद : रिक्त गत चार वर्षों से
3. वित्त अधिकारी - एक पद : रिक्त 14.5.2003 से
4. परीक्षा नियंत्रक - एक पद : रिक्त गत छः वर्षों से
5. उपकुलसचिव - छः पद : रिक्त चार
- एक पद 1.8.99 से
- एक पद 1.6.2000 से
- एक पद गत छः वर्षों से
- एक पद गत डेढ़ वर्ष से
6. सहायक कुलसचिव- आठ पद : रिक्त दो पद (गत छः वर्षों से)

विश्वविद्यालय द्वारा नवनिर्मित Studio पिछले 4-5 वर्षों से योग्य कर्मचारियों के अभाव में Non-functional पड़ा है। शैक्षणिक कर्मचारियों के अनेक पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। हिन्दी हमारी मातृभाषा होते हुए भी हिन्दी विषय के प्राध्यापक का पद रिक्त है।

इस प्रकार विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी एवं शिक्षक बिल्कुल नगण्य स्थिति में है फिर भी विश्वविद्यालय का कार्य सुचारु रूप से चले इसके प्रयास किये जा रहे हैं। अशक्त प्रशासन की कष्टदायक स्थिति में किसी भी कुलपति के लिए कार्य सुचारु रूप से किया जाना संभव नहीं हो सकता। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यों को समय से संपादित करने के प्रयास जारी हैं। दिसम्बर, 2002 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आगामी परीक्षा यथावत् 15 जून से प्रारंभ हो रही हैं और जुलाई का प्रवेश विज्ञापन शीघ्र जारी होने जा रहा है।

कुलपति महोदय ने प्रबंध मण्डल को यह भी सूचित किया कि विगत सोलह वर्षों में विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति से करीब 1.50 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है। कुल मिलाकर अब तक प्रदेश में 49 अध्ययन केन्द्र खोल दिये गये हैं। सभी जिला मुख्यालयों को अध्ययन केन्द्रों से जोड़ दिया गया है और अब विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अपना Network विकसित करने की योजना बना रहा है। प्रायोगिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अध्ययन केन्द्र खोले गये थे किन्तु विद्यार्थियों की संख्या उत्साहवर्द्धक नहीं रही। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र दूरस्थ शिक्षा पद्धति से अपरिचित है। अतः विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति का भारी विज्ञापन कर ग्रामीण क्षेत्रों में जनचेतना जाग्रत करने का प्रयास कर रहा है जिससे अधिक से अधिक से व्यक्ति लाभान्वित हो सके।

कुलपति महोदय ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा मनोनीत नवीन सदस्य प्रो. एस.सी.गर्ग, का स्वागत किया एवं कहा कि प्रो. गर्ग शिक्षा से भौतिक शास्त्री होते हुए भी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विकास के लिए कृतसंकल्प हैं। उनके द्वारा अब तक दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में किये गये योगदान की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। कुलपति महोदय ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रो. गर्ग अपने innovative विचारों के साथ प्रबंध मण्डल के सदस्य के रूप में हमारी संस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभायेंगे। प्रो. गर्ग जैसे शिक्षाविद को प्रबंध मण्डल के सदस्य के रूप में मनोनीत करने पर कुलपति महोदय ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. एच.पी.दीक्षित के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

कुलपति महोदय ने प्रबंध मण्डल के पूर्व सदस्य प्रो. वी.आर. जगन्नाथन द्वारा दी गई अमूल्य सेवाओं को याद किया। उनका योगदान प्रबंध मण्डल के माध्यम से विश्वविद्यालय के विकास में प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने सम्पूर्ण प्रबंध मण्डल की ओर से एवं स्वयं अपनी ओर से प्रो. जगन्नाथन के प्रति आभार व्यक्त किया।

तत्पश्चात् कार्यसूची विवरण के बिन्दुओं पर कमवार विचार प्रारंभ किया गया जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है।

57/1: प्रबंध मण्डल की 56 वीं बैठक दिनांक 23.12.02 का कार्यवाही विवरण पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबंध मण्डल की 56 वीं बैठक दिनांक 23.12.02 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। सदस्य श्रीमान रामसूरत जी ने यह उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय की समितियों की बैठकें बहुत विलंब से होती रही हैं। उनके अनुसार 56 वीं बैठक में तत्कालीन कुलपति महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि आगामी बैठक शीघ्र आयोजित की जायेगी किन्तु यह बैठक भी विलंब

से हो रही है। कुलपति महोदय ने यह स्पष्ट किया कि 4 मार्च, 2003 को कार्यभार संभालने पर विश्वविद्यालय की गतिविधियों को संचालित कर बजट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और बजट तैयार होते ही वित्त समिति एवं प्रबंध मण्डल की बैठक आयोजित कर ली गई है।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि विश्वविद्यालय अपनी समस्त महत्वपूर्ण समितियों की बैठकों का एक केलेण्डर तैयार करेगा तथा सभी माननीय सदस्यों को इसकी अग्रिम सूचना भिजवाई जावेगी, जिससे कि सभी सदस्य उसी अनुरूप अपना कार्यक्रम तय कर सकेंगे।

57/2: प्रबंध मण्डल की 56 वीं बैठक दिनांक 23.12.02 के निर्णयों की अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबंध मण्डल के समक्ष 56 वीं बैठक के निम्न बिन्दुओं पर विवरण प्रस्तुत किया।

56/12:

निदेशको की वरिष्ठता निश्चित करने हेतु गठित समिति के सदस्य के रूप में प्रो. वी.आर. जगन्नाथन का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण बैठक नहीं हो सकी। प्रबंध मण्डल ने प्रो. जगन्नाथन के जगह प्रो. एस. सी.गर्ग को समिति के सदस्य के रूप में मनोनित किया।

56/14/3

विश्वविद्यालय में लंबित रिक्त पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय को स्वयं के साधनों से वित्तीय भार वहन करने के संदर्भ में कुलपति ने यह उल्लेख किया कि गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को वेतन भत्तों के अन्तर्गत रु.48.00 लाख का अनुदान कम दिया गया और अब रिक्त पदों को भरने के लिए भी विश्वविद्यालय को स्वयं के आय के स्रोतों से वित्तीय भार वहन करने हेतु कहा गया है जिसका कुल खर्च करीब रु.25.00 लाख बनता है। इस प्रकार कुल मिलाकर वेतन भत्तों के खाते में विश्वविद्यालय पर करीब 74.00 लाख रुपये का अतिरिक्त भार डाल दिया गया है। कुलपति महोदय ने यह भी बताया कि जब विश्वविद्यालय के सभी पद राज्य सरकार की पूर्वानुमति से सृजित किये गये हैं तो यह अपेक्षा करना अनुचित नहीं है कि राज्य सरकार कम से कम वेतन भत्तों का पूरा खर्च वहन करे। यह भी उल्लेख किया गया कि जो पद विश्वविद्यालय के अधिनियम से विधान सभा द्वारा सृजित किये गये हैं- जैसे: निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक - उन पदों को वित्तीय भार विश्वविद्यालय पर डालना किसी भी प्रकार उचित प्रतीत नहीं होता है।

वित्त सचिव के प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान में राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और प्रदेश अकालग्रस्त होने के कारण वित्तीय संसाधनों में भारी कमी हो रही है इसलिए इस बार विश्वविद्यालय किसी प्रकार अपना कार्य चलाए और भविष्य में राज्य सरकार

विश्वविद्यालय को समुचित योगदान प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने लंबित पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने की विश्वविद्यालय को स्वीकृति जारी कर दी है किन्तु यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की अत्यन्त कमी है क्योंकि कहीं पर भी नई नियुक्तियाँ नहीं की जा रही है। इसलिए अन्य संस्थान अपने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कुलपति महोदय ने बताया कि उन्होंने स्वयं शिक्षा संस्थान के अधिकारियों से बातचीत की किन्तु कोई उत्साहवर्द्धक आश्वासन नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में बिना समुचित वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के विश्वविद्यालय चलाना एक दुष्कर कार्य होता जा रहा है।

राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया कि वे इस पूरी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वकविचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो रिक्त पदों को स्थायी तौर पर भरने हेतु विशेष अनुमति दिलाने का प्रयास करेंगे।

56/14/6:

प्रो. एल.एन. गुप्ता द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गये अवकाश को परिवर्तित करने के प्रकरण पर कुलपति महोदय ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति के बाद इस पर कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रबंध मण्डल ने नियमानुसार ही कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया।

56/16:

विश्वविद्यालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के समय आयु को लेकर 56 वीं बैठक का निर्णय स्पष्ट नहीं है अतः यह स्पष्ट निर्णय लिया जाये कि किस श्रेणी के और किस आयु के व्यक्ति परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 61 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति पुर्ननियुक्ति पर कार्य नहीं कर सकता है। वर्तमान में नियुक्त लगभग सभी परामर्शदाता 61 वर्ष के ऊपर के हैं अतः कुलपति महोदय ने प्रबंध मण्डल से अनुरोध किया कि इस बारे में कोई स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

पूरे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा परिषद के नियम लागू किये जाये तथा सेवा निवृत्त व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को परामर्शदाता नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अति विशिष्ट परिस्थितियों में किसी बिना सेवा निवृत्त व्यक्ति की सेवाओं की आवश्यकता हो तो उन्हें अनुबंध (job basis) पर काम दिया जाना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अन्यथा विश्वविद्यालय का कानूनी दाय-पैचों में फँस जायेगा।

56/22:

विशेष जाँच प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 के बिन्दु संख्या 16 के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा समिति के सदस्यों के नाम एवं प्रगति की सूचना चाही गई। बैठक में समिति के सदस्यों का उल्लेख किया गया तथा माननीय सदस्यों को यह भी अवगत करवाया गया कि उक्त समिति की एक बैठक आयोजित हो चुकी है। माननीय कुलपति महोदय द्वारा समिति में प्रो. एस.सी.गर्ग को सदस्य नियुक्त किया गया। प्रबंध मंडल के सदस्य प्रो.वी.आर. जगन्नाथन का कार्यकाल समाप्त होने के कारण आगे बैठक नहीं हो सकी। प्रबंध मंडल ने प्रो. जगन्नाथन के स्थान पर प्रो. एस.सी.गर्ग को समिति का सदस्य मनोनित किया।

57/3: पूर्व कुलपति प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दिये जाने के उपरान्त माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा, वरिष्ठ निदेशक डॉ. आर. वी. व्यास को कुलपति पद का कार्यभार दिये जाने बाबत आदेश सूचनार्थ प्रस्तुत।

प्रबंध मण्डल द्वारा अवलोकन किया गया।

57/4: महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा पूर्व कुलपति प्रो. जी.एस. एल.देवड़ा के विरुद्ध जाँच किये जाने के आदेश सूचनार्थ प्रस्तुत।

प्रबंध मण्डल द्वारा अवलोकन किया गया। कुलपति महोदय ने यह सूचित किया कि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रो.जी.एस.एल. देवड़ा ने कुलाधिपति महोदय द्वारा जाँच बिठाये जाने के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है लेकिन विश्वविद्यालय की इसकी अधिकृत सूचना कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। चूँकि यह प्रकरण subjudiced है अतः प्रबंध मण्डल ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझा।

57/5: वित्त समिति की 29 वीं बैठक दिनांक 27.5.2003 का कार्यवाही विवरण एवं वर्ष 2003-04 हेतु पारित बजट अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की 29 वीं बैठक दिनांक 27.5.03 का कार्यवाही विवरण एवं वर्ष 2003-04 हेतु पारित बजट प्रबंध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रबंध मण्डल ने सर्वसम्मति से वित्त समिति के निर्णयों का अनुमोदन किया तथा वित्त समिति द्वारा पारित बजट प्रस्तावों को अनुमोदित किया। प्रो. एस.सी.गर्ग द्वारा दिये गये निम्नलिखित सुझावों को प्रबंध मण्डल ने स्वीकार किया।

दूरस्थ शिक्षा परिषद (DEC) द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोग निर्धारित मद में ही किया जाना चाहिए। DEC की बिना पूर्वानुमति के बजट एक मद से दूसरे मद में राशि स्थानान्तरित नहीं की जानी चाहिए। DEC से प्राप्त अनुदान जो 2002-03 तक उपयोग कर लिया गया है तथा यदि 2002-03 के अंतर्गत कुछ बिल लंबित है तो उनका समायोजन कर शेष राशि वापस

भिजयाने की DEC की मांग को प्रबंध मण्डल ने स्वीकृति प्रदान कर दी। विश्वविद्यालय की गणना के अनुसार इस समय 2002-03 के अंत में कुल मिलाकर रु.286.83 लाख की राशि है। इसमें से यदि वित्त विभाग के पास कोई बिल लंबित है तो उसका भुगतान कर शेष राशि लौटा दी जायेगी।

प्रबंध मंडल को बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष बी.एड. प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। यह कार्य निश्चित अवधि में समाप्त किया जाता है तथा इसमें भाग लेने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। गत वर्ष लगभग 26000 छात्र परीक्षा में बैठे थे और इस बार के अनुमान के अनुसार करीब 30000 छात्र प्रवेश परीक्षा में भाग लेंगे। समस्त कार्य को निश्चित समय में सम्पन्न करने हेतु कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में भी कार्य करना पड़ता है। इसमें तीन विभागों की सम्मिलित कार्यप्रणाली तय की हुई है : प्रवेश विभाग, परीक्षा विभाग एवं कम्प्युटर विभाग। वित्त समिति ने यह अनुमोदित किया कि प्रत्येक विभाग को प्रति आवेदन पत्र एक रुपये की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा अर्थात् एक आवेदन पत्र को process करने के लिए प्रवेश विभाग के कर्मचारियों को एक रुपया, परीक्षा विभाग के कर्मचारियों को एक रुपया तथा कम्प्युटर विभाग के कर्मचारियों को एक रुपया देय होगा। इस प्रकार प्रति आवेदन पत्र कुल तीन रुपये का मानदेय भुगतान किया जायेगा।

उक्त सुझावों के साथ प्रबंध मण्डल ने वित्त समिति की अनुशंसाओं एवं बजट प्रस्तावों को पारित किया।

57/6: वर्ष 2003-04 का बजट पारित होने के अभाव में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय एक्ट की धारा 8(4) के तहत प्रथम तीन माह के व्यय की अनुमति के क्रम में जारी कार्यालय आदेश अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

57/7: विश्वविद्यालय के कुलपतियों का राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार टर्मिनल बेनिफिट दिये जाने बाबत निर्णय हेतु प्रस्ताव।

कुलपति महोदय ने यह बताया कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों के pay & allowances including terminal benefits के बारे में एक आदेश दिनांक 1.12.98 को जारी किया था। राज्य सरकार ने इस आदेश में यह भी सुझाव दिया था कि इस आदेश को विश्वविद्यालय अपने नियम के रूप में परिवर्तित कर ले। पूर्व में इस आदेश के आधार पर प्रस्ताव बनाकर वित्त समिति एवं प्रबंध मण्डल के समक्ष रखा गया था। प्रबंध मण्डल ने तत्कालीन कुलपति के सुझाव पर इस प्रकरण को कुलपति समन्वय समिति में विचार के लिए भेजा जाना स्वीकार किया था एवं विश्वविद्यालय ने महामहिम राज्यपाल के सचिव को एक पत्र भेजकर कुलपति समन्वय समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था। जिसका अब तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रबंध मण्डल ने निर्णय लिया कि इसे एक बार पुनः राज्यपाल सचिवालय को पत्र भेजकर यदि इस पर कोई निर्णय हुआ हो तो उसकी सूचना मांग ली जाये या इस पर क्या कार्यवाही की जाये उसके आदेश प्राप्त कर आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाये।

57/8: विश्वविद्यालय में कार्यरत क्षेत्रीय निदेशक को कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर के पद का वेतनमान प्रदान करने हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं के कम में।

प्रबंध मण्डल ने गहन विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत क्षेत्रीय निदेशकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोफेसर पद का वेतनमान प्रदान करने हेतु IGNOU, नई दिल्ली द्वारा स्वीकार की गयी योग्यताओं को इस विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जाये। CAS का लाभ UGC द्वारा निर्धारित तिथि से दिया जायेगा।

चूंकि विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय निदेशकों के लिए चयन प्रक्रिया से उन्नयन हेतु वर्तमान में कोई पद उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रबंध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि पहले स्वीकृत दो Zonal Director के पदों को पुनः revive किया जाये और यदि आवश्यकता हो तो आगामी 1-2 वर्षों के लिए इन्हें भरने में बढ़ने वाला वित्तीय भार विश्वविद्यालय स्वयं के स्रोतों से वहन करे

57/9: विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 62 (II) के अन्तर्गत देय पारिवारिक पेंशन अन्तिम की राशी आहरित परिलब्धियों के दुगुने एवं नियम 62 (I) के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन की राशी से दुगुनी जो भी कम हो, नियम (नियम III) क एवं ख) 65 वर्ष की आयु के स्थान पर 67 वर्ष की आयु तक (यदि वह जीवित रहता तो) करने बाबत ।

प्रबंध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन राशी आहरित अंतिम वेतन के 50: अथवा नियम 62(1) के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन के दोगुने, जो भी कम हो, को 7 वर्ष तक या 67 वर्ष की आयु तक (यदि वह जीवित रहता है) जो भी अवधि कम हो के प्रस्ताव का अनुमोदन किया

57/10: स्व. डॉ. आर. पी. शर्मा, सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र) के विदेश यात्रा बिल के भुगतान की विशेष स्वीकृति हेतु ।

प्रबंध मण्डल द्वारा डा. आर. पी. शर्मा के मजीला कान्फेंस के यात्रा बिलों को विश्वविद्यालय प्रशासन विधिक सलाह प्राप्त कर निरस्तारण की कारवाई करें।

57/11:

स्य. डा. आर. पी. शर्मा के दिनांक 2.2.90 से 26.11.90 (9 माह 25 दिवस) तक की अवधि का वेतन जारी करने का प्रकरण अवलोकन एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

प्रबंध मण्डल द्वारा पहलुओं पर विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि डा. आर. पी. शर्मा के वेतन का मामला काफी पुराना हो चुका है एवं पूर्व में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है अतः अब इस पर कोई निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा।

टेबल एजेण्डा

57/12/1

: विश्वविद्यालय के पाँच कर्मचारियों को दी गई शास्ति का पुनरावलोकन करने हेतु गठित समिति की अनुशंसायें अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

प्रबंध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को समस्त रिकॉर्ड का अध्ययन कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया।

57/12/2

: विश्वविद्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधित करने बाबत प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

प्रबंध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आशुलिपिकों को वेतन श्रृंखला का लाभ 5000-8000 से बढ़ाकर 5500-9000 दे दिया जाये क्योंकि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों जैसे- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर आदि में दिया जा चुका है। अतः वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में भी अन्य विश्वविद्यालयों के पैटर्न पर आशुलिपिकों को संशोधित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश संख्या F.16(6)FD (Rules)/98, dated 19th September, 1998 के अनुसार दे दिया जाये।

57/12/3

: प्रथम नियुक्ति की तिथि से कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने बाबत प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय की स्थापना के समय (1987-88) से विश्वविद्यालय में दो तरह की श्रेणियों के कर्मचारी कार्य कर रहे थे: दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं स्थिर वेतनभोगी कर्मचारी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिनका बाद में नियमितीकरण कर दिया गया था। कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रशासन से निरन्तर मांग कर रहे हैं कि उनको चयनित वेतनमान प्रथम नियुक्ति तिथि से ही दिया जाये। कर्मचारियों ने यह तर्क दिया कि पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति की तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ दिया है।

इसके अलावा कनिष्ठ लिपिकों को प्रबंध मंडल के अनुमोदन से प्रथम नियुक्ति तिथि से मूल वेतन मान कर D.A. Arrear प्रदान किया जा चुका है। कर्मचारी "लेखायिज्ञ" अंक 11 नवम्बर, 2002 तथा अंक 4 अप्रैल, 2003 में छपे न्यायालय के आदेश का भी हवाला देकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी इस आदेश के अंतर्गत प्रथम नियुक्ति से लाभ दिया जाये।

विश्वविद्यालय की स्थापना शाखा ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि पूर्व में कुछ लोगों को प्रथम नियुक्ति से चयनित वेतनमान का लाभ विश्वविद्यालय ने दिया है। विश्वविद्यालय के विधि सहायक ने भी प्रथम नियुक्ति से चयनित वेतनमान दिया जाना न्याय संगत बताया है।

कुलपति महोदय ने यह स्पष्ट किया कि कर्मचारी प्रशासन से विगत ढाई मास से निरंतर यह मांग कर रह है। 5 मार्च, 2003 से 25 मई, 2003 तक लगभग प्रतिदिन 40-50 कर्मचारी कुलपति /कुलसचिव कार्यालय पर जमा हो जाते हैं। असमंजस एवं अनिश्चितता का वातावरण दैनिक कार्यों को प्रभावित कर रहा है। कुलपति महोदय ने यह भी तथ्य प्रस्तुत किया कि उनकी जानकारी के अनुसार प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार की मांग उठ रही है किन्तु कहीं पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राजकीय संस्थानों में भी प्रथम नियुक्ति से चयनित वेतनमान दे दिया गया है, इसकी पुष्टि जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुलपति महोदय ने इस प्रकरण पर प्रबंध मंडल से स्पष्ट मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। विचार विमर्श के बाद दो विचार प्रकट हुये:

1. प्रबंध मंडल स्वीकृति प्रदान करे तो प्रशासन सख्ती के साथ कर्मचारियों के साथ पेश आये और वर्तमान मांग अस्वीकार कर दे।
2. कोई शांति पूर्ण एवं न्यायोचित हल खोजा जाये जिससे असंतोष शांत हो सके।

प्रबंध मंडल ने संपूर्ण प्रकरण पर विचार करते हुए तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि चयनित वेतनमान प्रथम नियुक्ति तिथि से निम्न चार शर्तों के आधार पर दिया जा सकता है।

1. किसी भी कर्मचारी को वर्तमान में कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जायेगा न ही पूर्व वेतन एरियर का भुगतान किया जायेगा। यह आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगे। अर्थात् चयनित वेतनमान आगामी वर्ष में अवधि पूर्ण करने पर होगा।
2. कर्मचारियों द्वारा इस आधार पर कोई वरिष्ठता की मांग नहीं की जायेगी।
3. अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्देश प्रदान करती है तो इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जायेगा।
4. वित्तीय लाभ एवं वरिष्ठता हेतु किसी न्यायालय में कोई याद दायर नहीं किया जायेगा।


11-A

- 11 -

उक्त चार बिन्दुओं पर प्रत्येक संबंधित कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से Undertaking देने पर ही चयनित येतनमान पाने का अधिकारी होगा।

सदस्य श्रीमान् रामसूरत जी ने सुझाव दिया कि प्रबंध मंडल के निर्णय को लागु करने से पूर्व संपूर्ण प्रकरण पर स्वतंत्र विधिक राय लेना आवश्यक है अतः दो अच्छे अधिवक्ताओं की राय प्राप्त की जावे। यदि विधिक राय सकारात्मक हो तो कार्रवाई की जाये।

अध्यक्ष महोदय ने सभी उपरिथत सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा सदस्यों ने आसन को धन्यवाद दिया। इसी के साथ प्रबंध मंडल की बैठक समाप्त हो गई।


11/6/03

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा



कार्यवाही विवरण

अनुष्ठापक
वर्धमान
कोटा

(क)
कालय

प्रबन्ध मण्डल की 58वीं बैठक
दिनांक 24 मई, 2004 सोमवार प्रातः 11.00 बजे

स्थान :
क्षेत्रीय केन्द्र,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

—वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा—

—प्रबन्ध मण्डल की 58 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण—

—कार्यवाही विवरण—

प्रबन्ध मण्डल की 58 वीं बैठक दिनांक 24.5.04 को प्रातः 11.00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर पर आयोजित की गई इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे:—

- | | |
|--|---------|
| 1. डॉ आर.वी.व्यास
कुलपति, व.म.खु.वि., कोटा | अध्यक्ष |
| 2. श्री राम लुभाया,
प्रमुख शासन सचिव {उच्च शिक्षा}
राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |
| 3. श्रीमती अपर्णा अरोड़ा,
उप शासन सचिव, {वित्त}
राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |
| 4. प्रो० एस.सी.गर्ग,
सम कुलपति,
इं.गा.रा.मु.वि.वि०.नई दिल्ली | सदस्य |
| 5. प्रो० उदय जैन,
इंदौर | सदस्य |
| 6. प्रो० एल.एन.गुप्ता,
80/8 पटेल मार्ग,
मानसरोवर, जयपुर | सदस्य |
| 7. प्रो० अनाम जेटली,
आचार्य {राजनीति विज्ञान}
व.म.खु.वि., कोटा | सदस्य |
| 8. डॉ श्रीमती सुषमा सिंघवी,
निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र,
व.म.खु.वि., जयपुर। | सदस्य |
| 9. श्री बी.एल.कोठारी,
कुलसचिव,
व.म.खु.वि., कोटा। | सचिव |

अनुभागाधिकारी (मिस्त्री प्रकोष्ठ)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

अलदी

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल ने सभी सदस्यों को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आने का स्वागत किया एवं आपस में एक दूसरे का परिचय करावाया। इसके पश्चात् सदस्यों को विगत बैठक के बाद किये गये क्रिया कलापो से अवगत करवाया गया। माननीय सदस्यों को यह बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर एवं बीकानेर हेतु राजस्थान आवासन मण्डल से भवन कय किये जा चुके हैं। अजमेर क्षेत्रीय केन्द्र हेतु भवन कय करने का प्रकरण राजस्थान आवासन मण्डल में लम्बित है तथा कोटा क्षेत्रीय केन्द्र हेतु नगर विकास न्यास, कोटा से 100 गुणा 100 का भूखण्ड कय करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है।

अध्यक्ष महोदय ने नये पाठ्यक्रमों की जानकारी देते हुए माननीय सदस्यों को अवगत करवाया कि इस संदर्भ में "पंचायती राज प्रोजेक्ट" तथा "राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति" पाठ्यक्रम जुलाई सत्र 2004 से प्रारम्भ किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्या परिषद से अनुमोदन उपरान्त "उर्दु" एवं "पाली- प्राकृत" भाषा हेतु नये पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम विकास समिति (सी.डी.सी.) का गठन किया गया है।

विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जानकारी देते हुए बताया गया कि जहाँ सत्र 2000 में लगभग 8000 छात्र, 2001 में 9000, 2002 में 10000 छात्र थे वहीं उनकी संख्या सत्र 2003 में बढ़कर लगभग 13000 हो गई है। सत्र 2004 के लिए लगभग 20000 छात्रों को प्रवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की आम जनता के लायक जानकारी एवं उसके प्रचार प्रसार की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत सभी अध्ययन केन्द्रों एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर वॉल पेटिंग करवाना एवं होर्डिंग लगवाया जाना प्रस्तावित है साथ ही सभी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी {माध्यमिक} के सहयोग से पोस्टर आदि लगवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। छात्रों की संख्या बढ़ने के अनुपात में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्र खोलकर छात्रों को अध्ययन सुविधा प्रदान की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को यह भी अवगत करवाया है कि साउथ एशिया फांडेशन द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना भी आगामी जुलाई 2004 से इं.गा.रा.मु.वि.वि. माध्यम से लागू की जा रही है। इसका लाभ इस विश्वविद्यालय के छात्रों को भी हो सकेगा। इस पर सदस्य प्रो० एस.सी.गर्ग ने माननीय सदस्यों को अवगत करवाया कि कुल 6 हजार छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं। इनमें से आधी छात्रवृत्तियाँ इं.गा.रा.मु.वि.वि. में अध्ययनरत छात्रों के लिए तथा शेष छात्रवृत्तियाँ राज्यों के खुला विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को उनके छात्र संख्या के अनुपात में दी जावेगी। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय में "मदन जीत सिंह छात्रवृत्तियाँ" लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दूरस्थ शिक्षा का माध्यम प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। प्रदेश में अभी भी 73 उपखण्ड मुख्यालय ऐसे हैं जहाँ पर उच्च शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें से भी अधिकांश स्थान रेगिस्तानी एवं आदिवासी क्षेत्रों में हैं। अतः इन स्थानों पर विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना के 17 वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात् भी इतनी कम छात्र संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की एवं कहा कि छात्र संख्या वृद्धि के लिए बेहतर

मार्केटिंग की जानी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को ओर अधिक प्रभावशाली एवं अद्यतन करने तथा नये स्वरोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को अधिक से अधिक लागू किये जाने पर जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपेक्षा की कि प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विश्वविद्यालय के विकास एवं कार्य प्रणाली का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सकें इस बारे में एक दस्तावेज तैयार कर सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात कहते हुये यह जानना चाहा कि पिछले तीन वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किन-किन पाठ्यक्रमों के कोर्सेस का रिविजन किया गया है? इस सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी तैयार कर माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं विचारार्थ आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जायें। इस पर सभी सदस्यों ने प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के विचार पर सहमति प्रकट की।

प्रो० एस.सी.गर्ग ने सुझाव दिया कि ISRO द्वारा अगस्त 2004 में launch किये जाने वाले EDUSAT का भी उपयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार में कर सकता है। इस सन्दर्भ में ISRO अहमदाबाद के निदेशक श्री बी.एस. भाटिया से सम्पर्क कर योजना बनाई जा सकती है।

इसके बाद विधिवत् रूप से कार्यसूची पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

58/01

प्रबन्ध मण्डल की 57वीं बैठक दिनांक 28.5.03 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

बैठक में प्रबन्ध मण्डल की 57 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर प्राप्त आपत्तियों पर चर्चा के उपरान्त कार्यवाही बिन्दु संख्या 57/12.3 में वर्णित पैराग्राफ:-

“सदस्य श्री रामसूरत जी ने सुझाव दिया कि प्रबन्ध मण्डल के निर्णय को लागू करने से पूर्व सम्पूर्ण प्रकरण पर विधिक राय लेना आवश्यक है। अतः दो अच्छे अधिवक्ताओं की राय प्राप्त की जाये। यदि विधिक राय सकारात्मक हो तो कार्यवाही की जाये।”

उक्त पैराग्राफ को निम्नानुसार पुनःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

“साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त निर्णय को लागू करने से पूर्व सम्पूर्ण प्रकरण पर दो अच्छे अधिवक्ताओं {जो कि सेवा सम्बन्धी नियमों की जानकारी रखते हों} से राय प्राप्त कर ली जाये यदि सकारात्मक हो तो कार्यवाही की जाये।”

अनुशासक (विश्वविद्यालय)
वर्धमान
कोश

58/02

प्रबन्ध मण्डल की 57वीं बैठक के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल की 57 वीं बैठक की अनुपालना प्रतिवेदन पर सदस्यों द्वारा बिन्दुवार चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. माननीय सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक एक लम्बे अन्तराल के बाद बुलाई जाने को उचित नहीं माना। सदस्यों ने एक बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित करने का सुझाव दिया, जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि मार्च, 2003 से पूर्व कई बैठकों का आयोजन लम्बित था जिनका आयोजन इस वर्ष किया गया। सदस्यों को सूचित किया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक के अतिरिक्त वित्त समिति की दो बैठकें, विद्या परिषद की एक बैठक, स्थाई भवन समिति एवं मुद्रण सलाहकार समिति की एक-एक बैठकें आयोजित की गईं इसी कारण से प्रबन्ध मण्डल की बैठक आयोजन में विलम्ब हुआ।

माननीय सदस्य प्रो० एस.सी. गर्ग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक वैधानिक समितियों के कुछ सदस्यों को नामित कर प्रत्येक समिति की एक स्टेडिंग समिति गठित कर दी जावे। जो आवश्यकतानुसार समय-समय पर मिलकर विश्वविद्यालय को गतिमान रखें।

2. वर्ष 2004-2005 में होने वाली विभिन्न वैधानिक समितियों की बैठकों के लिए कलेण्डर तैयार कर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायें।

3. बिन्दु संख्या 57/5 की अनुपालना पर चर्चा करते हुए प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त अनुदान का समय पर उपयोग किन कारणों से नहीं हुआ तथा इसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है यह जाँच कर तय किया जाना चाहिए। सभी सदस्यों ने इस सुझाव का अनुमोदन किया।

4. बिन्दु संख्या 57/7 की अनुपालना पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की 30 वीं बैठक दिनांक 17.5.2004 में विश्वविद्यालय के कुलपतियों को टर्मिनल बेनिफिट दिये जाने के आदेश क्रमांक एफ-3 {13}/शिक्षा/4/95 दिनांक 1.12.98 को लागू करने का अनुमोदन किया गया।

अ. ए. ए. ए.

इस पर चर्चा करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि यह अलग से एजेण्डा आईटम संख्या 58/5 पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

5. 57/8 की अनुपालना के सन्दर्भ में क्षेत्रीय निदेशको को सीएसएस दिये जाने बाबत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। इस पर प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा ने अवगत करवाया कि मामला राज्य सरकार द्वारा इ.गा.रा.मु.वि.वि. को रेफर किया गया है। इस पर अध्यक्ष एवं कुछ सदस्यों ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय निदेशक विश्वविद्यालय अधिनियम में "टीचर" की परिभाषा में समाहित होते हैं। अतः उन्हें उसी प्रकार सीएसएस का परिलाभ मिलना चाहिए जिस प्रकार यूजीसी नियमों से अन्य टीचर्स को इस विश्वविद्यालय में दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय चाहे तो पूरे प्रकरण को पुनः तैयार कर राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है। सभी सदस्यों ने इस सुझाव को स्वीकार किया।
6. बिन्दु संख्या 57/9 में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राजस्थान पेंशन नियम, 1956 के नियम 62/2 के अन्तर्गत देय परिलाभों को पेंशन की आन्तरिक राशि बाबत निर्णय की अनुपालना पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार के नियमों में वर्णित अधिकतम आयु 65 वर्ष के बजाय 67 वर्ष करने को उचित नहीं मानते हुए राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप ही रखने का निर्णय सर्वसम्मति से किया गया।
7. 57/12 .2 आशुलिपिको के वेतनमान संशोधन पर चर्चा करते हुए प्रमुख शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार एवं अन्य विश्वविद्यालयों में आशुलिपिको को संशोधित वेतनमान दिये जाने वाले आदेशों को निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी क्योंकि आदेश नियमानुसार उचित नहीं है।

अनुपालना की जा रही है।
वर्धन शास्त्री, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय
कोटा

58/03 (अ) वित्त समिति की 30वीं बैठक दिनांक 17.5.04 का कार्यवाही विवरण एवं वर्ष 2004-05 हेतु पारित बजट अनुमोदनार्थ।

इसके सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने यह निर्णय किया कि बजट प्रस्ताव एवं उनकी वित्त समिति की अभिशंखाओं पर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचार किया जावेगा। इससे प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए सदस्यों को समुचित समय मिल जायेगा।

अनुमोदित

58/03 (ब) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) के तहत कुलपति महोदय द्वारा वर्ष 2004-05 का बजट पारित नहीं होने के कारण प्रथम तिमाही के आवश्यक खर्चों बाबत बजट व्यवस्था हेतु जारी आदेश अनुमोदनार्थ।

जारी आदेश की पुष्टि की गई।

58/04 नियमित कुलपति के चयन हेतु प्रस्तावित चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

उक्त बिन्दु पर चर्चा करते हुए प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा ने सुझाव दिया कि इस पर निर्णय फिलहाल लम्बित कर दिया जाय। राज्य सरकार द्वारा सूचना मिलने पर पुनः विचार किया जावेगा। सुझाव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

58/05 राज्य सरकार के आदेश सं. एफ-3(13) शिक्षा/4/95 दिनांक 1.12.98 द्वारा कुलपति को दिये जाने वाले टर्मिनल बेनेफिट के बाबत।

प्रबन्ध मण्डल ने राज्य सरकार के आदेश को स्वीकार करते हुए सुझाव दिया कि इसे स्टेच्युट के रूप में प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जावे।

58/06 पूर्व कुलपति प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा के विरुद्ध कुलाधिपति द्वारा गठित जांच वापिस लेने बाबत।

माननीय सदस्यों ने महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या एफ 25{6}आरबी/2002/1138 दिनांक 19.2.2004 का अवलोकन किया।

58/07 प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा की दो शादियां होने की शिकायत बाबत।

माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्राप्त शिकायतों की नियमानुसार विभागीय जांच कर (अंतिम) निर्णय हेतु मामला प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी सदस्यों ने यह भी राय दी कि प्रो0 जी.एस.एल. देवड़ा को इसकी प्रति भेजकर उनका प्रयुत्तर आवश्यक रूप से प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे।

Handwritten signature/initials

अंतिम" ब्रांड के 9-11 की
59 जी ब्रांड के निर्णय के
59/1 द्वारा 22/04/2004

Handwritten notes:
- New BOM
- P. W. V.
- 2004

Handwritten notes:
a. d. i. r.
x. a. l. a. n.
s. e. p. t. e. m. b. e. r.

58/8

नये पाठ्यक्रम "पंचायती राज प्रोजेक्ट" के बारे में हस्ताक्षर किये गये एमओयू सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

एम.ओ.यू. अनुबन्ध का माननीय सदस्यों ने अवलोकन कर अनुमोदित किया।

58/09

विश्वविद्यालय कर्मियों के प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र संस्था में जाने पर प्रतिनियुक्ति के नियम लागू किये जाने बाबत सेवा नियमों में संशोधन अनुमोदनार्थ।

उक्त बिन्दु पर माननीय सदस्यों ने गहन विचार विमर्श कर सुझाव दिया कि प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में क्या नियम उपलब्ध है, इसका अध्ययन कर विश्वविद्यालय के सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

58/10

विभिन्न समितियों [विद्या परिषद, मुद्रण सलाहकार समिति, स्थाई भवन समिति] के कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

माननीय सदस्यों ने जानना चाहा कि विद्या परिषद, मुद्रण सलाहकार समिति, एवं स्थाई भवन समिति के कार्यवाही विवरण किन नियमों के तहत प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ऐसे कोई नियम विश्वविद्यालय में नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना से आज तक परम्परागत रूप से इन समितियों के कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की परम्परा चली आ रही है। इस पर सभी माननीय सदस्यों ने नीतिगत निर्णय लिया कि सभी समितियों के निर्णयों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा जाना आवश्यक नहीं है। समितियों के जो निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार किये जाने चाहिये, उन्हें अलग आइटम के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

58/11

आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधन बाबत प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक के निर्णय सं. 57/12{2} के क्रम में राज्य सरकार का पत्र अवलोकनार्थ।

इस बिन्दु पर प्रबन्ध मण्डल की 57 वी बैठक के बिन्दु संख्या 57/12 {2} की अनुपालना रिपोर्ट के अन्तर्गत बिन्दु सं 58/2 {7} में चर्चा की जा चुकी है।

सं. 57/12

58/12

पुराने रेकार्डस के निस्तारण करने वायत।

इस सम्बन्ध में वाद चर्चा माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इ. गा.रा.मु.वि.वि. में लागू प्रावधानों को इस विश्वविद्यालय के लिए भी अंगीकृत कर लिया जाये।

7/1/2004
7/1/2004

58/13

वर्ष 2003--04 का वार्षिक प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

इस पर माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की एवं सर्वसम्मति से राय व्यक्त की गई कि यह विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसमें विश्वविद्यालय आलोच्य वर्ष में की गई विभिन्न गतिविधियों/उपलब्धियों को परिलक्षित करते हुए वर्तमान प्रतिवेदन में समुचित बदलाव करें तथा पुनः इसे प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।

7/1/2004

—सप्लीमेंटरी विचारणीय बिन्दु —


58/14

प्रो० जी.एस.एल.देवड़ा निवृत्तमान कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श हेतु।

इस बिन्दु पर बिन्दु सं० 58/7 के अन्तर्गत विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया जा चुका है।

अध्यक्ष, विचारणीय बिन्दु (सप्लीमेंटरी)

आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

माननीय कुलपति महोदय 3/1/2004

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा



कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 59वीं बैठक
दिनांक 26 जून, 2004 शनिवार प्रातः 11.30 बजे

स्थान :
कुलपति सचिवालय
विश्वविद्यालय परिसर,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

—प्रबन्ध मण्डल की 59वीं बैठक दिनांक 26.6.04 का कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 59 वी बैठक दिनांक 26.6.2004 को प्राय 11.30 बजे सोमवार को कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में निर्णयित कार्य विवरण निम्न है।

1. डॉ० आर. वी. व्यास, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। सदस्य
2. प्रो० उदय जैन, 3 सज्जन कचन, गटर त्रिपुरी कॉलोनी, इन्दौर। सदस्य
3. प्रो० एल.एन.गुप्ता, 80/8 पटेल मार्ग, मान सरावर, जयपुर। सदस्य
4. प्रो० अनाम जेटली, आचार्य राजनीति विज्ञान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। सदस्य
5. डॉ० आर.सी.मीणा, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। सदस्य
6. श्री वी.एल.कोठारी, कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। सचिव

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं प्रो० एस.सी.गर्ग सम-कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें।

गणपूर्ति के उपरान्त सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के नये सदस्य डॉ० आर.सी.मीणा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा का स्वागत करते हुए माननीय सदस्यों से उनका परिचय कराया एवं पूर्व सदस्य डॉ० (श्रीमती) सुषमा सिद्धवी, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर के कार्यकाल एवं योगदान का स्मरण किया। तत्पश्चात् विन्दुवार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

27/6

59/1

प्रबन्ध मण्डल की 58वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ ।

माननीय सदस्य प्रो० अनाम जेटली द्वारा 58 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में दी गई टिप्पणियों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. प्रबन्ध मण्डल की 58 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण में उपस्थित सदस्यों की सूची में कम सं० 3 पर उल्लेखित नाम श्रीमती अर्पणा अरोड़ा को सदस्य के स्थान पर प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लिखा जाना स्वीकार किया गया।
2. प्रबन्ध मण्डल की 58 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के बिन्दु सं० 58/02 (1) के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रो० अनाम जेटली इसे पुनः ड्राफ्ट कर प्रस्तुत करेंगे।
3. प्रबन्ध मण्डल की 58 वीं बैठक के निर्णय सं० 58/07 में वर्णित " अंतिम " शब्द हटाये जाने पर सहमति हुई।

प्रबन्ध मण्डल की 58 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण में उपरोक्तानुसार आंशिक संशोधन करते हुए कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

59/2

प्रबन्ध मण्डल की 58वीं बैठक दिनांक 24.5.04 के पालनार्थ बिन्दुओं का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल की 58 वीं बैठक के अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया। अनुपालना की प्रति परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

59/3

वित्त समिति की 30वीं बैठक दिनांक 17.5.2004 का कार्यवाही विवरण एवं बैठक में पारित वर्ष 2004-05 के बजट प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।

- (a) वित्त समिति की 30वीं बैठक का कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट- 2) एवं वर्ष 2004-05 का बजट (एक प्रति 58वीं बैठक के दौरान सदस्यों को वितरित कर दी गई थी) एवं माननीय सदस्यों के पुनः बजट की अतिरिक्त प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति की 30वीं बैठक दिनांक 17.5.2004 के कार्यवाही विवरण के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने माननीय सदस्यों के सभी प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। सदस्यों ने भविष्य के लिये सुझाव दिया कि बजट बनाते समय छात्र अनुपात व **cost analysis** (विभिन्न गतिविधिवार) को ध्यान में रखा जाना चाहिये। बजट का आवंटन उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर किया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त बजट के माध्यम से, क्षेत्रीय केन्द्रों को ओर गतिमान बनाने के प्रयास होने चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान बजट गत वर्ष में विभिन्न

इकाईयों द्वारा किये गये व्यय को आधार बनाते हुये बनाया गया है। विकास के लक्ष्य तय तो किये गये है किन्तु उनका क्रियान्वयन बाह्य स्रोतों से उपलब्ध आर्थिक अनुदान के आधार पर ही सम्भव होगा।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से 30 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण एवं वर्ष 2004-2005 के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। अनुमोदित बजट "परिशिष्ट-बी" पर संलग्न है।

(b) वर्ष 2002-03 की C.A. Audit Report एवं उसकी पालना प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की। माननीय सदस्यों ने ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाई अग्रिम राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की आवश्यकता जताई। विशेषकर पॉच अंको में दर्शाई अग्रिम राशि के सम्बन्ध में शीघ्र वसूली पर जोर दिया गया। बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित वित्त अधिकारी ने बताया कि यह अग्रिम अंकेक्षण लेखा वर्ष 2002-2003 से सम्बन्धित है तथा अधिकांश मामलों में इसमें दर्शायी गई अग्रिम राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

वर्ष 2003-2004 की लेखा अंकेक्षणों में स्थिति में सुधार स्पष्ट हो सकेगा। माननीय सदस्यों ने श्री बी.पी.सिंह से व्यक्तिगत सम्पर्क कर वसूली की कार्यवाही पर जोर दिया गया और कहा कि इस बात को भी दिखाया जाये कि पीडीआर के अन्तर्गत बकाया अग्रिमों की वसूली की जा सकती है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये गये अग्रिमों की वसूली उनको नोटिस जारी कर करें। यदि एक माह में अग्रिमों का समायोजन/राशि जमा नहीं कराते है तो उनके वेतन में से तीन समान किश्तों में कटौती करने की कार्यवाही की जावे।

ऑडिट रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। C.A. Report एवं अनुपालना क्रमशः परिशिष्ट-"सी" और "डी" पर संलग्न है।

(c) वित्त समिति के निर्णय संख्या 30/8 के क्रम में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा पुर्नभरण के नियम (परिशिष्ट-3) पर अवलोकनार्थ एवं विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति के निर्णय सं0 30/8 पर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा पुर्नभरण नियमों का अनुमोदन किया गया। अनुमोदित परिशिष्ट "इ" पर संलग्न है।

संलग्न

59/4

विश्वविद्यालय के विकास एवं कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में दस्तावेज विजन 2010 अवलोकनार्थ।


विश्वविद्यालय के विकास एवं कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा "विजन 2010" तैयार कर सभी सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका था। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं प्रो. अनाम जैटली द्वारा कुछ सुझाव भेजे गये हैं। अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सुझावों का अध्ययन कर दस्तावेज में उचित परिवर्तन कर दिये जायेंगे।

59/5

कुलपतियों को दिये गये टर्मिनल बेनिफिट के सम्बन्ध में प्रस्तावित स्टेच्युट अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

कुलपतियों को दिये जाने वाले टर्मिनल बेनिफिट के सम्बन्ध में स्टेच्युट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया एवं विश्वविद्यालय के एक्ट के स्टेच्युट 1 (5) डी के अनुसार कुलाधिपति महोदय को अनुमोदन हेतु भिजवाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अनुमोदित स्टेच्युट परिशिष्ट-"एफ" पर संलग्न है।

आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

प्रबन्ध मण्डल की 58वीं बैठक दिनांक 24.5.04 के पालनार्थ बिन्दुओं का अनुपालना प्रतिवेदन

मद संख्या	लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण	की गई पालना
58/1	प्रबन्ध मण्डल की 57वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर प्राप्त आपत्तियों पर चर्चा के उपरान्त बिन्दु संख्या 57/12.3 में संशोधन बाबत निर्णय।	किये गये संशोधन के क्रम में परिपत्र जारी कर प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों एवं पूर्व सदस्य श्री रामसूरत जी को उसकी प्रति प्रेषित कर दी गई है।
58/2.1 एवं 2.2	प्रबन्ध मण्डल एवं अन्य वैधानिक समितियों की बैठके शीघ्र करवाने एवं वर्ष 2004-05 में होने वाली विभिन्न वैधानिक समितियों की बैठकों के लिये कैलेण्डर तैयार करवाने बाबत।	वर्ष 2004-05 में होने वाली वैधानिक समितियों की बैठकों का सम्भावित कैलेण्डर संलग्न है।
58/2.3	दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रदत्त अनुदान लौटाये जाने की जांच के सम्बन्ध में।	अनुदान लौटाये जाने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
58/2.4	विश्वविद्यालय कुलपतियों को टर्मिनल बनेफिट दिये जाने बाबत निर्णय।	राज्य सरकार के आदेश को Statute के रूप में अलग से बिन्दु संख्या 59/5 के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।
58/2.5	निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सीएएस का लाभ दिये जाने बाबत।	राज्य सरकार को पुनः प्रकरण भेजे जाने हेतु तैयारी की जा रही है।
58/2.6	विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राजस्थान पेंशन नियमों में वर्णित अधिकतम आयु सीमा बाबत।	प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक के निर्णय संख्या 57/9 द्वारा पेंशन नियम 1956 के उपनियम 62/2 के अन्तर्गत देय परिलाभों में वर्णित अधिकतम आयु 65 वर्ष के स्थान पर 67 वर्ष करने के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी नहीं किये गये थे। अतः 58वीं बैठक के निर्णयानुसार प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक के निर्णय (57/9) को बदलने के क्रम में किसी नवीन आदेश की आवश्यकता नहीं है।
58/2.7	आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधन बाबत।	आशुलिपिकों के वेतन के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) के अनुसार राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की

58/7	प्रा. जी.एस.एल. दवडा की दा-दा पत्नियों होने की शिकायत बाबत।	प्रारम्भिक जांच की जा रही है।
58/9	विश्वविद्यालय कर्मचारियों हेतु प्रतिनियुक्ति के नियम बनाने बाबत।	प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित प्रतिनियुक्ति के नियमों की जानकारी हेतु अन्य विश्वविद्यालयों (राजस्थान विश्वविद्यालय, अजमेर विवि, उदयपुर विवि, बीकानेर कृषि विवि) को पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं, उक्त पत्रों के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। प्राप्त होने पर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
58/12	पुराने रेकार्ड के निस्तारण बाबत।	पुराने रेकार्ड के निस्तारण के नियमों की जानकारी करने हेतु इग्नू को पत्र प्रेषित किया गया है। इग्नू से नियम प्राप्त होने के पश्चात उन्हें विश्वविद्यालय में लागू करने की कार्यवाही की जायेगी।
58/13	वर्ष 2003-04 के वार्षिक प्रतिवेदन में बदलाव करने बाबत।	वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

वर्ष 2004-05 में होने वाली विभिन्न वैधानिक समितियों की बैठकों का कैलेंडर

दिनांक/माह	प्रस्तावित बैठकें
26.06.04	प्रबन्ध मण्डल की बैठक
जुलाई, 2004	विद्या परिषद की बैठक
अगस्त, 2004	आयोजना मण्डल की बैठक
सितम्बर, 2004	प्रबन्ध मण्डल की बैठक
अक्टूबर, 2004	वित्त समिति की बैठक (छः माही बजट पुर्ननिर्धारण हेतु)
नवम्बर, 2004	विद्या परिषद की बैठक
दिसम्बर, 2004	प्रबन्ध मण्डल की बैठक
जनवरी, 2005	आयोजना मण्डल की बैठक
फरवरी, 2005	वित्त समिति की बैठक (आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट के अनुमोदन एवं चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के पुनरावलोकन हेतु)
मार्च, 2005	विद्या परिषद की बैठक
मार्च, 2005	प्रबन्ध मण्डल की बैठक



परिशिष्ट-वी

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
ABSTRACT OF INCOME & EXPENDITURE AT A GLANCE
I N C O M E

S.No.	Head of Accounts	(Rs. in lacs)			
		Actual 2002-03	B.E. 2003-04	R.E. 2003-04	B.E. 2004-05
1	NON-PLAN	350.00	350.00	350.00	350.00
2	PLAN	1.00	5.00	5.00	5.25
3	U.O.S.	315.48	313.00	390.50	350.26
4	Other Funding Agency				
	(A) DEC Development Grant	0.00	0.00	50.00	80.00
	(B) DEC Un-Assigned Grant	0.00	5.50	5.50	5.50
	TOTAL	666.48	673.50	801.00	791.01

EXPENDITURE

S.No.	Head of Accounts				
		Actual 2002-03	B.E. 2003-04	R.E. 2003-04	B.E. 2004-05
1	NON-PLAN	349.96	350.00	350.00	350.00
2	PLAN	1.00	5.00	5.00	5.25
3	U.O.S.	184.94	313.00	388.99	350.26
4	Other Funding Agency				
	(A) DEC Development Grant	0.00	0.00	50.00	80.00
	(B) DEC Un-Assigned Grant	0.00	5.50	5.50	5.50
	TOTAL	535.90	673.50	799.49	791.01

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY. KOTA
(UNIVERSITY'S OWN SOURCES)
I N C O M E

(Rs. in Lacs)

CODE No.	HEAD OF INCOME	Actual 2002-03	B.E. 2003-04	R.E. 2003-04	B.E. 2004-05
1001	Registration Fee	3.50	5.00	3.24	3.26
1002	Course Fee	224.39	190.00	268.46	233.00
1003	Examination Fee	6.13	66.30	72.16	75.00
1004	Development Fee	2.08	2.00	1.10	2.00
1005	Sale of Forms & Material	1.39	1.25	8.10	8.00
1006	Misc. Fee & Receipts	1.70	1.10	1.65	1.65
1007	Interest on Deposits	73.98	45.00	34.13	25.00
1008	Quarter Rent	0.34	0.35	0.31	0.35
1009	Light & Water Charges	1.97	2.00	1.35	2.00
	Total	315.48	313.00	390.50	350.26

EXPENDITURE

(Rs. in lacs)

CODE No.	HEAD OF EXPENDITURE	Actual 2002-03	B.E. 2003-04	R.E. 2003-04	B.E. 2004-05
000	Other Expenditure	154.72	226.50	228.34	257.01
060	Provisions	28.21	78.25	154.25	88.25
060	Capital Expenditure	2.01	8.25	6.40	5.00
	Grand Total	184.94	313.00	388.99	350.26

024	V.C. Hospitality				
025	Convocation	0.10	0.30	0.07	0.30
026	Repair & Maintenance of Building & Plantation	0.20	3.50	3.75	3.20
027	Maintenance of Guest-House	1.38	8.00	4.03	5.20
028	Binding of Documents	0.14	0.15	0.11	0.15
029	Confidential Exp. (Exam)	0.20	0.20	0.25	0.30
030	Examination Centre Charges	4.85	7.40	9.92	8.00
031	Remuneration Charges	15.75	18.00	18.00	15.00
032	Evaluation of Assignments	4.60	3.79	4.45	8.30
035	Purchase of Paper	3.76	4.39	2.40	2.72
037	Printing	0.00	15.00	13.30	20.00
038	Computer Job Work	2.17	11.03	21.30	17.06
039	Maintenance of Study Centre	0.00	0.01	0.01	0.01
040	Opening of New Study Centres	10.62	12.15	14.42	13.40
046	Games & Tournaments	0.00	0.01	0.01	3.00
047	Matching Share of Un-Assigned Grant	0.00	0.10	0.10	0.10
051	Insurance Charges	0.05	2.50	0.22	2.00
053	Internet Charges	0.92	1.25	0.92	1.25
054	Repair of Furniture & Equipments	0.07	0.19	0.13	0.38
055	Contractual Services	0.67	1.01	0.61	1.70
056	Decorative Exp.	1.08	0.01	0.01	0.01
058	Refund of Fee	0.08	0.75	0.42	0.50
072	Conduct of Pre. B.Ed Ent. Test	0.06	0.10	0.24	0.00
101	Pay & Allowances	0.00	0.00	1.12	1.50
114	Light & Water Charges	42.40	70.31	66.50	80.00
115	Security Guard	0.00	0.00	0.03	0.03
116	Rent of Building	0.00	0.00	0.26	0.72
118	Hired Vehicle Charges	3.40	3.47	2.08	2.08
119	Membership Fee	0.13	0.40	0.01	0.01
121	Annual Maintenance Charges	0.29	1.25	0.86	1.00
122	Legal Exp.	0.20	0.20	0.15	1.00
123	Psychological Lab Exp For B Ed Students	0.00	0.00	0.00	0.50
124	Student Support Services	0.00	0.00	0.00	0.20
	Total:	154.72	226.50	228.34	257.01

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

Budget Estimates for the Year 2004-05 and Revised Estimates for the Year 2003-04

Abstract of Non-Plan & University Own Sources At a Glance

(Rs. in lacs)

Code No.	Head of Expenditure	Actuals 2002-03	B.E. 2003-04	R.E. 2003-04	B.E. 2004-05
Non-Plan					
101	Pay & Allowances	325.00	325.00	325.00	325.00
104	T.A. & D.A.	1.99	2.00	1.83	
105	Medical Re-imburement	2.96	3.00	3.00	
111	Books & Periodicals	2.49	2.50	2.50	
112	Liveries	1.00	1.00	1.00	
114	Light & Water Charges	7.06	7.00	6.98	
115	Security Guard	8.02	8.00	8.18	
118	Hired Vehicle Charges	1.00	1.00	0.30	
119	Legal Exp.	0.44	0.50	1.21	
Total:		349.96	350.00	350.00	350.00

University Own Sources

004	T.A. & D.A.	0.00	0.28	0.35	
005	Medical Re-imburement	3.78	4.34	5.38	
006	Contengencies	4.09	5.30	4.40	
007	Telephone Charges	4.51	4.49	4.86	
008	Postage & Telegram	8.85	8.87	10.74	
009	Stationery	3.82	4.05	4.13	
010	Meeting Expenses	2.40	4.30	3.20	
011	Books & Periodicals	5.36	5.45	5.44	
012	Liveries	0.19	0.20	0.04	
013	Re-imburement of Tution Fee	3.26	3.55	2.95	
014	Light & Water Charges	7.48	7.62	6.83	
015	Security Guard	1.51	2.28	0.24	
017	Running & Maintenance of Vehicle	3.79	3.80	3.82	
020	Publicity & Advertisement	6.11	6.20	10.24	
022	Audit Fee	6.45	0.30	0.04	

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

Budget Estimates for the Year 2004-05 and Revised Estimates for the Year 2003-04

Provisions for Fund A/c & Capital Expenditure (University Own Source)

(Rs. in lacs)

Code No.	Head of Expenditure	Actuals 2002-03	B.E. 2003-04	R.E. 2003-04	3.E. 2004-05
A- Provisions					
002	Provisions of Pension	8.00	8.00	25.00	15.00
065	Provisions for Building Fund	0.00	50.00	45.00	15.00
066	Provisions for Corpus Fund	4.00	4.00	20.00	20.00
067	Provisions for Technology Fund	5.00	5.00	5.00	10.00
068	Campus Development Fund	5.00	5.00	5.00	5.00
069	H.B.A. Fund	4.00	4.00	5.00	5.00
070	Staff Welfare Medical Fund	1.96	2.00	10.00	3.00
071	Staff Welfare Fund	0.25	0.25	0.25	0.25
073	Gratuity Fund	0.00	0.00	25.00	10.00
074	Pensioner Medical Fund	0.00	0.00	14.00	5.00
Total: "A"		28.21	78.25	154.25	88.25
B- Capital Expenditure					
061	Desert Cooler/Water Cooler	2.01	1.25	1.00	1.00
062	Purchase of Furniture & Equipments	0.00	1.00	0.17	2.50
063	Purchase of Zerox	0.00	1.00	0.01	1.00
064	Purchase of AC	0.00	0.00	0.00	0.50
072	Purchase of New Car	0.00	5.00	5.22	0.00
Total: "B"		2.01	8.25	6.40	5.00
Grant Total of "A+B"		30.22	86.50	160.65	93.25

UNIVERSITY OF JAYPUR OPEN UNIVERSITY, UJA
 Budget Estimates for the Year 2004-06 and Revised Estimates for the Year 2003-04
Unit-Wise Abstract of Non-Plan & University Own Sources
 (Rs. in lacs)

Code No.	Head of Expenditure	Actuals 2002-03	B.E. 2003-04	R.E. 2003-04	B.E. 2004-05
Non-Plan					
01	Vice-Chancellor Sectt.				
02	Registrar Office	0.35	0.46	0.35	0.41
03	Accounts & Finance Wing	15.89	16.11	15.99	15.77
04	Examination	325.36	325.36	325.43	325.54
06	Science & Technology	0.39	0.42	0.38	0.42
07	Central Library	0.10	0.12	0.12	0.13
08	Material Production & Distribution	2.59	2.63	2.63	2.63
09	Admission	0.72	0.57	0.59	0.57
10	Student Affair Cell	0.22	0.21	0.21	0.21
11	Regional Services	0.04	0.00	0.00	0.00
12	Regional Centre, Ajmer	0.17	0.17	0.13	0.16
13	Regional Centre, Bikaner	0.55	0.55	0.55	0.55
14	Regional Centre, Jaipur	0.59	0.59	0.59	0.59
15	Regional Centre, Jodhpur	0.99	0.90	1.24	1.14
16	Regional Centre, Kota	0.58	0.56	0.56	0.58
17	Regional Centre, Udaipur	0.36	0.20	0.17	0.18
18	STRIDE	0.59	0.60	0.50	0.56
19	Guest-House	0.04	0.04	0.04	0.04
20	School of Humanities & Social Science	0.00	0.02	0.01	0.01
21	School of Countuning Education	0.17	0.17	0.16	0.17
22	School of Commerce & Management	0.12	0.15	0.14	0.14
23	Research Cell	0.11	0.12	0.13	0.13
24	Planning & Development	0.03	0.03	0.03	0.05
	Total:	0.00	0.02	0.05	0.02
		349.96	350.00	350.00	350.00
University Own Sources					
01	Vice-Chancellor Sectt.				
02	Registrar Office	6.76	9.50	6.70	3.99
03	Accounts & Finance Wing	24.86	32.55	30.09	34.31
04	Examination	50.80	72.07	68.57	85.55
05	EMPC	28.99	33.09	38.38	38.03
06	Science & Technology	0.00	0.00	0.17	0.28
07	Central Library	0.45	0.61	0.61	0.48
08	Material Production & Distribution	5.84	5.99	6.16	6.21
09	Admission	6.96	31.68	40.54	42.92
10	Student Affair Cell	1.28	1.37	1.06	1.13
11	Regional Services	0.38	0.00	0.00	0.00
12	Regional Centre, Ajmer	1.11	1.19	0.61	4.99
13	Regional Centre, Bikaner	3.32	3.98	4.89	4.98
14	Regional Centre, Jaipur	3.19	3.58	3.40	4.38
15	Regional Centre, Jodhpur	6.82	9.65	11.21	9.24
16	Regional Centre, Kota	3.06	3.68	3.89	4.33
17	Regional Centre, Udaipur	5.96	6.80	4.44	4.82
18	STRIDE	2.65	6.65	4.40	7.19
19	Guest-House	0.24	0.26	0.26	0.30
20	School of Humanities & Social Science	0.19	0.30	0.26	0.33
21	School of Countuning Education	0.50	0.89	0.81	0.86
22	School of Commerce & Management	0.23	0.94	0.30	0.78
23	Research Cell	0.80	1.03	0.99	0.98
24	Planning & Development	0.31	0.36	0.39	0.47
25	School of Science & Technology	0.02	0.29	0.17	0.22
	Total:	0.00	0.04	0.04	0.24

VARDHAMAN MAHAVEER
OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD
KOTA



AUDIT REPORT
2002-2003

AUDITORS

M/S. B. VISHAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
79, Shopping Centre, Kota

Phone No.: 2362144, 2364300

24

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
Rawatbhata Road, Kota

Indexing of Balance Sheet As on 31st March, 2003

Particulars	Schedule No.	Page No.	Balance Sheet Grouping Page No.
Audit Report	-	1	-
Balance Sheet	-	2	-
Income & Expenditure A/c	-	3	47 to 50
General Fund	I	4	-
Current Liabilities	II	5	29 to 33
Unutilized Grant	III	6 to 9	-
Fixed Assets	IV	10 & 11	34
Loans & Advances	V	12	35 to 42
Funds	VI	13	-
Misc. Current Assets	VII	14	-
Investments	VIII	15	43 & 44
Cash & Bank	IX	16	45 & 46
Payment Provision for Employees	X	17	-
Administrative Exp.	XI	18	-
Educational Exp.	XII	19	-
Misc. Exp.	XIII	20	-
Grant Income & Collection of Fees	XIV & XV	21	-
Other Income	XVI	22	-
Audit Notes & Notes on Accounts	XVII	23 to 28	-
Compliance Report		51 to 57	

25

B. VISHAL & CO.

Chartered Accountants

79, Shopping Centre, Kota - 324 007

Phone No. (O) 2362144
2364300

AUDIT REPORT

The Members of the Board of Management,
THE VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, Kota [Raj.]

We have audited the attached Balance Sheet as on 31st March 2003 and Income & Expenditure A/c for the year ended 31st March 2003 of THE VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA annexed there to and report that -

Subject to our Audit Notes and Notes on Accounts enclosed in Schedule-XVII, being part of Audit Report, we report that:-

i] We have obtained all the information and explanations which is to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of Audit.

ii] In our opinion proper Books of Accounts have been maintained by the University so far appear from our examinations of such books.

iii] The Balance Sheet & Income and Expenditure A/c referred to in this report are in agreement with Books of Accounts.

iv] In our opinion and to the best of our information's and according to the explanations given to us and subject to the Audit notes and Notes on Accounts referred in Schedule-XVII, the said accounts given a true and fair view.

v] In the case of Balance Sheet of the state of affairs as at 31st March 2003:

vi] In the case of Income and Expenditure account of the surplus for the year ended on 31.3.2003.

For **B. Vishal & Co.**
Chartered Accountants


[B. V. Maheshwari]
Partner

Place: Kota
Date: 11.05.2004

15

KAWATIBHATA ROAD, KOTA


BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2003

LIABILITIES	Sch.	Figures in Rupees		
		Current Year	Previous Year	Assets
General Fund	I	229,338,282.54	190,214,113.43	Fixed Assets
Current Liabilities & Provisions	II	1,750,280.50	10,820,304.50	Loans & Advances
Un-utilized Grants	III	35,002,696.09	44,568,261.59	Funds
				Misc. Current Assets
				Investments
				Cash & Bank
Total		266,091,259.13	245,602,679.52	Total
				IX
				266,091,259.13
				245,602,679.52

26

10

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE
 For B. VISHAL & COMPANY
 CHARTERED ACCOUNTANTS



(B. V. VISHESHWARI)
 PARTNER

PLACE: KOTA
 DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B/L. Kothari)
 REGISTRAR

(G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
 RAWATBHATA ROAD, KOTA


INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2003

PARTICULARS	Sch.	[Figures in Rupees]	
		Current Year	Previous Year
To Payment to & Provision for Employees	X	38,215,489.00	38,171,970.50
To Administrative Exp.	XI	4,591,311.60	3,745,813.62
To Educational Exp.	XII	5,913,068.00	9,822,714.75
To Misc. Exp.	XIII	1,336,484.55	2,070,577.13
To Refund of Fees		13,824.00	339,073.00
To Surplus (transferred in General fund)		16,056,249.11	14,256,641.44
Total		66,126,426.26	68,406,790.44
By Grants Received	XIV	35,100,000.00	36,875,000.00
By Income from XV Collection of Fees		23,818,275.00	27,485,719.96
By Other Income	XVI	7,208,151.26	4,046,070.48
Total		66,126,426.26	68,406,790.44

27

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For B. VISHAL & COMPANY
 CHARTERED ACCOUNTANTS



FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

17

SCHEDULE-1
General Fund

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Opening Balance as per Balance Sheet	190,214,113.43	173,964,052.99
Add: Provision for Building Fund	9,500,000.00	
Capital Expenditure under DEC	11,725,083.00	1,993,419.00
<u>Add: Grant Transferred</u>		
State Govt. Grant (P/D A/c No.58)		
during the yr. 2001-02	1,667,669.00	
during the yr. 2002-03	175,168.00	
	<u>1,842,837.00</u>	
Add: Surplus during this year		
[As per Income & Expenditure Account]	16,056,249.11	14,256,641.44
	<u>229,338,282.54</u>	<u>190,214,113.43</u>

28

18

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For **B. VISHAL & COMPANY**
CHARTERED ACCOUNTANTS



PLACE: KOTA
DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B.L. Kothari)
(B.L. Kothari)
REGISTRAR

(G.S. Gupta)
(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-II

Current Liabilities & Provisions

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Stale Cheques (Refund of Fees A/c)	125,510.00	121,750.00
Provision for Building Fund	-	9,500,000.00
Earnest Money	391,046.00	427,846.00
Regional Centre, Jaipur	38,656.00	38,656.00
Security Deposits	583,366.00	681,929.00
Stale Cheques	-	9,767.00
UCO Bank, New Delhi (R. C. Jaipur)	32,538.50	32,538.50
State Insurance claim payable	1,719.00	6,099.00
Outstanding payment of daily wages (Court case)	1,900.00	1,719.00
Caution Money	575,545.00	-
Accrued Intt. (on Funds)	-	-
Total	1,750,280.50	10,820,304.50

19

29

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For B. VISHAL & COMPANY

CHARTERED ACCOUNTANTS



PLACE: KOTA

DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAH. AVEER OPEN UNIVERSITY

(B.L. Kothari)
REGISTRAR

(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

Particulars	In Rupees	
	Current Year	Previous Year
<u>U.G.C. Planning & Admn (P.K. Sahoo)</u>		
Opening Balance	226,050.00	
Less: Expenditure		226,050.00
<u>D.E.C. Grant for net working</u>		
Opening Balance	513,750.70	
Less: Expenditure		513,750.70
<u>D.E.C. Development Grant</u>		
Opening Balance	35,543,051.90	
Add: Received during the year		
Less: Expenditure	27,924,271.40	35,543,051.90
<u>U.G.C. Major Research Project (R.K. Jain)</u>		
Opening Balance	150,000.00	
Less: Expenditure		150,000.00
<u>D.E.C. Research Project 96-97 </u>		
Opening Balance	20,133.00	
Less: Expenditure		20,133.00

20



JAIN VA A ER PLE C. J. J. J. J.
 RAWATBHATA ROAD, KOTA

Particulars	Current Year	Previous Year
<u>D.E.C. Down Link Facility</u>		
Opening Balance	245,890 00	
Less: Expenditure	245,890 00	245,890 00
<u>Political Science Seminar [90-91]</u>		
Opening Balance	6,368 60	
Less: Expenditure	6,368 60	6,368 60
<u>Govt. of India Grant [MC & MP]</u>		
Opening Balance	24,000 00	
Less: Expenditure	24,000 00	24,000 00
<u>Grant From Asian University, Thailand</u>		
Opening Balance	16,911.00	
Less: Expenditure	16,911.00	16,911.00
<u>D.E.C. Unassigned Grant</u>		
Opening Balance	1,743,812.04	
Less: Expenditure	1,632,761.04	1,743,812.04

31

21



Opening Balance 5,328.00
 Less: Expenditure

5,328.00 5,328.00

U.G.C. Major Research Project (B.K. Sharma)

Opening Balance 153,639.35
 Less: Expenditure 5,397.00

148,242.35 153,639.35

U.G.C. Major Research Project (L.N. Gupta)

Opening Balance 25,240.00
 Less: Expenditure

25,240.00 25,240.00

UGC Grant (Dr. Y.A.Khan)

Opening Balance 86,270.00
 Add: Addition during the year

86,270.00 86,270.00

DEC Research Project (Dr. Mrs. S.Singhvi)


Opening Balance 55,000.00
 Add: Addition during the year

55,000.00 55,000.00

DEC Research Project (Dr. M.K. Ghadoliya)

Opening Balance 75,000.00
 Add: Addition during the year

75,000.00 75,000.00



THE VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
 RAWATBHATA ROAD, KOTA

Particulars	Current Year	Previous Year
Grant from ICHR		
Recd. during the year	36,500.00	
Less: Expenditure	26,000.00	10,500.00
Grant from ICSSR		
Recd. during the year	38,000.00	
Less: Expenditure	36,000.00	2,000.00
Grant from State Govt. (P/D A/c 58)		
Recd. during the year (2001-02)	5,677,817.00	
Less: Payment (2001-02)	1,667,669.00	
Payment (2002-03)	175,168.00	5,677,817.00
	3,834,980.00	
	35,002,696.09	44,568,261.59

Note:- The provisions & outstanding liabilities have been adjusted in respective grant A/c.

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

FOR **B. VISHAL & COMPANY**
 CHARTERED ACCOUNTANTS

(B. V. MAHESHWAR)
 PARTNER
 PLACE: KOTA

(B/L. Kothari)
 REGISTRAR

(G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2003
FIXED ASSETS

SN	Particulars	Opening Balance 1.4.2002	Addition during the year		Closing Balance [31.3.2003]	
			From Plan A/c	From Non Plan and Own Resources		
1-	Building A/c	39,095,455.37	102,000.00	9,065,000.00	48,262,455.37	
2-	Land A/c	730,162.10	-	-	730,162.10	
3-	Vehicle A/c	1,718,061.30	-	-	1,718,061.30	
4-	Furniture & Fixtures	5,715,978.33	-	400,109.00	6,116,087.33	
5-	Audio, Vedio & Visual	1,241,081.32	-	7,615,078.00	8,856,159.32	
6-	Zerex Machines	1,899,529.87	-	23,000.00	1,922,529.87	
7-	Office Equipments	300,529.54	-	-	300,529.54	
8-	Computers, Accessories & Software	9,067,400.25	-	-	9,067,400.25	
9-	Computers Laboratory	419,923.75	-	-	419,923.75	
10-	Air Conditioners	158,773.00	-	-	158,773.00	
11-	Books	10,124,169.25	-	748,335.00	11,359,400.25	
12-	Desert Coolers	230,386.64	-	201,142.00	431,528.64	
13-	Generators	25,967.00	-	-	25,967.00	
14-	Duplicating Machine	37,730.00	-	-	37,730.00	
		70,765,147.72	102,000.00	10,014,477.00	8,525,083.00	89,406,707.72

39

24



VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
 RAWATRHATA ROAD KOTA

SN	Particulars	Opening Balance 1.4.2002	Addition during the year		Closing Balance [31.3.2003]
			From Plan A/c	From Non Plan and Own Resources From D.E.C.	
15-	Franking Machine	59,575.00	-	-	59,575.00
16-	Typewriter Machine	188,320.00	-	-	188,320.00
17-	Rezeography	529,000.00	-	-	529,000.00
18-	Telex Terminal Printer	20,400.00	-	-	20,400.00
19-	E.P.A.B.X	1,343,362.00	-	-	1,343,362.00
20-	Refrigerators	8,710.00	-	-	8,710.00
21-	Cease Fire	29,250.00	-	-	29,250.00
22-	Fax Machines	248,714.50	-	-	248,714.50
23-	Water Cooler	251,980.00	-	-	251,980.00
24-	Sixteen Downlink Facility	-	-	3,200,000.00	3,200,000.00
	Total	73,444,459.22	102,000.00	10,014,477.00	11,725,083.00
					95,286,019.22

35

25

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For B. V. GUPTA & COMPANY

CHARTERED ACCOUNTANTS

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B. V. GUPTA PARTNER)
 PARTNER

(B.L. Kothari)
 REGISTRAR

(G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

PLACE: KOTA
 DATE: 11.05.2004

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-V

Loans & Advances

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
LOANS :		
Food Grain Advance	13,898.00	13,898.00
Festival Advance	9,045.00	9,045.00
TOTAL (A)	22,943.00	22,943.00

Advances

Advances from own sources	7,435,516.91	6,981,893.01
Advances for Capital Work	53,748,623.46	54,415,623.46
TOTAL (B)	61,184,140.37	61,397,516.47
TOTAL (A + B)	61,207,083.37	61,420,459.47

38

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For **B. VISHAL & COMPANY**
CHARTERED ACCOUNTANTS


(B. V. VISHAL & COMPANY)
PARTNER

PLACE: KOTA

DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B. I. Kothari)

REGISTRAR


(G. S. Gupta)

FINANCE OFFICER

37
VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-VI

Fund Allocated

[In Rupees]


Particulars	Opening Balance	Addition / Transfer	Closing Balance
Conveyance Advance Fund	3,400,000.00	-	3,400,000.00
V.C. Discretion Fund	451,372.00	-	451,372.00
House Building Advance Fund	7,500,000.00	400,000.00	7,900,000.00
Staff Welfare Fund	485,000.00	25,000.00	510,000.00
Pension Fund	2,100,000.00	1,100,000.00	3,200,000.00
Gratuity Fund	1,048,000.00	-	1,048,000.00
Replacement Fund	150,000.00	(150,000.00)	-
Student Aid Fund	45,000.00	(45,000.00)	-
Hazard Fund	202,250.00	-	202,250.00
P.F. Fund	-	175,168.00	175,168.00
	15,381,622.00	1,505,168.00	16,886,790.00

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For **B. VISHAL & COMPANY**
 CHARTERED ACCOUNTANTS

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B. V. MAHESHWARI)
 PARTNER
 PLACE: KOTA
 DATE: 11.05.2004



(B.L. Kothari)
 REGISTRAR

(G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

Balance
000.00
372.00
0.00
0.00
000.00
000.00
250.00
100.00
790.00

37

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-VII
Miscellaneous Current Assets
[In Rupees]

Particulars	[In Rupees]	
	Current year	Previous year
DD Return from Bank	3,090.00	3,790.00
Cheque Cancelled	4,895.00	4,895.00
	<u>7,985.00</u>	<u>8,685.00</u>

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For B. VISHAL & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS



(B. V. MATHUR)
PARTNER

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B. L. Kothari)
REGISTRAR

(G. S. Gupta)
FINANCE OFFICER

PLACE: KOTA
DATE: 11.05.2004

VARDHAMAN MAHA VEER OPEN UN. VLRS, D
RAWATBIHATA ROAD, KOTA

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-VIII

[In Rupees]

Particulars	Current year	Previous year
Fixed Deposit with Banks	67,054,216.00	60,937,451.00
Telephone security Deposit with DOT	159,000.00	159,000.00
	67,213,216.00	61,096,451.00

39

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For B. VISHAL & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS



(B. V. MAHESHWARI)
PARTNER

PLACE: KOTA
DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY

(B.L. Kothari)
REGISTRAR

(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER


SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-IX

Cash at Bank and Cash in Hand

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Cash at Bank (un operated UCO Bank Shopping Centre, Kota)	1,697.10	60,969.62
N.P. S.B. 2193	19,975,132.48	13,070,010.60
P.D.	370,800.00	10,317,000.00
Interest bearing P.D.	10,000.00	10,000.00
S/D S.B. 3007.	96,607.00	491,970.00
D.E.C. S.B. 4036	1,201,449.14	1,998,818.64
Building Account 3779	463,200.24	3,063,200.24
OBC C/D A/c No.971	(2,488,922.75)	(1,309,806.60)
Technology Fund	550,000.00	200,000.00
Staff Medical Welfare Fund	207,884.00	516,903.00
Compus development A/c	572,257.00	131,465.00
P.D.Account A/c No.58	3,834,980.00	4,010,148.00
Corpus Fund	450,000.00	200,000.00
Imprest [Units]	187,000.00	175,000.00
Plan A/c 2194	31,352.61	1,290,175.61
Student Aid Fund	1,000.00	-
Replacement Fund	1,000.00	-
Total 'A'	25,465,436.82	34,225,854.11
Cash in Hand [Unoperated] :-		
At Jaipur	11450.15	
At Bikaner	3,249.17	
At Udaipur	2,413.59	
At Jodhpur	6,744.54	
At Ajmer	841.27	
Cash as per Cash Book	24,698.72	24,698.72
	30.00	450.00
Total 'B'	24,728.72	25,148.72
Total [A + B]	25,490,165.54	34,251,002.83

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE



For B. VISHWESHWARANI
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 KOTA
 (B. V. VISHWESHWARANI)
 PARTNER
 PLACE: KOTA
 DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(H.L. Kothari)
 REGISTRAR
 (G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY,
RAWATBHATA ROAD, KOTA

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-X

Payments & Provisions for Employees

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Pay and Allowances A/c	36,739,820.00	36,665,269.50
Reimbursement of Tuition Fees A/c	325,305.00	285,880.00
Medical Reimbursement A/c	834,196.00	846,620.00
T.A./D.A. A/c	197,268.00	280,569.00
Uniforms / Leverages A/c	118,900.00	93,632.00
	38,215,489.00	38,171,970.50

41

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For B. VISHAL & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

(B. V. MAHESHWARI)
KOTA
CHARTERED ACCOUNTANTS

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B.L. Kothari)
REGISTRAR

(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-XI

Administrative Expenses

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Telephone Expenses	448,584.00	499,671.00
Security Guards	952,932.00	1,028,314.00
Rent of Buildings	339,288.00	345,729.00
Meetings	236,774.00	328,906.12
Audit Fees	644,680.00	32,090.00
Membership Fees	29,000.00	97,060.00
Light & Water Charges	1,454,968.00	1,147,327.00
Contract service to Police	107,500.00	200,000.00
Maintenance of Guest House	13,971.60	30,067.00
Matching Share of Unassigned Grant	4,406.00	36,649.50
Campus Development & Gardening Exp.	359,208.00	
Total	4,591,311.60	3,745,813.62

42

32

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For B. VISHAL & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS



(B. V. MANOJ SHWARI)
PARTNER

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B. L. Kothari)
REGISTRAR

(G. S. Gupta)
FINANCE OFFICER

PLACE: KOTA

DATE: 11.05.2004

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2003
SCHEDULE-XII
Educational Expenses

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Advertisement	612,447.00	1,171,671.00
Internet & Computer Charges	7,100.00	1,958.00
Evaluation of Assignments & thesis	376,104.00	380,881.00
Stationery	384,912.00	308,897.00
Postage & Telegrams	882,239.00	874,263.00
Maintenance of Study Centre	1,043,919.00	1,020,169.00
Printing Charges	217,599.00	628,825.00
Examination Centre Charges	1,543,320.00	2,016,380.75
Remuneration of paper Setters	340,243.00	410,611.00
Purchases of Papers	-	2,531,408.00
Confidential Work	484,875.00	429,614.00
Convocation Expenses	20,310.00	48,037.00
Total	5,913,068.00	9,822,714.75

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For **B. VISHAL & COMPANY**
CHARTERED ACCOUNTANTS



(B. V. MANJESHWARI)
PARTNER
PLACE: KOTA
DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B.L. Kothari)
REGISTRAR

(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

PLACE: KOTA
DATE: 11.05.2004

-19-

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-XIII

Miscellaneous Expenses

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Contingencies	411,378.15	433,800.25
Running & Maintenance of Vehicle	379,026.00	260,992.00
Annual Maintenance Exp. (Zerox, Typewriter Computer)	20,135.00	37,226.00
Repair of Furnitures	65,955.40	24,999.00
Binding Charges	20,161.00	119,450.00
Legal Expenses	51,785.00	171,617.74
V.C. Hospitality	10,248.00	16,758.00
Plantation & Repair of Building	137,519.00	111,370.00
Insurance Charges	91,592.00	91,941.00
Hiring of Taxi Charges	113,414.00	122,616.00
News Paper & Periodicals	35,271.00	405,355.00
Sundry Balance W/Off		274,452.14
Total	1,336,484.55	2,070,577.13

44

34

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For B. VISHAL
VISHAL COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS



(B. V. MAHESHWARI)
PARTNER

PLACE: KOTA

DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B.L. Kothari)
REGISTRAR

(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
AS ON 31ST MARCH 2003
SCHEDULE-XIV

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Grant Income		
<u>Grant in Aid</u>		
Non Plan	35,000,000.00	32,775,000.00
Plan	100,000.00	4,100,000.00
Total	35,100,000.00	36,875,000.00

SCHEDULE-XV

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Income from Collection of Fees		
Course Fees	23,015,589.00	19,876,988.96
Registration Fees	5,000.00	3,100.00
Examination Fees	625,869.00	7,137,088.00
Old Dues Fees	30,319.00	73,966.00
T.C./P.C./M.C.	7,210.00	15,430.00
Marksheet Fees	2,695.00	2,645.00
Sale of Forms	131,593.00	376,502.00
Total	23,818,275.00	27,485,719.96

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE

For **B. VISHAL & COMPANY**
CHARTERED ACCOUNTANTS



(B. V. MAHESHWARI)
PARTNER

PLACE: KOTA

DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

(B.L. Kothari)
REGISTRAR

(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

45

AS ON 31ST MARCH 2003

SCHEDULE-XVI


Other Income

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Interest Received	6,857,243.36	3,609,018.40
Sale of Tender Form	7,750.00	16,730.00
Sale of Waste Paper	-	315.00
Misc. Income	62,372.00	214,077.58
Rental Income	34,425.00	43,643.50
Bus Fare	47,810.00	49,000.00
Library Membership Fees	1,380.00	2,060.00
Recovery of Excess Payments	-	33,184.00
Recovery of Excess Medical Reimbursement	-	590.00
Recovery of Electricity & Water Charges	197,169.00	77,452.00
Sundry Balances W/O	1.90	-
Total	7,208,151.26	4,046,070.48

46

36

AS PER OUR AUDIT REPORT OF EVEN DATE



(B. V. MAHESHWARI)
PARTNER
PLACE: KOTA
DATE: 11.05.2004

FOR: VARDHAMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY

(Signature)
(B. L. Kothari)
REGISTRAR

(Signature)
(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

47

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

YEAR ENDING 31.3.2003

SCHEDULE-XVII

Audit Notes and Notes on Accounts

- 1- Name of the university has been changed from KOTA OPEN UNIVERSITY to VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY as per Gazette notification dtd.21.9.2002 issued by the Governor of Rajasthan as per Letter No.P2/VMOU/VC/2003/1316 dtd.30.11.2003 issued by university to us.
- 2- Basis of Accounting
 - [A] The Books of Accounts are maintained largely on cash system but strictly it is Hybrid System of Accounting because some adjustments are done on Mercantile System.
 - [B] The VMOU is maintaining Books of Accounts on receipt and payment basis, which should be on double entry system, it should be ledgerised properly.
 - [C] The Fixed Assets are stated at cost. The VMOU is not charging depreciation on Fixed Assets. It is suggested that depreciation should be provided as per the rates prescribed in Income-tax Rules 1962, so that actual cost of Fixed Assets can be ascertain.
 - [D] The VMOU informed to have maintained the Books of Accounts as per General Finance & Accounts Rules framed by State Government.
- 3- Revenue / Income Recognition: -

The Fees & other receipts are considered in income when the same is received/deposited in VMOU's Bank A/c, irrespective of the period for which it is received.
- 4- Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary so far made available & explained.
- 5- Contingent Liabilities:-

The VMOU has not provided the contingent liability in relation to court cases and, other claims because these can not be quantified nor ascertained in terms of money. We are informed that there is no unimplemented decision which involve the financial liability.
- 6- Unutilized Grant:-

Grants received for specific purpose and not utilized on the date of Balance Sheet are mentioned in Schedule- III of Balance Sheet as unutilized grants.



VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

7-(a) Stale Cheque / Refund of fees: -

This account shows cheques issued but not presented in bank in previous years. The same should be credited to the concerned account and payment is to be made on proper Authorizations. The pending A/cs should be written off in the reasonably proper time after proper authorization.

During the year the following amounts of stale cheques older than 3 years have been written off and credited in Miscellaneous Income A/c:

Cheque No.	Date	Amount
12906	19/6/98	96.00
306770	31/3/99	381.00
737624	17/7/99	560.00
737637	17/7/99	7500.00
610012	28/8/00	96.00
610014	28/8/00	306.00
610015	28/8/00	288.00
610021	28/8/00	72.00
610029	28/8/00	399.00
610033	29/8/00	63.00
611457	19/12/00	6.00
Total		9,767.00

The VMOU issued cheque & DD for refund of fees to B.Ed. students. Out of that, cheques / DD's of Rs.125510/- (Previous Year Rs.121750/-) have been returned back which are shown under the head Stale cheques (Refund of Fees A/c).

Fixed Assets:-

We are informed that the Fixed Assets register being prepared on the basis of Stock Registers maintained by different unit heads. We observe that there should be a consolidated register for all assets of VMOU with full particulars of location, age, value, in use or not etc. It is suggested that Idle Assets should be categorized with reasons.

The addition of Fixed Assets (which is capitalized during the year) have been verified and certified by appropriate authority of the university.

That the vehicle, machinery, and equipment of EMPC are insured no other fixed assets are insured. That the building, furniture, & books etc. should also be duly insured.

The fixed assets should be depreciated annually. However, we couldn't ascertain the depreciation during the year in lieu of not charging of depreciation in earlier years.



VISHAL & CO. MAHA VEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

- e) Following Advances given for building work are unadjusted thus VMOU has to get the certificate for building work and then capitalize so that the proper amount can be reflected in the Balance Sheet.

<u>S.No</u>	<u>Name of Concern</u>	<u>Amount</u>
1.	RSRDC (Unit-II), Kota	52184523.46
2.	Raj. Avas Vikas Sansthan	564100.00
3.	RSRDC (Unit-V), Kota	1000000.00
		53748623.46

We also suggest to get the balance confirmation & work completion certificate.

- 9- F.D.R.(s)-

The FDR No.280 dtd.17.4.85 of Rs.5000/- in name of Rajasthan University has not been renewed so far necessary action is required in this regard likewise FDR's of Rs.40,000/- relating to the Security Deposits from Suppliers are not renewed since long

- 10- Advances to Staff-

The VMOU has made effective efforts to recover the Staff Advances from their salary. However, this should be speed up in the current year.

- 11- Other Advances

We suggest that effective efforts should be made for recovery & adjustment of all other advances.

- 12- Cash Balances:-

- (a) The cash has been verified by the management at the year end. The management should make the efforts that, at the end of every year the balance of cash at regional centers should be certified and be adjusted in the books of the Head Office accordingly. For this purpose a reconciliation of accounts of the H.O. and Regional centre should be prepared.

- (b) Cash in hand Rs.24698.72 at Regional Centres is shown in cash in hand at Schedule-IX, which is unoperated by since long.

- 13- Current Liabilities:-

Following overdraft account is shown as outstanding since long time it has been pointed out by Auditors to give present status of the following account, thus the following account is subject to confirmation.

- a) UCO Bank, New Delhi (R.C.Jaipur) 32538.50



VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

4- Stamps:-

During this year all the stamps purchased have been treated as an expenditure and stamp register / account is maintained. However, the closing balance should be taken in books for stamps in hand at the year end.

5- Admission Fee:-

Admission fee received from students have not been correlated with the students enrolled during the year and we are informed that the date of start of semester and closing of financial year is different.

6- ITDS:-

a) That in case of payments made to contractors, professionals, salary etc. the VMOU has to deduct ITDS as per I.T.Rules.

The VMOU has not deducted TDS on

- a) Payments made to Police deptt. on security services provided by them
- b) Floating faculty (under DEC development grant)
- c) Payment made to pensioners.

The VMOU is required to improve the system of I.T.D.S. and the concerned person should be trained and updated to the change in the Provisions of the Income Tax Act.

The surplus is not Net Income because so many fees received during the year are being refunded in next year nor the depreciation have been charged; hence the profit can not be ascertained in a given year. The VMOU is required to make the provision of all known liabilities.

That the VMOU is preparing budget and further the revised budget is also prepared, however, the expenditure incurred should be within the budgeted figure. The VMOU has prepared a comparative chart of budgeted figure with actual expenses.

Stores, Stock & Spares:-

We are informed that the stores, stock & spares has not been physically verified by the competent authority during the year.

Interest:

The Interest earned on particular grant should be credited in respective Grant A/c and be utilized for the same purpose for which the grant is received.

That the VMOU got a sum of Rs.5677817/- in last year from government on a/c of UGC scale for payment of arrear to teaching staff. Out of that

26

40




VARDHAMA'S MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Rs.1842837/- (P.Y. Rs.1667669/-) utilized for payments to retired persons, payment of Income-tax etc. out of said P.D. A/c No.58 and the balance Rs.3834980/- is kept in P.D. A/c separately.

- 22-(a) The expenses booked out of advances are mostly relating to earlier years. The VMOU is following this practice, that advances are adjusted on receipt of bill/details of expenditure & duly approved by competent authority.
- (b) The expenses incurred over & above the budget in particular A/c is booked in contingency A/c. It should be booked in respective expenses A/c.
- 23- That the payment made for purchase of papers & other printing material is booked in expenditure however the VMOU should evaluate the stock at the year end but following past practice this is not done. We have taken the figures of stock of papers & as informed to us the stock of papers as on 31.3.2003, 273 RIM valuing Rs.1.42 lacs (31.3.2002 was 3424 RIM valuing Rs.17.03 Lacs).
- 24- Premises given on rent or taken on rent should be periodically revised as per norms & agreements
- 25- That the VMOU purchased Books & Periodicals of Rs.783606/- in own sources. Out of that it has transferred in periodicals Rs.35271/- as revenue expenditure and rest is capitalized in Books A/c i.e. Rs.748335/-.
- 26- The interest received / accrued on specific fund should be credited in said fund A/c during the year the interest on following funds have been taken in Income & Exp. A/c Rs. 1600376.10

S.No.	Particulars	Interest upto 31.03.03		Total
		Earned	Accrued	
1.	Building Fund	973,382	-	973,382
2.	Hazard Fund	-	116,008	116,008
3.	Staff Welfare Fund	-	22,045	22,045
4.	Gratuity Fund	-	4,099	4,099
5.	HBA Fund	-	87,296	87,296
6.	Conveyance Adv. Fund	-	18,225	18,225
7.	Pension Fund	-	326,714	326,714
8.	Campus Dev. Fund A/c	8,153	-	8,153
9.	Staff Medical Welfare Fund A/c	9,239	-	9,239
10.	R.E.M.B.S. Fund A/c	-	1,158	1,158
11.	Corpus Fund	9,840	-	9,840
12.	Technology Fund	6,440	-	6,440
13.	Student Aid Fund	17,777.10	-	17,777.10
	Total	1,024,831.10	575,545	1,600,376.10




VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

- 27- The Cheques prepared but not issued amounts Rs.4895/- DD issued but not used Rs.3090/- be adjusted in respective A/c.
- 28- Audit Fees:-
 Rs.644680/- paid as audit fees during the year. It includes Rs.600400/- which has been paid to the C & AG for the period 1988-89 to 1997-98 from the own sources by VMOU as per sanction given by the State Govt..
- 29- Downlink Facility:-
 During the year Rs.32.00 lacs paid to IGNOU for proving sixteen downlink facility out of DEC Development Grant. The capitalization has been done on the basis of the installation of the equipment and duly authenticated V.No.102 dtd. 12.09.02.
- 30- It is suggested that whenever capital expenditure made out of concerned grant. Then it should be firstly booked in respective Fixed Assets A/c. Thereafter, the same should be adjusted in concerned grant A/c.
- 31- It is observed that VMOU paid the Electric charges on Staff quarters at commercial rate. However, the recovery are made at domestic rate. we suggest that the separate connection should be taken for residential use from Electricity Board.

That the above Audit Notes are part of our Audit Report.

For B. Vishal & Co.
 Chartered Accountants


 (B. V. Maheshwari)
 Partner

PLACE : KOTA
 DATED : 11.05.2004

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
KAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping As on 31.03.2003

Security Deposit (Curr. Liab. - Sch.-II)		Dr.	Cr.
Name of Party	Amount	Amount	
M/s Unique Print Services	41,221.00	-	
M/s Mag Pvt. Ltd. Jaipur	26,767.00	-	
M/s Premier Printing Press Jaipur	49,237.00	-	
M/s Smita Printing Press Jaipur	12,366.00	-	
M/s Diamond Jubilee Press, Ajmer	9,214.00	-	
M/s Sai Baba Offset, Jaipur	1,959.00	-	
M/s S.R.G.Computers	57,950.00	-	
M/s Classic Computers Kota	1,973.00	-	
IGNOU New Delhi	29,509.00	-	
M/s Perfect Security Printers, Delhi	74,123.00	-	
M/s New Print India Pvt. Ltd., New Delhi	35,941.00	-	
M/s Modern Stationers, Kota	279.00	-	
M/s Pheripherals India (P) Ltd., New Delhi	128,334.00	-	
The Pooja, Kota	26,293.00	-	
M/s India Offset Printers, Ajmer	11,745.00	-	
M/s Deva Fine Arts Printers, Delhi	23,986.00	-	
M/s Desh Ki Dharti, Kota	2,034.00	-	
M/s Pitamber Coated Paper Ltd., New Delhi	30,000.00	-	
M/s Rajasthan Communication, Kota	10,000.00	-	
M/s Archana Enterprises, Kota	10,435.00	-	
	583,366.00	-	

FOR VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


 (B.L. Kothari)
 REGISTRAR


 (G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

Earnest Money (Curr. Liab. - Sch.-II)

Name of Party	Amount
M/s Modi Xerox Ltd.	1,000.00
M/s M.M. Enterprises, Kota	5,000.00
M/s Mishra Travels, Kota	10,000.00
M/s Deep Travelling Ag., Kota	5,000.00
M/s Gupta Confectioners, Kota	5,200.00
M/s The Diamond Jubli Press, Ajmer	5,000.00
M/s The Pooja Arts, Kota	10,000.00
M/s R.K. Printers, Kota	2,000.00
M/s Delhi Furnitures, Kota	3,000.00
M/s Vaishali Enterprises, Kota	3,000.00
M/s National Furnitures, Kota	1,000.00
M/s Unique Printing Services, Jaipur	16,000.00
M/s Computech, Delhi	3,000.00
M/s B.R.C. Corporation, Udaipur	3,000.00
M/s Rajasthan Typewriters, Kota	2,000.00
M/s H.C.L. Hewlett, Jaipur	3,400.00
M/s Advanee Electronics, Jaipur	540.00
M/s Wipro Infotech, Jaipur	7,220.00
M/s Computer Typewriter Services	3,000.00
M/s Bhagirath Nandlal, Jaipur	13,500.00
M/s Ankur Agencies, Kota	1,000.00
M/s Basti Ram	40.00
M/s Jain Stationary Mart, Kota	2,500.00
M/s J.P. Calendar, Kota	1,500.00
M/s Patni Printers	500.00
M/s Complact Centres	750.00
M/s Kamla Printers	500.00
M/s Jain Printers & Stationers, Kota	500.00
M/s International Printers	500.00
M/s India Offset Works, Ajmer	5,000.00
M/s Universal Book Distributors	5,000.00
M/s Vandana Electricals Engg. & Cont., Kota	1,450.00
M/s Khandelwal Const. & Co., Kota	1,450.00
M/s Nimish Enterprises, Kota	1,450.00
M/s Agarwal Machinery Store, Baran	1,450.00
M/s S.K. Gupta Const., Kota	1,450.00
M/s Nagar Electric Works, Kota	1,450.00
M/s Bharti Printers, Kota	500.00
M/s Navjyoti Printing Press, Kota	2,550.00

55

VARDHAMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

Earnest Money (Curr. Liab. - Sch.-II)

Name of Party	Amount
M/s Amar Nayak	500.00
M/s Pinkcity Advertising, Jaipur	1,000.00
M/s Shree S.G. Plastics	1,000.00
M/s Rama Enterprises	1,000.00
M/s Shakur Advertising	1,000.00
M/s CMC Ltd., New Delhi	6,146.00
M/s J.K. Shrimati, Jaipur	200.00
M/s P.Kumar & Co.	2,000.00
M/s Ideal Offset Press, Jaipur	10,000.00
M/s Japan Art Press	10,000.00
M/s United Press Delhi	10,000.00
M/s Vijay Associates, Kota	50.00
M/s Jain Industries, Kota	50.00
M/s Jain Enterprises, Kota	50.00
M/s Uma Paper Mills, Lucknow	60.00
M/s Sunil Traders, Ajmer	50.00
M/s A.S. Timbers, Kota	50.00
M/s Shivshakti Enterprises	50.00
M/s Manak Chand Rajendra Kr., Jaipur	4,300.00
M/s Bharti Art Printers, Delhi	10,000.00
M/s Bhanwar Singh	2,000.00
M/s Alcom Computers, Kota	2,000.00
M/s Paras Stationery	2,000.00
M/s Manoj Paper Mart	2,000.00
M/s Medatwal Motors, Kota	1,000.00
M/s Quick Advertising Co.	8,000.00
M/s Khandelwal travels, kota	24,000.00
M/s New Print India Ltd., New Delhi	30,000.00
M/s Premier Printing Press, Jaipur	12,500.00
M/s Pinky Sales, Kota	2,000.00
M/s Sobhit Agencies, Kota	8,000.00
M/s Deva Fine Art Printers, Delhi	10,000.00
M/s G.N. Printers, Kota	10,000.00
M/s Rajasthan Communication, Kota	2,500.00
M/s Tirupati Offset, Kota	10,000.00
M/s Raj Stationery, Kota	3,000.00
M/s Tyagi Enterprises, Kota	3,000.00
M/s Archana Enterprises, Kota	1,820.00

~~21~~

45

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA


56

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

Earnest Money (Curr. Liab. - Sch.-II)

Name of Party	Amount
M/s Mahima Technical Point, Kota	3,000.00
M/s Cosmoplition Enterprises, Kota	1,820.00
M/s Siddarth Stationers, Kota	7,000.00
M/s S.D. Computers, Kota	7,000.00
M/s Bohra Contractors & Engg., Kota	1,100.00
M/s Malkiya Enterprises, Kota	4,900.00
M/s S.G. System, New Delhi	40,000.00
M/s M.C.B.S. Gujrat	3,500.00
Total (Net)	<u>391,046.00</u>

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOJA

Balance Sheet Grouping As on 31.03.2003

Detail of Accrued Interest (Current Liabilities - Sch.-II)

Particulars	Amount
1. Staff Welfare Fund	22,045.00
2. Hazard Fund	116,008.00
3. Gratuity Fund	4,099.00
4. H.B.A. Fund	87,296.00
5. Conveyance Adv. Fund	18,225.00
6. Pension Fund	326,714.00
7. R.E.M.B.S. Fund	1,158.00
	575,545.00

FOR VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


 (B.L. Kothari)
 REGISTRAR


 (S.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

VARDHAMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY
 RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

Particulars	[In Rupees]	
	Current Year	Previous Year
Vehicles (Fixed Assets - Sch.-IV)		
Jeep RRG2576	135,413.60	135,413.60
Cycles 5 Nos	3,537.00	3,537.00
Car Ambassador RJ-20-C-0016	133,367.70	133,367.70
Maruti Gypsy RPM 2754	180,123.00	180,123.00
Car NE RJ-20/C-2607	240,435.00	240,435.00
Bus No. RJ-20/T/1480	672,756.00	672,756.00
Car NE RJ-20/C/6155	352,429.00	352,429.00
	1,718,061.30	1,718,061.30

58

FOR: VARDHAMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY


 (B.L. Kothari)
 REGISTRAR


 (G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

59
VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

Advances for Capital Work (Loans & Advances - Sch.-V)

Name of Party	Amount
1. RSRDC Unit-II Kota (Building A/c)	52,184,523.46
2. Rajasthan Avas Vikas Sansthan	564,100.00
3. RSRDC Unit-V Kota (Building A/c)	1,000,000.00
Total	53,748,623.46

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

60

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

[A] Advances to Staff (Loans & Advances - Sch.-V)

Name	Amount
1. Dr. Anam Jaitely	(499.16)
2. Sh. Babu Lal	5,134.30
3. Sh. Gopal Singh	300.00
4. Sh. Narayan Lal Sharma	1,000.00
5. Sh. Praveen Kumar Sanger	1,000.00
6. Sh. R.N. Singh	(1,000.70)
7. Sh. Ram Kishan Sharma	100.00
8. Sr. R.P. Sharma	38,000.00
9. Dr. S.N. Dubey	19.13
10. Mrs. Sushila Agarwal	300.00
11. Dr. C.B. Sharma	639.00
12. Sh. Mahendra Kumar	(139.00)
13. Sh. Rajendra Kumar	(435.00)
14. Sh. Dinesh Gupta	(500.00)
15. Sh. Suresh Chandra Sharma	14,551.00
16. Dr. Kamlesh Sharma	1,146.00
17. Dr. Y.A. Khan	1,000.00
18. Dr. Sanjay Mehbubani	96.00
19. Sh. S.K. Saxena	(60.00)
20. Prof. B.L. Mathur, ECK	5,000.00
21. Sh. V.S. Mathur	22,311.80
22. Mrs. Damina Choudhary	5,000.00
23. Sh. Suresh Sharma	35,000.00
Total	127,963.37

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

61
VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

[B] Advances to Exam Centres (Loans & Advances - Sch.-V)

Name of Exam Centre	Amount
1. Govt. College, Kota	26,715.50
2. Prof. B.P. Singh, Co-ordinator, Delhi	123,588.50
3. Govt. College, Kotputli	354.95
4. Sh.BRM Govt. College Nagaur	1,995.00
5. Dr. C.M. Sharma, Incharge B.Ed., Jaipur	1,000.00
6. Bangar College, Pali	647.25
7. Prof. M.M. Bhandari, Jodhpur	8,000.00
8. Dr.S.P. Narang, New Delhi	880.00
9. Govt. College, Tonk	3,198.25
10. Principle School of Correspondence Course , N.Delhi	14,261.50
11. Chief Coordinator Principle Kanodia College, Jaipur	25,000.00
12. Govt. Chamaria College Fatehpur Shekhawati	1,333.10
13. Govt. College, Sangriya	2,000.00
14. Nehru College of Education, Hindon City	2,384.00
15. Central Academic School, Udaipur	6,000.00
16. Govt. Lohia College, Churu	8,300.00
17. Regional Girls, TT College, Jaipur	6,000.00
18. Shree Jain TT College, Alwar	2,200.00
19. Tagore Public School, Jaipur	37,063.00
20. Mehariya TT College, Bharatpur	7,800.00
21. Maharaja College, Jaipur	6,000.00
22. Bajrang TT College Deeg	3,800.00
23. Agarwal College Jaipur	200.00
24. Gopi K.P. College & Ed., Bagar (Jhunjhunu)	5,000.00
25. Shiksha Sansthan Raj. Vidhyalaya, Jaipur	15,400.00
26. Rajasthan T.T. College, Bikaner	6,500.00
27. Ayurvedic College, Jaipur	1,800.00
28. Basic TT College, Sardar Sahar	2,518.00
29. Adarsh Vidhya Mandir, Jaipur	4,800.00
30. Adarsh Vidhya Mandir TT College, Jaipur	4,800.00
31. S.V.M. TT College, Nagaur	4,000.00
32. Dr.D.S. Bhandari Engg. College, Jodhpur	9,555.00
33. Bakani TT College, Shriganganagar	5,000.00
34. Santpaul School, Jodhpur	8,000.00
35. Sardar Sr Hr. Sec.School, Jodhpur	533.00
36. Lok Manya TT College, Dabok (Udaipur)	5,000.00
37. Govt. Boys Sec. School No.1, N.Delhi	2,000.00
38. Rajasthan Mahila TT College, Udaipur	6,507.05

62
VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

[B] Advances to Exam Centres (Loans & Advances - Sch.-V)

Name of Exam Centre	Amount
39. Govt. Boys Sec. School No.2, N.Delhi	2,000.00
40. Nimbark T.T. College, Udaipur	5,000.00
41. Arvind College, Malviya Ngr., Jaipur	5,000.00
42. JLN TT College, Kanod (Udaipur)	5,000.00
43. Shahid Bhagat Singh College, Kalkaji, Delhi	5,000.00
44. Govt. Girls Sen. School Daryaganj, N.Delhi	2,000.00
45. BV TT College, Banswara	4,700.00
46. Govt. Girls Sec. School Kalamahal Building, N.Delhi	2,000.00
47. Smt. NDU TT College, Bhilwara	3,000.00
48. Maitriya College, Chanakyapuri, Delhi	5,000.00
49. Gandhi TT College, Gulabpura [Bhilwara]	4,700.00
50. Shyam Lal College, Delhi	5,000.00
51. B.P. Pathik [Coordinator], Jodhpur	3,704.00
52. Govt. Boys. Sec. School Morigate No.2, N.Delhi	2,000.00
53. V.B.G.S. TT College, Udaipur	6,992.00
54. Govt. Sec. School Sector-5, R.K.Puram, N.Delhi	2,000.00
55. Evening Khalsa College, Delhi	5,000.00
56. Delhi College of Arts & Commerce, Netaji Ngr., Delhi	5,000.00
57. Govt. College, Bundi	6,500.00
58. Govt. Boys Sec. School, Sec.-2, R.K. Puram, Delhi	2,000.00
59. Govt. College, Chittorgarh	119.00
60. Govt. Boys Sec. School No.1 Motimahal, Delhi	2,000.00
61. MBM Engg. College Faculty of Engg., Jodhpur	1,970.30
62. Dayal Singh College, Delhi	5,000.00
63. S.G.G. Pareek College, Jaipur	29,000.00
64. Janki Devi Mahavidhyalaya, Delhi	5,000.00
65. Jain P.G. College, Bikaner	3,600.00
66. Govt. B.J.S. Rampuria College, Bikaner	9,400.00
67. Maharani College, Bikaner	1,800.00
68. Govt. College, Sirohi	1,719.00
69. Govt. College Jhalawar	7,754.40
70. Govt. B.D. College, Chimanpura, Shahpura	25.15
71. Govt. Gyan Jyoti College, Shrikaranpur	2,500.00
72. Govt. Girls Sr Sec. School Rampura, Kota	3,000.00
73. Govt. Girls Sr Sec. School Sripura, Kota	1,500.00
74. V.S. Pathic Shramjeevi College, Ajmer	28,950.00
75. Govt. B.Ed. College, Portblair	100.00
76. Govt. College, Baran	3,000.00
77. Shri B.L. Sharma [Chief Co-ordinator BJMC] Delhi	12,000.00
78. Govt. College, Banswara	1,283.00
79. Govt. College, Ajmer	7,000.00
80. Gurunanak Shiksha Sansthan, Jaipur	4,028.00
Total	582,478.95

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


 (B.L. Kothari)
 REGISTRAR


 (G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

53

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

[C] Advances to Study Centres (Loans & Advances - Sch.-V)

Name of Study Centre	Amount
1. V.S.Pathic Shramjeevi College, Ajmer	8,050.00
2. Shri D.D. Sharma [Cheif Co-ordinator BJMC), Alwar	3,404.32
3. Govt. College, Behrod	3,556.10
4. Govt. M.L.V. College, Bhilwara	376.95
5. Shri P.G. College, Nokha Road, Bikaner	6,000.00
6. Govt. College, Barner	1,422.00
7. Govt. College, Dungarpur	2,583.55
8. Bangad College, Didwana	2,689.00
9. K.B.Agarwal P.G. College, Karoli	5,400.00
10. Govt. M.L. College, Jhunjhnu	6,000.00
11. Govt. College, Jaisalmer	3,646.64
12. Govt. College, Neem Ka Thana	8,155.45
13. Govt. College, Sikar	17,620.75
14. Govt. Commerce College, Kota	2,012.50
15. M.D. PG College, Sriganganagar	11,949.85
16. J.L.N. T.T. College, Kota	25,200.00
17. Hitkari Mahila T.T. College, Kota	1,374.70
Total	109,441.81

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

[D] Advances to Regional Centres (Loans & Advances - Sch.-V)

Name of Regional Centre	Amount
1. Director Regional Centre, Jaipur	564,459.96
2. -do- , Kota	135,602.07
3. -do- , Ajmer	123,550.81
4. -do- , Udaipur	322,364.48
5. -do- , Jodhpur	348,354.36
6. -do- , Bikaner	46,662.44
Total	1,540,994.12

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

64

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

[E] Advances to Units (Loans & Advances - Sch.-V)

Name of Unit	Amount
1. Registrar Office (Unit)	939,732.67
2. C.E. (Unit), Kota	1,504,040.49
3. CE Confidential, Kota	3,328.49
4. Director Regional Services, Kota-Plan	188,425.00
5. Director Regional Services, Kota-DEC	3,700.00
6. Director Regional Services, Kota	197,670.53
7. A.S. to V.C. (Unit), Kota	9,607.76
8. Director Academic Kota	326,374.00
9. Director MP & D, Kota	323,036.25
10. Adm. Section	3,875.00
11. Director Stride	77,500.00
12. D.I.T.E.	100,000.00
13. Director P&D, Kota	42,000.00
14. V.C. Discretionary Fund, Kota	50,000.00
15. S.H.S.S.	14,000.00
16. S.O.C.M.	10,000.00
Total	3,793,290.19

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

[F] Advances to Suppliers (Loans & Advances - Sch.-V)

Name of Supplier	Amount
1. M/s Ballarpur Paper Mills, Ballarpur	758,824.74
2. Ex. Engg. PWD City Dvn.	2,000.00
3. Electronic Trade & Tech Corp.	67,189.50
4. Goyal Paper Mart, Kota	100,000.00
5. Adarsh Trading Co., Jaipur	27,781.65
6. Smita Printers, Jaipur	64,021.00
7. Indian Motors, Jaipur	7,618.24
8. Mayur Service Centre, Kota	15,021.00
9. M/s System Electrical, Kota	2,499.00
Total	1,044,955.13

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

55
VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

[G] Advances to Others (Loans & Advances - Sch.-V)

Name of Party	Amount
1. Shri U.C. Mathur Jaipur	300.00
2. Shri G.S. Singhvi, Advocate, Jaipur	1,000.00
3. M/s Kalchakra Video Samachar, Jaipur	1,320.00
4. M/s Navjyoti Printing Press, Kota	474.00
5. M/s S.Somani & Co. CA	3,200.20
6. M/s Living Media Ltd.	192.00
7. Govt. Press, Jaipur	300.00
8. Indian Council & Science Research	79.00
9. Commandant Supdt. of Police (H.G.), Kota	15,320.00
10. Shri S.K. Gandhi (IGNOU), New Delhi	10,000.00
11. I.G.N.O.U., New Delhi	100,840.00
12. Distt. Consumer Forum, Churu	50,000.00
13. A.D.J. Court, Bikaner	52,398.00
Total	235,423.20

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

4#

55

66
VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping as on 31.3.2003

SUMMARY OF ADVANCES FROM OWN SOURCES

Name of Party	Amount
1. Advance to Staff	127,963.37
2. Advance to Exam Centre	582,478.95
3. Advance to Study Centre	109,441.81
4. Advance to Regional Centre	1,540,994.12
5. Advance to Unit	3,793,290.19
6. Advance to Suppliers	1,044,955.13
7. Advance to Others	235,423.20
8. Untraceable Advance	970.14
Total	7,435,516.91

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

57
VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping As on 31.03.2003

List of FDR's As on 31.03.2003 (Investment Sch.-VIII)

1. Non-Plan S/B A/c No.2193

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount	Amount
1.	OBC Bank Kota	469090/23.12.02	1.4.03	2700000.00	
2.	OBC Bank Kota	469091/23.12.03	30.4.03	2700000.00	
3.	OBC Bank Kota	469099/7.2.03	1.7.03	2700000.00	
4.	OBC Bank Kota	469100/7.2.03	31.5.03	2713426.00	
5.	OBC Bank Kota	055301/11.3.03	11.3.04	8400000.00	
6.	OBC Bank Kota	469110/26.3.03	23.4.03	1921790.00	
7.	Raj. Univ. Jaipur	280/17.4.85		5000.00	
				21140216.00	21140216.00

2. DEC A/c No.4036

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount	Amount
1.	OBC Bank Kota	055216/15.4.02	15.4.03	1500000.00	
2.	OBC Bank Kota	055259/12.9.02	8.9.03	1500000.00	
3.	OBC Bank Kota	055257/12.9.02	8.9.03	2500000.00	
4.	OBC Bank Kota	055258/12.9.02	8.9.03	2500000.00	
5.	OBC Bank Kota	055256/12.9.02	8.9.03	500000.00	
6.	OBC Bank Kota	055285/4.2.03	30.1.06	2759000.00	
7.	OBC Bank Kota	055286/4.2.03	30.1.06	2759000.00	
8.	OBC Bank Kota	055287/4.2.03	30.1.06	2759000.00	
9.	OBC Bank Kota	055288/4.2.03	30.1.06	2759000.00	
10.	OBC Bank Kota	055289/4.2.03	30.1.06	2500000.00	
11.	OBC Bank Kota	055290/7.2.03	7.2.06	2785000.00	
12.	OBC Bank Kota	055307/31.3.03	30.3.06	2500000.00	
13.	OBC Bank Kota	055308/31.3.03	30.3.06	2500000.00	
14.	OBC Bank Kota	055309/31.3.03	30.3.06	2500000.00	
				32321000.00	32321000.00

3. Staff Medical Welfare

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount	Amount
1.	OBC Bank Kota	055241/16.7.02	16.7.03	410000.00	
				410,000.00	410,000.00

4. S/D A/c

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount	Amount
1.	OBC Bank Kota	055239/16.7.02	16.7.03	250000.00	
2.	OBC Bank Kota	39505/16.5.02	12.5.03	200000.00	
3.	OBC Bank Kota	39506/16.5.02	12.5.03	200000.00	
4.	OBC Bank Kota	39507/16.5.02	12.5.03	200000.00	
Supplier's FDR					
5.	PNB Bank, Kota	706676/1.7.95	1.7.95	10000.00	
6.	PNB Bank, Kota	706677/1.7.95	1.7.95	20000.00	
7.	SBBJ, Kota	759609/15.1.02	15.1.02	10000.00	
				890,000.00	890,000.00

68

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

5. Building A/c

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount
1.	OBC Bank Kota	055225/29.4.02	16.4.03	1000000.00
2.	OBC Bank Kota	055223/29.4.02	16.4.03	2000000.00
3.	OBC Bank Kota	055224/29.4.02	16.4.03	2000000.00
4.	OBC Bank Kota	055234/26.6.02	1.6.03	1500000.00
5.	OBC Bank Kota	055260/12.9.02	31.8.03	1600000.00
6.	OBC Bank Kota	055306/31.3.03	31.3.04	2000000.00

10100000.00

10,100,000.00

6. Student Aid Fund

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount
1.	OBC Bank Kota	055271/14.9.02	14.9.05	44000.00

44000.00

44,000.00

7. Replacement Fund

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount
1.	OBC Bank Kota	055270/14.9.02	14.9.05	149000.00

149000.00

149,000.00

8. Technology Fund

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount
1.	OBC Bank Kota	055246/16.7.02	16.7.03	650000.00

650000.00

650,000.00

9. Corpus Fund

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount
1.	OBC Bank Kota	055245/16.7.02	16.7.03	1150000.00

1150000.00

1,150,000.00

10. Corpus Dev. Fund

S.No.	Name of Bank	FDR No./Date	Due Date	Amount
1.	OBC Bank Kota	055243/16.7.02	16.7.03	200000.00

200000.00

200,000.00

67054216.00

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

44

58

VARDHMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA


BANK BALANCES AS ON 31.03.2003

PARTICULARS	Balance as per Book	Balance as per Bank	REMARK
1. OBC A/c No.2193, VMOU Rawatbhata Road	19,975,132.48	20,325,854.06	Reconciled
2. P.D. A/c, VMOU Rawatbhata Road	370,800.00	370,800.00	Reconciled
3. Interest Bearing P.D. A/c VMOU Rawatbhata Road	10,000.00	10,000.00	Reconciled
4. S.D. A/c 3007, VMOU Rawatbhata Road	96,607.00	95,158.00	Reconciled
5. S.D. A/c 4036, VMOU Rawatbhata Road	1,201,449.14	2,556,721.64	Reconciled
6. S.D. A/c 3779, VMOU Rawatbhata Road	463,200.24	463,200.24	Reconciled
7. OBC A/c No.971, VMOU Rawatbhata Road	(2,488,922.75)	965,256.85	Reconciled
8. OBC A/c No.4609, VMOU Rawatbhata Road	550,000.00	50,000.00	Reconciled
9. OBC A/c No.4427, VMOU Rawatbhata Road	207,884.00	21,172.00	Reconciled
10. OBC A/c No.4610, VMOU Rawatbhata Road	572,257.00	73,157.00	Reconciled
11. P.D. A/c No.58, VMOU Rawatbhata Road	3,834,980.00	3,834,980.00	Reconciled
12. OBC A/c No.4608, VMOU Rawatbhata Road	450,000.00	50,000.00	Reconciled
13. OBC A/c No.2194, VMOU Rawatbhata Road	31,352.61	30,692.61	Reconciled
14. OBC A/c No.3907, VMOU Rawatbhata Road	1,000.00	1,000.00	Reconciled
15. OBC A/c No.3908, VMOU Rawatbhata Road	1,000.00	1,000.00	Reconciled
16. UCO Bank, Shopping Centre (Unoperated A/c)	1,697.10	-	Subject to Reconciliation
	<u>25,278,436.82</u>	<u>25,278,436.82</u>	
17. Imprest (Units)	187,000.00	-	
Total	<u><u>25,465,436.82</u></u>	<u><u>25,465,436.82</u></u>	

99

99

FOR: VARDHAMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY


 (B.L. Kothari)
 REGISTRAR


 (G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

70

71

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping As on 31.03.2003

Imprest (Cash at Bank- Sch.-IX)

Particulars	Amount
1. Director Sc. & Tech.	5,000.00
2. Director, Admn & Evaluation	4,000.00
3. Director Regional Services	5,000.00
4. Director Planning & Development	5,000.00
5. Director Academic Wing	10,000.00
6. V.C. Sectt.	15,000.00
7. Incharge Guest House	7,000.00
8. Incharge Central Library	5,000.00
9. Director MP & D	10,000.00
10. Controller of Exam.	5,000.00
11. Registrar Office	20,000.00
12. Regional Centre, Jaipur	12,000.00
13. Regional Centre, Jodhpur	15,000.00
14. Regional Centre, Bikaner	15,000.00
15. Regional Centre, Ajmer	15,000.00
16. Regional Centre, Kota	15,000.00
17. A & F (Sh.Hanuman Singh Shaktawat)	3,000.00
18. Advisor, SAC (Student Assistance Cell)	6,000.00
19. Incharge Admission	3,000.00
20. Incharge, Research Cell	3,000.00
21. Director, School of History & Social Science	3,000.00
22. Director, School of Commerce & Management	3,000.00
23. Director, School of Continuing Education	3,000.00
	<u>187,000.00</u>

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

71
VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

Balance Sheet Grouping As on 31.03.2003

Imprest (Cash at Bank- Sch.-IX)

Particulars	Amount
1. Director Sc. & Tech.	5,000.00
2. Director, Admn & Evaluation	4,000.00
3. Director Regional Services	5,000.00
4. Director Planning & Development	5,000.00
5. Director Academic Wing	10,000.00
6. V.C. Sectt.	15,000.00
7. Incharge Guest House	7,000.00
8. Incharge Central Library	5,000.00
9. Director MP & D	10,000.00
10. Controller of Exam.	5,000.00
11. Registrar Office	20,000.00
12. Regional Centre, Jaipur	12,000.00
13. Regional Centre, Jodhpur	15,000.00
14. Regional Centre, Bikaner	15,000.00
15. Regional Centre, Ajmer	15,000.00
16. Regional Centre, Kota	15,000.00
17. A & F (Sh.Hanuman Singh Shaktawat)	3,000.00
18. Advisor, SAC (Student Assistance Cell)	6,000.00
19. Incharge Admission	3,000.00
20. Incharge, Research Cell	3,000.00
21. Director, School of History & Social Science	3,000.00
22. Director, School of Commerce & Management	3,000.00
23. Director, School of Continuing Education	3,000.00
	187,000.00

FOR: VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


(B.L. Kothari)
REGISTRAR


(G.S. Gupta)
FINANCE OFFICER

VARADHARAJAN MAHARAJA VEERAPENUNIVERSITY,
RAWATBHATA ROAD, KOTA

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (University own sources) for the Y.E. 31.03.2003

EXPENDITURE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	INCOME	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1) Payment & Provision for Employees					
Liverted	18,900.00		Course Fees	23,015,589.00	
Reimbursement of T.F.	325305.00		Registration Fees	5,000.00	
Medical Reimbursement (out of Staff Welfare Medical Fund)	378441.00		Examination Fees	625,869.00	
T.A. / D.A. out of Medical Staff Welfare Fund	23735.00		Old Dues	30,319.00	
	161019.00		T.C./P.C./M.C.	7,210.00	
			Marksheet	2,695.00	
			Sale of Form	131,593.00	27,485,719.96
(2) Administrative Exp.					
Meeting	236,774.00		(2) Other Income		
Telephone Exp.	448,584.00		Misc. Income	62,372.00	
Matching share of unassigned grant	4,406.00		Lib. Membership Fees	1,380.00	
Contingencies	411,378.15		Rental Income	34,425.00	
Light & Water	747,453.00		Bus fare	47,810.00	
Security Guard	151,138.00		Interest Received A/c	6,857,243.36	
Contract Ser. To Raj. Police	107,500.00		Electric & Water Charges	197,169.00	
			Sale of Tender Forms	7,750.00	4,046,070.48
(3) Educational Exp.					
Hire Vehicle Charges	13,414.00		Sundry Balance Written Off		1.90
Postage & Telegram	882,239.00				
Stationeries	384,912.00				
Advertisement	612,447.00				
Printing	217,599.00				
Evaluation of Thesis	376,104.00				
Exam. Centre Charges	1,543,320.00				
Maintenance of Std. Cntr.	1,043,919.00				
Remuneration to paper	340,243.00				

72

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
 RAWATBHATA ROAD, KOTA

Binding Charges	20,161.00	
Confidential Work	484,875.00	
Campus Dev. A/c	359,208.00	
Convocation Exp.	20,310.00	6,305,851.00
		10,186,786.75

(4) Misc. Exp.		
V.C. Hospitality	10,248.00	
Insurance of Vehicle	91,592.00	
Running & Maint. Of	379,026.00	
Vehicle	65,955.40	
Newpaper & Periodicals	35,271.00	1,199,015.14
Maintenance of Guest House	13,971.60	596,064.00
		13,824.00

Refund of Fees		
ADD:		
Exp. Of N/P Metout	5,139,805.00	
own sources	(100,000.00)	3607810.24
Saving in Plan Grant		17,275,149.00
own sources		5039805.00
		14,970,177.15
		17,275,149.00

Surplus Tr. To General	16,056,249.11	14,256,641.44
Fund	31,026,426.26	31,531,790.44

31,026,426.26 31,531,790.44

FOR: VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY


 (B.L. Kothari)
 REGISTRAR


 (G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

73

VARDHMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY
RAWATBHATA ROAD, KOTA

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (Non Plan) for the Y F. 31.03.2003

EXPENDITURE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	INCOME	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1) Payment & Provision for Employees			Grant in Aid (Sch.)	35,000,000.00	32,775,000.00
Pay & Allowances	36,739,820.00	32,660,151.70			
T.A. & D.A.	173,533.00	280,569.00			
Medical Reimbursement	294,736.00	349,990.00			
Liveries	100,000.00	93,632.00			
(2) Administrative Exp.					
Light & Water	707,515.00	1,147,327.00			
Security Guards	801,794.00	1,028,314.00			
Rent of Building	339,288.00	345,729.00			
Membership Fee	29,000.00	97,060.00			
Audit Fee	644,680.00	32,090.00			
(3) Misc. Exp.					
Hire Charges of Vehicle	100,000.00	122,616.00			
Legal Expenses	51,785.00	171,617.74			
A.M.C.	20,135.00	37,226.00			
Plantation & Repair of Building	137,519.00	111,370.00			
	40,139,805.00	36,477,692.44		35,000,000.00	32,775,000.00
			Ext. Metout From Univ. own sources	5,139,805.00	3,702,692.44
	40,139,805.00	36,477,692.44		40,139,805.00	36,477,692.44

74

33

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (Plan) for the Y E 21 03 2003

EXPENDITURE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	INCOME	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1) <u>Payment & Provision for Employees</u>		4,005,117.80	Grant in Aid	100,000.00	4,100,000.00
Pay & Allowances		4,005,117.80		100,000.00	4,100,000.00
*Balance Forwarded to	100,000.00	94,882.20			
University own resources	100,000.00	4,100,000.00		100,000.00	4,100,000.00

75

FOR: VARDHAMAN MAHA VEER OPEN UNIVERSITY


 (B.L. Kothari)
 REGISTRAR


 (G.S. Gupta)
 FINANCE OFFICER

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
 RAWATBHAI ROAD, KOTA

COMPLIANCE OBSERVATION NOTES OF C.A. AUDIT
 FOR THE YEAR - 2002-03

Audit Observation Notes	Compliance
1- Name of the university has been changed from KOTA OPEN UNIVERSITY to VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY as per Gazette notification dtd.21.9.2002 issued by the Governor of Rajasthan as per Letter No.P2/VMOU/VC/2003/1316 dtd.30.11.2003 issued by university to us.	1. No Comments required
2- <u>Basis of Accounting</u>	2.[A] No Comments required
[A] The Books of Accounts are maintained largely on cash system but strictly it is Hybrid System of Accounting because some adjustments are done on Mercantile System.	[B] Noted
[B] The VMOU is maintaining Books of Accounts on receipt and payment basis, which should be on double entry system, it should be ledgerised properly.	[C] Noted
[C] The Fixed Assets are stated at cost. The VMOU is not charging depreciation on Fixed Assets. It is suggested that depreciation should be provided as per the rates prescribed in Income-tax Rules 1962, so that actual cost of Fixed Assets can be ascertain.	[D] No Comments required
[D] The VMOU informed to have maintained the Books of Accounts as per General Finance & Accounts Rules framed by State Government.	3. No there is no such case.
3- <u>Revenue / Income Recognition</u> - The Fees & other receipts are considered in income when the same is received/deposited in VMOU's Bank A/c, irrespective of the period for which it is received.	4. No Comments required
4- Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary so far made available & explained.	

77

78

5- Contingent Liabilities:-

The VMOU has not provided the contingent liability in relation to court cases and, other claims because these can not be quantified nor ascertained in terms of money. We are informed that there is no unimplemented decision which involve the financial liability.

5. No Comments required

6- Unutilized Grant:-

Grants received for specific purpose and not utilized on the date of Balance Sheet are mentioned in Schedule- III of Balance Sheet as unutilized grants.

6. No Comments required

7-(a) Stale Cheque / Refund of fees: -

This account shows cheques issued but not presented in bank in previous years. The same should be credited to the concerned account and payment is to be made on proper Authorizations. The pending A/cs should be written off in the reasonably proper time after proper authorization.

7.(a) Noted

During the year the following amounts of stale cheques older than 3 years have been written off and credited in Miscellaneous Income A/c:

Cheque No.	Date	Amount
12906	19/6/98	96.00
306770	31/3/99	381.00
737624	17/7/99	560.00
737637	17/7/99	7500.00
610012	28/8/00	96.00
610014	28/8/00	306.00
610015	28/8/00	288.00
610021	28/8/00	72.00
610029	28/8/00	399.00
610033	29/8/00	63.00
611457	19/12/00	6.00
Total		9,767.00

b) The VMOU issued cheque & DD for refund of fees to B.Ed. students .Out of that, cheques / DD's of Rs.125510/- (Previous Year Rs.121750/-) have been returned back which are shown under the head State cheques (Refund of Fees A/c).

b) No Comments required

67

Fixed Assets:-

- a) We are informed that the Fixed Assets register being prepared on the basis of Stock Registers maintained by different unit heads. We observe that there should be a consolidated register for all assets of VMOU with full particulars of location, age, value, in use or not etc. It is suggested that Idle Assets should be categorized with reasons.
- b) The addition of Fixed Assets (which is capitalized during the year) have been verified and certified by appropriate authority of the university.
- c) That the vehicle, machinery, and equipment of EMPC are insured no other fixed assets are insured. That the building, furniture, & books etc. should also be duly insured.
- d) The fixed assets should be depreciated annually. However, we couldn't ascertain the depreciation during the year in lieu of not charging of depreciation in earlier years.

e) Following Advances given for building work are unadjusted thus VMOU has to get the certificate for building work and then capitalize so that the proper amount can be reflected in the Balance Sheet.

<u>S.No.</u>	<u>Name of Concern</u>	<u>Amount</u>
1.	RSRDC (Unit-II), Kota	52184523.46
2.	Raj. Avas Vikas Sansthan	564100.00
3.	RSRDC (Unit-V), Kota	1000000.00
		53748623.46

We also suggest to get the balance confirmation & work completion certificate.

F.D.R.(s):-

The FDR No.280 dtd.17.4.85 of Rs.5000/- in name of Rajasthan University has not been renewed so far necessary action is required in this regard likewise FDR's of Rs.40,000/- relating to the Security Deposits from Suppliers are not renewed since long.

8a) Suggestions noted

- b) No Comments required
- c) Suggestions noted and shall be take care.

d) Noted

e) VMOU perusing for obtaining the utilization certificates and accordingly advance will be adjusted and the works shall be capitalized.

9. This FDR pertaining to erstwhile ICS UOR which has been merged in this University but it is yet to be got renewed and proper entries to be made in the books.

<p>10- <u>Advances to Staff:-</u> The VMOU has made effective efforts to recover the Staff Advances from their salary. However, this should be speed up in the current year.</p>	<p>10. Old advance has been recovered/adjusted, however, the current advance are also being adjusted in due course of time.</p>
<p>11- <u>Other Advances</u> We suggest that effective efforts should be made for recovery & adjustment of all other advances.</p>	<p>11. Serious efforts are being made to get the advances, adjusted from the firm/parties.</p>
<p>12- <u>Cash Balances:-</u> (a) The cash has been verified by the management at the year end. The management should make the efforts that, at the end of every year the balance of cash at regional centers should be certified and be adjusted in the books of the Head Office accordingly. For this purpose a reconciliation of accounts of the H.O. and Regional centre should be prepared.</p>	<p>12 (a) Noted</p>
<p>(b) Cash in hand Rs.24698.72 at Regional Centres is shown in cash in hand at Schedule-IX, which is unoperated by since long.</p>	<p>12 (b) Factual position is being asked from the concerning Regional Centers and the affect of entries shall be made in the forth coming balance sheet. While visiting by the C.A. to the Regional Centers the required rectification shall be made.</p>
<p>13- <u>Current Liabilities:-</u> Following overdraft account is shown as outstanding since long time it has been pointed out by Auditors to give present status of the following account, thus the following account is subject to confirmation.</p>	<p>13 Actually there is no debit balance in the Bank A/c and the necessary correction in the books shall be made and be shown to the audit</p>
<p>a) UCO Bank, New Delhi (R.C.Jaipur) 32538.50</p> <p>14- <u>Stamps:-</u> During this year all the stamps purchased have been treated as an expenditure and stamp register / account is maintained. However, the closing balance should be taken in books for stamps in hand at the year end.</p>	<p>14. All concerned units maintaining Stamps Register which are being verified by the concerned units head, however suggestions are noted.</p>
<p>15- <u>Admission Fee:-</u> Admission fee received from students have not been correlated with the students enrolled during the year and we are informed that the date of start of semester and closing of financial year is different.</p>	<p>15. No Comments</p>

<p>16- <u>I.T.D.S.-</u> (a) That in case of payments made to contractors, professionals, salary etc. the VMOU has to deduct ITDS as per I.T.Rules. The VMOU has not deducted TDS on a) Payments made to Police deptt. on security services provided by them b) Floating faculty (under DEC development grant) c) Payment made to pensioners. (b) The VMOU is required to improve the system of I.T.D.S. and the concerned person should be trained and updated to the change in the Provisions of the Income Tax Act. 17- The surplus is not Net Income because so many fees received during the year are being refunded in next year nor the depreciation have been charged; hence the profit can not be ascertained in a given year. The VMOU is required to make the provision of all known liabilities. 18- That the VMOU is preparing budget and further the revised budget is also prepared, however, the expenditure incurred should be within the budgeted figure. The VMOU has prepared a comparative chart of budgeted figure with actual expenses.</p>	<p>16 (a) Tax being deducted. b) Suggestions noted 17: It is not a commercial institute, however the annual A/c s are prepared on the basis of the actual receipt & payments A/c. The provisions for the depreciation on the Capital items may be kept. 18. VMOU prepare B.E., R.E. and than the actual Income & Expenditure statement for final A/c s.</p>
<p>19- <u>Stores, Stock & Spares:-</u> We are informed that the stores, stock & spares has not been physically verified by the competent authority during the year. 20- <u>Interest:-</u> The Interest earned on particular grant should be credited in respective Grant A/c and be utilized for the same purpose for which the grant is received. 21- That the VMOU got a sum of Rs.5677817/- in last year from government on a/c of UGC scale for payment of arrear to teaching staff. Out of that Rs.1842837/- (P.Y. Rs.1667669/-) utilized for payments to retired persons. payment of Income-tax etc. out of said P.D. A/c No.58 and the balance</p>	<p>19. The work of Physical verification of the Store Stock and spare of permanent nature is under progress and shall be shown in the next audit. 20. Noted 21: No. Comments required</p>

Rs.3834980/- is kept in P.D. A/c separately.

- 22-(a) The expenses booked out of advances are mostly relating to earlier years. The VMOU is following this practice, that advances are adjusted on receipt of bill/details of expenditure & duly approved by competent authority.
- (b) The expenses incurred over & above the budget in particular A/c is booked in contingency A/c. It should be booked in respective expenses A/c.
- 23- That the payment made for purchase of papers & other printing material is booked in expenditure however the VMOU should evaluate the stock at the year end but following past practice this is not done. We have taken the figures of stock of papers & as informed to us the stock of papers as on 31.3.2003, 273 RIM valuing Rs.1.42 lacs (31.3.2002 was 3424 RIM valuing Rs.17.03 Lacs).
- 24- Premises given on rent or taken on rent should be periodically revised as per norms & agreements.
- 25- That the VMOU purchased Books & Periodicals of Rs.783606/- in own sources. Out of that it has transferred in periodicals Rs.35271/- as revenue expenditure and rest is capitalized in Books A/c i.e. Rs.748335/-.
- 26- The interest received / accrued on specific fund should be credited in said fund A/c during the year the interest on following funds have been taken in Income & Exp. A/c Rs. 1600376.10

22 (a) Yes.

b) No there is no such case.

23. No Comments

24. It being observed as per term of the agreements.


25. Noted

26. Noted

S.No.	Particulars	Interest upto 31.03.03		Total
		Earned	Accrued	
1.	Building Fund	973,382	-	973,382
2.	Hazard Fund	-	116,008	116,008
3.	Staff Welfare Fund	-	22,045	22,045
4.	Gratuity Fund	-	4,099	4,099
5.	HBA Fund	-	87,296	87,296
6.	Conveyance Adv. Fund	-	18,225	18,225
7.	Pension Fund	-	326,714	326,714
8.	Campus Dev. Fund A/c	8,153	-	8,153
9.	Staff Medical Welfare Fund A/c	9,239	-	9,239

10.	R.E.M.B.S. Fund A/c	-	1,158	1,158
11.	Corpus Fund	9,840	-	9,840
12.	Technology Fund	6,440	-	6,440
13.	Student Aid Fund	17,777.10	-	17,777.10
	Total	1,024,831.10	575,545	1,600,376.10

- 27- The Cheques prepared but not issued amounts Rs.4895/- DD issued but not used Rs.3090/- be adjusted in respective A/c. 27. Noted
- 28- Audit Fees:-
Rs.644680/- paid as audit fees during the year. It includes Rs.600400/- which has been paid to the C & AG for the period 1988-89 to 1997-98 from the own sources by VMOU as per sanction given by the State Govt.. 28. No Comments required
- 29- Downlink Facility:-
During the year Rs.32.00 lacs paid to IGNOU for providing sixteen downlink facility out of DEC Development Grant. The capitalization has been done on the basis of the installation of the equipment and duly authenticated V.No.102 dtd. 12.09.02. 29. No Comments required
- 30- It is suggested that whenever capital expenditure made out of concerned grant. Then it should be firstly booked in respective Fixed Assets A/c. Thereafter, the same should be adjusted in concerned grant A/c. 30. Noted
- 31- It is observed that VMOU paid the Electric charges on Staff quarters at commercial rate. However, the recovery are made at domestic rate, we suggest that the separate connection should be taken for residential use from Electricity Board. 31. Noted and as per suggestions the necessary action is being taken.


Finance Officer
Yashwan Mahaveer Upco University
KOTA

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

V.M.O.U. Retiring Employees Medical Benefit Scheme Rules

1. These rules may be called Vardhaman Mahaveer Open University Pensioners Employees Medical Benefit Scheme Rules (Previous name Kota Open University, Kota).
2. These shall be deemed to have come into force w.e.f. 1.12.97 the date from which the contribution of the employees towards this fund was started in pursuance of the office order No. F.3/KOU/A&F/97/1973 dated 21.11.97.
3. Definitions: In these rules, the terms used shall have the meaning hereinafter explained.
 - (i) "Retiring employees" means a retired Vardhaman Mahaveer Open University employee (Pensioner) who is granted pension under rules or is retired on the University Contributory Provident Fund benefits.
 - (ii) "Family" means pensioner's wife (Not more than One)/husband, if wholly dependent upon the pensioner. Wife/husband will be regarded as wholly dependent upon the pensioner if she/he normally resides with the pensioner and whose total monthly income from all sources does not exceed Rs. 1000/- p.m.
 - (iii) "Pay" for the purpose of these rules shall mean basic pay and shall include any special pay or personal pay attached to the post.
 - (iv) Fund means "Vardhaman Mahaveer Open University Retiring Employees Medical Benefit Scheme Fund" in which the subscriptions by the employees and contributions by the University if needed are deposited.
4. **(a) These rules shall not apply to:**
 - (i) Retired employees of the University who has taken any employment after retirement.
 - (ii) Employee who has been dismissed from service of the University.
 - (iii) Employee who has resigned from the University services.**(b) These rules shall apply to:**
 - (i) An employee who retires after attaining the age of superannuation in the University or takes voluntary retirement as per University rules.
 - (ii) Employee of the University who expires before/after retirement from the service in the University i.e. his/her spouse shall be governed by these rules. Relief under these rules shall be given to a pensioner who has contributed regularly to the subscription, as provided in these rules, every month from salary at source while in service of the University.
5. **Relief and Treatment :**
 - (i) Relief under these rules and within the limits provided hereunder shall be given to a pensioner who undergoes treatment as per rules

prescribed by the University for Medical Re-imbusement of the regular employees.

- (ii) The expenses incurred by the Pensioner on account of medical attendance and treatment on himself/family under these rules shall be reimbursed to the extent given below:

(a) Expenses up to Rs. 3000/- in a financial year.

(b) For expenses beyond Rs. 3000/- in a financial year shall be reimbursed after the approval of the Vice-Chancellor up to Rs. 4000/- in total and there after on the recommendation of the University Staff Welfare Fund Committee and its approval from the Board of Management for this purpose. One local University pensioner will be nominated by the Vice-Chancellor on the committee.

(c) In case of pensioner getting treatment at Hospitals out-side the state (for himself or his/her spouse) on the recommendation of the Medical Board of the Govt. Hospital, financial assistance under the scheme shall be limited to 80% of the permissible hospital expenditure or Rs. 120000/- whichever is less.

The procedure for claiming re-imbusement shall be the same as provided in the University rules for regular employees.

- (iii) The re-imbusement or relief as provided above shall be for the cost of medicines including charges of accommodation, charges for pathological bacteriological, radiological, sonography, cat-scanning, dental, surgical or any diagnostic technique for the treatment as per rules. It shall also be inclusive of nursing facilities as per rules 1970 Rajasthan Medical attendend rules appendix XIV as amended on date.

6. Rate of Subscription to the Fund:

With a view to provide relief to pensioners of the University. The "Vardhaman Mahaveer Open University Employees Medical Benefit Scheme Fund" has been constituted in which subscriptions is being made by the serving employees of the University at the following rates:-

7. Category of University Employees/subscription per month:

(i) Category

(A) Class-IV employees

(B) Class-III employees (upto the grade of S.O.)

○ Teacher & Officers

With effect from 1.12.97

Rs. 10/- p.m.

Rs. 15/- p.m.

Rs. 20/- p.m.

The rate of contribution may be revised on the approval of the Board of Management considering the income and expenditure of the scheme from time to time

- (ii) In case of employees who have retired on or after 30.11.97 and no contribution/subscription towards the above fund has been received from them, a minimum lump-sum of (i) 2500/- for teacher/officers (Assistance Registrar/Accounts Officer etc and above of the University (ii) Rs 1500/- for employees other than teachers and officers of the University will subscribed

by each such employee within one month of the date of issue of the order. The amount may be deposited by cash/D.D./cheque in University Central Office in VMOU Retiring Employees Medical Benefit Scheme Fund, Kota. Their claims will be entertained only if they deposit the above amount within the specified period other-wise it will be deemed that they are not members of the above fund and shall not be eligible for any medical relief

(iii) University will also contribute Rs. 100000/- per annum from University Staff Medical Welfare Fund to run the Scheme smoothly.

8. Procedure:

Pensioner will submit the claim to Finance Officer who will scrutinize and put up consolidated claim to Treasury for further scrutiny and clearance. Finance Officer (Pension Cell) will issue the individual cheque thereafter.

9. Accounts of Fund and its Administration:

- (i) The funds and property shall vest in the Vardhaman Mahaveer Open University.
 - (ii) The fund shall be operated, invested and maintained by the Finance Officer of the University in a way to get maximum field.
 - (iii) The annual accounts of the Fund shall be placed by the Finance Officer before the Board of Management with the Balance Sheet.
 - (iv) The cost of administration of Fund and its maintenance including audit fee if any shall be born by the University.
10. Initially the medicines prescribed by the Doctors will be purchased from the Co-operative Stores (Medical Branch) and in case of their non-availability certificate the medicines can be purchased from other medical stores and the bill will be submitted along with the essentiality certificate of the Doctor concerned as followed for the regular employees of the University.

11. Certificate/Affidavit:

For the purpose of claiming medical relief under rules, every pensioner shall submit an affidavit along with the 1st bill for the year to the effect that he/she has not taken any employment else where on salary basis.

12. The power of interpreting these rules shall vest with the Vice-Chancellor/Board of Management and the decision of the same shall be final.
13. The above rules/procedure may be amended in accordance with the changes in University Medical Re-imburement Rules on the recommendation of the S.W.F. Committee having at least one nominated member from the local retired employees and its approval by the B.O.M. The term of the nominated members will be two years.

YARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

Ordinance with regard to Terminal benefits to Vice-Chancellor

1. Short title and commencement :

- (i) These provisions shall be called the "Vardhman Mahaveer Open University, Terminal benefits to the Vice-Chancellor".
- (ii) These provisions shall come in force w.e.f. 1.12.98.

2. Applicability :

- (i) These provisions shall apply to the Vice-Chancellor of the Vardhman Mahaveer Open University.

3. Schedule : Statute of the University 5(D) : TERMINAL BENEFITS TO VICE-CHANCELLOR.

4.

A. Benefits during tenure.

1. Pay and allowances should be admissible to the Vice-Chancellor during his term of office in the University, in accordance with the prescription in this regard of the concerned University. However, if the incumbent is in receipt of any pension on account of his service as a Central Government /State Government employee, or as an employee of a Central/State Government Enterprise, (wholly or substantially funded by the Central/State Government) or an employee of a University established by Law in India, such pension should be deducted from the pay admissible to him. For this purpose, the concerned University should obtain a declaration from the incumbent at the time of his assumption of charge of the Office of the Vice-Chancellor in the University. In the alternative, the incumbent should have the option of not drawing such pension from his erstwhile organization, during his tenure as Vice-Chancellor in the concerned University. In such eventuality, the incumbent should be entitled to receive full pay as Vice-Chancellor of the concerned university, subject to such option being exercised by him in writing at the time of his assumption of charge of the Office of the Vice-Chancellor in the concerned University.

~~24~~

2. The Vice-Chancellor should also be eligible to receive all other allowances, perquisites and facilities, as might be admissible to the Vice-Chancellor under the Statutes, Ordinances and various rules/regulations of the concerned University.

B. Benefits upon termination of tenure:

1. Upon termination of his tenure, for any reason what-so-ever (for resignation or dismissal), a Vice-Chancellor of a University in Rajasthan should be provided the following benefits:-
- (i) Contributory Provident Fund, (if any such scheme regarding CPF is operational in the University at the relevant time) for the period of his term in the University, the computation of such CPF should be regulated by the terms of the CPF Scheme under operation in the University.
 - (ii) Gratuity for the term as Vice-Chancellor excluding the period counted for pension elsewhere, at the rate of quarter month's 'emoluments' for each completed half year of service as Vice-Chancellor. Fraction of period of three months or more but less than six months shall be treated as completed half year and period less than three months shall be ignored. 'Emoluments' shall have the same meaning as is defined in the Pension Rules of the concerned University.
 - (iii) Leave Encashment as per rules of the concerned University.
 - (iv) Travelling Allowance, according to the entitlement laid down in the Travelling Allowance Rules of the concerned University, for repatriation to the home town of the incumbent. Terminal Benefits will be admissible only to those VCs who vacate the office due to (i) attainment of maximum age prescribed for VC or (ii) completion of term.
- A Vice-Chancellor whose tenure is terminated on account of removal or dismissal from office will not be entitled to any terminal benefit.
- (2) The field and areas from where a V.C. may come is undefined. As such the following package of terminal benefits may be prescribed for persons coming from different fields/areas:-

(1) If a person comes from outside Rajasthan, may be from Service or Non-Service-Sector, join as V.C. and leave the University due to completion of his term or attainment of age of retirement:

- (a) He will not be entitled to any pension from the University;
- (b) He will be entitled to Gratuity, CPF, Terminal Leave Encashment for the period he worked as V.C. and T.A. for back home journey as per T.A. rules of the borrowing University.

(II) If a person comes from pensionable service sector of Government of Rajasthan/any University of Government /State Statutory Bodies, joins as V.C. and retires from his earlier job while serving as V.C. (may be termed as first part of service as V.C.) and thereafter continues as V.C. (may be termed as remaining period:

- (a) The first part of service as V.C. may be added to his earlier service and may be counted towards calculation of qualifying pensionable service. If the rules of that organization so permit, the Pension Contribution may be paid by the borrowing University to his parent department as per Govt. Rules as applicable from time to time.

He may also be entitled to Gratuity, Leave Encashment as per rules applicable to his past service,

- (a) For remaining period as V.C., he will be treated as per proposal in Point No. 4 below.

(3) If a person comes from pensionable service sector of Rajasthan /Universities of Rajasthan/State Statutory Bodies, joins as V.C. and re-joins his past service after completing the term as V.C. and retires from there:

- (a) His period of service as V.C. may be added to that of his past service for pension purpose if the rules of that organization so permits, subject to pension contribution paid by the borrowing University.

- (b) Balance of earned leave in the University may be added to that of his past service, if the rules of that service so permit.

वर्तमान मद्यकीर खुला वि० वि० कोय.

क्रमांक :

दिनांक

कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की ६० वीं बैठक (आपात) आज दिनांक 25-9-04 को सांच उखरे माननीय कुलपति मधेदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | |
|---|-----------|
| (1) डा० आर०वी० व्यास | अध्यक्ष |
| (2) श्री रामसुभाषा | सदस्य |
| (3) श्री (प्रो०) उदय जैन | सदस्य |
| (4) श्री (प्रो०) रम० एन० गुप्ता | सदस्य |
| (5) श्री (प्रो०) अनाम जैहली | सदस्य |
| (6) डा० आर० सी० मीणा | सदस्य |
| (7) श्री डी० के० विजय, (प्रतिनिधि सचिव वि०) | प्रतिनिधि |
- गणपूर्ति पूरी होने पर माननीय कुलपति मधेदय

द्वारा बैठक प्रारंभ करते हुए सभी उप० सदस्यों का स्वागत किया गया। श्री (प्रो०) रम० सी० गर्ग की अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित संबंधी सूचना सदन को दी। माननीय कुलपति मधे ने आज के सजेन्डा आईटम की जानकारी दी। एवं सदस्यों से BOM के प्रतिनिधि के रूप में कुलपति पदन शर्मा के लिये नाम सुझाने हेतु भी कहा। माननीय सदस्य श्री उदय जैन सा० ने श्री रम० डी० मिश्रा, सेवानिवृत्त HOD (गृहीत) राज्य० युनिवर्सिटी जयपुर का नाम प्रस्तावित किया। जिसे सर्वसम्मति से माननीय सदस्यों द्वारा स्वीकृति दी जाकर अनुमोदित किया गया।

माननीय कुलपति महो० ने बैंक खाते की
सोचणा करते हुए सभी माननीय सदस्यों का आभार
प्रकृत किया।

~~महो०~~

R. Vijay

Prin

(Ramu Lubhaya)

Prac (205)

D.K. VIJAY

D.S, FD (Exp. I)

~~महो०~~

~~महो०~~

Sanyal

Prac

Prajapati

222

पुस्तक मण्डल की 61वीं बैठक दिनांक 25/2/05 का कार्यवाही विवरण
आज दिनांक 25/2/05 को प्रातः 11:30 बजे पुस्तक मण्डल की 61 वीं बैठक का
आयोजन माननीय कुलपति महोदय डॉ. आर.बी. व्यास की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में
निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- 1 श्री जे.पी. मोहन्ती, श्रीमतीय आयुक्त, कोटा (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर)
- 2 श्री उदय जैन, श्रीमती कंचन, गैटर त्रिपुरी कॉलोनी, इन्दौर
- 3 श्री एल.एन. गुप्ता, 80/8 पटेल मार्ग, मान सरोवर, जयपुर
- 4 श्री एम.के. धरलिया, आचार्य, अक्षयानन्द, वर्धमान महावीर खूना विश्वविद्यालय, कोटा
- 5 डॉ. आर.सी. मीणा, निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, वर्धमान महावीर खूना विश्वविद्यालय, कोटा
- 6 श्रीमति संध्या शर्मा, कौषाधिकारी, कोटा, (प्रतिनिधि शासन सचिव, जयपुर) विल विभाग, जयपुर)
- 7 श्री बी.एल. कोठारी, कैलसचिव, वर्धमान महावीर खूना विश्वविद्यालय, कोटा

सचिव

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

वर्धमान महावीर खूना विश्वविद्यालय, कोटा

गणपूर्ति उपरान्त माननीय कुलपति महो. द्वारा बैठक का विधिवत प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम श्री जे.सी. मोहन्ती एवं प्रो. एम.के. घडोलिया का नये सदस्यों के रूप में स्वागत किया तथा निवर्तमान सदस्य डॉ. अनाम जैटली का उनके सदस्य के रूप में दिये गये योगदान के लिये आभार व्यक्त किया।

सदस्यों को यह भी सूचित किया गया कि इ.गॉ.रा.मु.वि. के समकुलपति प्रो. एस.सी. गर्ग राजकीय व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा समय पर परीक्षाओं के आयोजन, परिणामों की घोषणा एवं छः माही प्रवेश कार्यक्रम को सफलता पूर्वक सम्पन्न होने की जानकारी दी गई।

परीक्षा परिणामों में करीब एक सप्ताह का विलम्ब हुआ है क्यों कि विश्वविद्यालय के अधिकांश कर्मचारी पंचायत चुनावों की ड्यूटी पर जिला प्रशासन द्वारा बुला लिये गये थे। यह भी जानकारी दी गई कि इस वर्ष के लिये निर्धारित आय के लक्ष्य शत प्रतिशत अर्जित कर लिया जायेगा। सत्र 2004-05 में पिछले सत्र की तुलना में विद्यार्थियों के नामांकन में 1200 से अधिक की वृद्धि हुई है।

उसके बाद कार्य सूची पर बिन्दुवार चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

61/1: (अ) प्रबंध मंडल की 59वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

(ब) प्रबन्ध मंडल की 59 वीं बैठक के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

सभी सदस्यों ने प्रबन्ध मण्डल की 59 वीं बैठक के कार्यवृत्त एवं उसकी अनुपालना प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

61/2: प्रबंध मंडल की 60वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुपालना प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ।

सभी सदस्यों ने प्रबन्ध मण्डल की 60 वीं बैठक की अनुपालना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।



61/3: वर्ष 2003-04 के वार्षिक लेखा एवं उनके अंकक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय के वर्ष 2003-04 के वार्षिक लेखा एवं अंकक्षण प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श किया गया। माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि वि.वि. की वित्त समिति इसे स्वीकार कर चुकी है। माननीय सदस्य प्रो एल.एन. गुप्ता, प्रो. एम. के. घडोलिया, श्री जे. सी. मोहन्ती एवं प्रो. उदय जैन ने वार्षिक लेखों के संबन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये एवं कुछ बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी चाही। बैठक में विशेष आमंत्रित श्री जी.एस. गुप्ता, सहायक कुलसचिव (लेखा एवं वित्त) द्वारा माननीय सदस्यों को तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई गई। सदस्यों द्वारा वार्षिक लेखों में वर्णित Cash in hand को Cash at Bank करने के सुझाव को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् सदस्यों ने वर्ष 2003-04 के वार्षिक लेखा एवं अंकक्षण प्रतिवेदन को सर्वसम्मिति से स्वीकार/अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों द्वारा लेखों में सुधार एवं उन्हें और अधिक उपयुक्त करने हेतु निम्न सुझाव दिये गये। इन सुझावों पर आगामी वित्त वर्ष के अंकक्षण के समय ध्यान में रखा जायेगा।

- (i) विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों का वर्तमान मूल्य एवं पुस्तक मूल्य (Book Value) दोनों ही दर्शाये जाने चाहिये।
- (ii) अप्रयुक्त अनुदान की सूची में उसके प्राप्ति के वर्ष का भी उल्लेख किया जावे।
- (iii) बकाया अग्रिमों की वसूली के लिये और अधिक प्रयत्न किये जावे एवं उसका उल्लेख भी लेखा प्रतिवेदन में किया जावे।
- (iv) वार्षिक लेखों में पिछले वर्ष के आंकड़े भी दर्शाये जावे जिससे तुलनात्मक अध्ययन हो सके।
- (v) बकाया अग्रिम राशि के सामने उसका वर्ष भी दर्शाया जावे।

61/4: विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता नियमों में स्थानांतरण पर स्वयं का वाहन (चार पहिया) ले जाने का किराया 3.50 प्रति कि.मी. संबन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

माननीय सदस्यों द्वारा वाद विचार विमर्श सर्वसम्मिति से विश्वविद्यालय यात्रा भत्ता नियमों में स्थानांतरण पर स्वयं का वाहन (चार पहिया) ले जाने पर रु. 3.50 प्रति कि. मी की दर से किरायाभुगतान करने का अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष ने सूचित किया कि वित्त समिति इसे स्वीकार कर चुकी है।

61/5. आवास ऋण एवं वाहन ऋण स्वीकृति बैंको के माध्यम से करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

माननीय सदस्यो द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारियों/अधिकारियों/अध्यापकों को वर्तमान में दी जा रही आवास ऋण एवं वाहन ऋण सुविधा को बन्द करते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.5(3)FD/Rules/2004 दिनांक 29/3/04 एवं F.1(37)FD(Rules) 78 PT.1 dt: 30/6/04 द्वारा उनके कर्मचारियों /अधिकारियों के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृति को लागू करने एवं समय-समय पर यथा संशोधित व्यवस्था विश्वविद्यालय में भी लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

वित्त समिति इसका पूर्व में अनुमोदन कर चुकी है।

61/6. परीक्षकों एवं परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि संबन्धी आदेश अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

माननीय सदस्यों द्वारा परीक्षकों एवं परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्र. 22413-18 दिनांक 10/9/04 एवं 27153A दिनांक 25/10/04 का बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई निम्नलिखित सूचनाएं/जानकारी परिशिष्ट - अ, ब, स, पर संलग्न है:-

- (i) राज्य सरकार का आदेश सं. FD/(15)Edu-IV/94 दिनांक 26/2/04।
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा दरों के संशोधन हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन।
- (iii) दरों में संशोधन उपरान्त विश्वविद्यालय पर पडने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार का विवरण।

[Handwritten signature]

61/7: कुलपति चयन समिति हेतु प्रबंध मंडल द्वारा मनोनीत सदस्य की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों को राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 2 दिनांक 10/1/05 की जानकारी देते हुए कुलपति चयन हेतु गठित समिति में प्रबन्ध मण्डल की ओर से नामांकित किये जाने हेतु सदस्य का नाम सुझाने हेतु निवेदन किया। इस माननीय सदस्य प्रो. उदय जैन, प्रो. एल.एन. गुप्ता, प्रो. एम.के. घडोलिया एवं डा. आर.सी. मीणा ने अपने-अपने प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये। जिस पर सदन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार कर डा. आर.सी. मीणा द्वारा प्रस्तावित प्रो. वी. आर. मेहता, पूर्व कुलपति, व.म.खु.वि. कोटा नाम सर्वसम्मति से स्वीकार किया। प्रो. वी. आर. मेहता का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रो. वी.आर. मेहता,

मकान नं. 5928, टी.एल.एस. फेज-4 डी.एल.एफ. सिटी, गुड़गाँव - 122 002 (हरियाणा).

दूरभाष नं. 0124-2392197 & 2392198.

61/8 : वि.वि. में प्रवेश नियम संबंधी आर्डिनेंस अनुमोदनार्थ।

माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी नियमों का आर्डिनेंस अभी तक नहीं होने का उल्लेख किया तथा इससे उत्पन्न कठिनाईयों की और सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया एवं प्रस्तुत आर्डिनेंस का अनुमोदन करने हुए निवेदन किया। जिसे बाद गहन विचार-विमर्श माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

61/9: प्रबंध मंडल के निर्णय 58/2 के क्रम में दूरस्थ शिक्षा परिषद का अनुदान लौटाये जाने के कारणों की जांच करने बाबत गठित जांच समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

माननीय सदस्यों द्वारा जांच प्रतिवेदन अवलोकन किया एवं जांच अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं मानने पर अपना असंतोष प्रकट किया। जिससे

माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अनुदान लौटाये जाने के कारणों एवं परिस्थितियों से विस्तार से अवगत कराया। जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा जांच प्रतिवेदन को स्वीकार/अनुमोदन करते हुए सुझाव दिया कि भविष्य में इसकी पुनर्वृत्ति नहीं हो इस हेतु प्रबन्ध मण्डल के सदस्य प्रो. एम.के.घडोलिया एवं डा. आर.सी.मीणा की दो सदस्यीय समिति का गठन कर अनुदान के प्रभावी एवं समयबद्ध उपयोग हेतु मार्गदर्शिका तैयार कराली जावे।

61/10: दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान सूचनार्थ।

माननीय सदस्यों द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद से वर्ष 2004-05 के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदान को Note किया गया।

61/11: विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मूल वेतन में सम्मिलित करने बाबत जारी आदेश अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या 518 दिनांक 21/7/04 का माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

61/12: शैक्षणिक पदों की वर्तमान स्थिति बाबत उपसचिव प्रशासनिक सुधार अनुभाग-3 विभाग को प्रेषित पत्र प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ।

माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इस आईटम को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु Deffer किया गया।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक के दौरान टेबल एजेण्डा भी प्रस्तुत किया गया। जिस पर निम्न निर्णय किये गये:-

61/13(i): विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निवास पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

माननीय सदस्यों द्वारा बाद गहन विचार विमर्श कर निर्णय किया गया कि इसे पहले वित्त समिति से अनुमोदन कराया जावे।

61/13(ii): विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में खोलने बाबत माननीय सदस्य प्रो. उदय जैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकन एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

माननीय सदस्यों द्वारा बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम महाविद्यालयों को ही प्राथमिकता दी जाने एवं यदि बहुत ही आवश्यकता हो तो विद्यालयों में अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु specific प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे

61/13(iii): विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव श्री जी.एस. गुप्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश सूचनार्थ।

माननीय सदस्यों द्वारा इस सूचना को Note किया गया।



61/13(iv): विश्वविद्यालय के पुराने रेकार्ड्स के निस्तारण के संबन्ध में।

विश्वविद्यालय स्थापना से अब तक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रखे पुराने रेकार्ड्स निस्तारण के लिए प्रबन्ध मण्डल की 45 वीं बैठक के निर्णय संख्या 45/30 में निम्न संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया:-

निविदा ऐसे क्रेताओं से ही आमंत्रित की जावे जो कि वि.वि. परिसर में ही अपनी कटिंग मशीन लगाकर समस्त रद्दी को चार टुकड़ों में विभक्त करने में सक्षम हो।

अथवा

सम्पूर्ण रद्दी को संबन्धित विभाग के सहायक कुलसचिव एवं अनुभागाधिकारी या कुलसचिव द्वारा विभाग के मनोनीत कर्मचारियों के समक्ष पानी के टैंक में गलाकर लुगदी बनाने की व्यवस्था कर सकें।

अतः 45 वीं बैठक के निर्णय में उक्त संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

61/13(v): विश्वविद्यालय का वर्ष 2003-04 का वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) अवलोकनार्थ।


माननीय सदस्यों द्वारा वि.वि की वर्ष 2003-04 की वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) का अवलोकन किया जाकर रेकार्ड पर ली गई।

61/13(vi): वि.वि. में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के विवेकीकरण हेतु गठित जुत्सी समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह item आगामी बैठक में रखे जाने हेतु Deffer किया गया।

61/13(vii): डॉ. आर.के.जैन सहायक आचार्य, प्रबन्ध की नियुक्ति में अनियमितता बाबत जांच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक के निर्णय संख्या 56/22 दिनांक 23/12/02 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। जिसका प्रतिवेदन आज प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। जांच समिति की report के लिफाफे को प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के समक्ष ही खोला गया था। प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों ने गहनता से विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय किया कि महालेखाकार राजस्थान को उनके आडिट आक्षेप की अनुपालना में जांच प्रतिवेदन की प्रति भेजकर निर्णय करने हेतु निवेदन किया जावे एवं महालेखाकार, राजस्थान से प्राप्त निर्देश/निर्णय से प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में अवगत कराया जावे।


कुलसचिव एवं
सचिव प्रबन्ध मण्डल

100

61/6 (i)

पारिशीत-३७

12/03/04

Government of Rajasthan
Education (Gr.IV)(Department

No. F.3(15)Edu.4/94

Jaipur, dated: 26.2.04

1. The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
2. The Registrar, M.L.S. University, Udaipur.
3. The Registrar, J.N.V. University, Jodhpur.
4. The Registrar, M.D.S. University, Ajmer.
5. The Registrar, Vardhman Mahaveer Open University, Kota.
6. The Registrar, National Law University, Jodhpur.
7. The Registrar, Rajasthan Agriculture University, Bikaner.
8. The Registrar, Maharaja Pratap Agriculture and Technology University, Udaipur.
9. The Registrar, University of Bikaner, Bikaner.
10. The Registrar, University of Kota, Kota.

Subj:- Revision in the rates of remuneration payable to teachers and staff of the Universities for examinations work.

I am directed to state that matter regarding revision in the existing schedule of rates of the remunerations, payable to various category of staff employed by the Universities to conduct their examinations was discussed in the Vice-Chancellor's Coordinations Committee meeting held on 8.8.2003 under the Chairmanship of His Excellency, the Governor & Chancellor and a Committee was constituted under the convinership of the Vice-Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur.

The revised schedule formulated by the said committee is enclosed herewith except S.No. 6 (Ayurved Varidhi-For examining thesis to each examiner from Rs. 75 to Rs.1000/-).

scale of honorarium/allownces to the teaching staff who are working on administrative posts and Special pay,

1. The Committee after due deliberations resolved to recommend the following scale of Honorarium /Remuneration to Examiners setting of question papers, marking of answer books, etc.

Remuneration for various examination works

S.No.	Name of the Examination	Existing rates	Rates approved in 2000 by Univ. Bodies	
1.	B.A., B.F., B.Com. (Pass & Hons.), B.Sc. Agri. (Pass & Honours), B.Sc., B.Ed., B. Ed., L.L.B (W.P.) B.Sc., Home Science, Shastri, B. Sc., Shiksha Shastri, Certificate Course in Dramatics, Certificate course in Dramatics, Certificate/Diploma in Computer Application, B.F.A., Bachelor Degrees in Adult Education, Proficiency Test in Hindi/English, All Certificate courses, All Diplomas, Under-Graduate level including Foreign Languages, B.Aus., B.J.M.C.BIMCT, BBA & BCA For setting each question paper in full For setting each section of paper For marking each answer books; in full or part; with a minimum of Rs.300/- To each Head examiner for supervising the work of each co-examiner N.B.: Where the part of question paper containing objection type question/descriptive type questions is provide separately, both parts of the question paper shall be treated separate paper for the purpose of remuneration for setting the question paper and evaluation the answer books and separate remuneration shall be paid for both the parts of such question paper.	Rs. 150/- (150) Rs. 75/- Rs. 4/- (5/-) Rs. 75/-	Rs. 375/- Rs. 185/- Rs. 10/- Rs. 185/-	Rs. Rs. Rs. Rs.
2.	All Post-Graduate Diploma including Law, All M.A., M.Sc., M.Sc.(Home Science), M.Com., M.B.A. (Day) and M.B.A. (Executive Course), M.Ed., M.Lib. Sc., LL.M., Acharya, MCA, M. Mus., MFA: For setting each question paper in full For setting each section of the Question paper (A&B) Each Head examiner for Supervising the work of his Co-examiner For marking each Answer book in full or part; with a minimum of Rs.300/- (100/-) For examining each candidate in Viva-voce in M.A.M. Sc., and M.B.A. (Day & Executive) with a	Rs.200/- (200) Rs.100/- Rs.75/- Rs.5/- (10/-) Rs.4/-	Rs. 500/- Rs. 250/- Rs.200/- Rs.12/- Rs.10/-	Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

26/2/04

09

(50)

	For viva-voce examination of D.Litt. or D.Sc.	Rs.250/-	Rs. 025/-	Rs. 100/-
8.	M.Phil Examination For setting each question paper in full For making each answer book (with a minimum of Rs.250/-)(Proposed 300/-)	Rs.225/- Rs.160/-with a min Rs. 150/-	Rs. 550/- Rs. 25/-	Rs 80 Rs 3
9.	For assessing the Dissertation and conducting Viva-voce	Rs.150/-	Rs.375/-	Rs. 100/-

ii. The following shall be the remuneration to examiners for Practical Examinations.

	B.A., B.Sc., B.Com., Agr. (Pass & Hons.) B.Sc., Home Sc., Shiksha, B.Lib. Sc., B.Sc., D.Ed., M.Ed., L.L.B., B.F.A., M.Mus., Certificate/Diploma in Lib. Sc., Shiksha Shastri Certificate/Diploma in Computer Application). For setting each question paper Rs.13/- per candidate with a minimum of Rs.250/- (proposed 300/-) to each External and Internal Examiner. N.B.: The fee for Head examinership shall be payable only if there are co-examiners for practical examinations. The question of setting a paper would not arise if there is no co-examiner.	Rs.100/- Rs.2.70	Rs. 250/- Rs. 13/-	Rs. 400/- Rs. 10
2.	M.A., M.Sc., M.Sc. Home Sc., M.Ed., (Prev. & Final) separately, M.C.A., M.F.A., Acharya, M. Mus. Rs.13/- per candidate (with a minimum fee of Rs.300/- (proposed 400/-) to each External and Internal Examiner. For examining sessional work Rs.13/- per candidate in the case of M.Ed. Examination (with a minimum fee of Rs. 150/- (Proposed 200/-) to External Examiner only). N.B.: Where a paper is divided into two sections/parts, each section of which is set and marked by a separate examiner, half of the setting fee and full marking fee shall be paid.	Rs.3.40 Rs.4/-	Rs. 13/- Rs. 13/-	Rs. 15/- Rs. 15/-
3.	M.B.B.S., B.D.S., B.Sc. Nursing, B.Sc. Optics, Zoology, B.H.M.S., B.A.M.S., B.U.M.S., B.Pharmacy, D.Pharmacy, B.E., B.Arch., B.Tech. For practical/clinical, quiz & Practical training	Rs/1/-	Rs. 13/-	Rs. 10/-

2012/04

	For Viva-Voce per candidate to each external and internal examiner (with a minimum of Rs.500/- (proposed 800/-) to each external and internal examiner.		
4.	M.D., M.C. (Med.), P.G. Diploma in M. Ayurved Vachaspathi, M.D. (Homocopathy), B.S., (Nursing), M.M.S., M.Tech., M.Arch., V. Analysis of Cases (W.A.C) of M.I.A. (Day & Executive)	Rs.20/- Rs.10/- Rs.4/- with a min.Rs.150/- & 75/- & 75/- respectively	Rs. 25/-
5.	M.Ch., D.M., Ayurveda Vaidhi	Rs.150/- Rs.75/- Rs.75/- respectively	Rs. 35/-

iii. The following shall be the remuneration to tabulator & Checker.

	For tabulating the results of Main examination per candidate to each Tabulator (with a minimum of Rs.100/- (proposed 200/-) each Tabulator)		Rs. 2.50
	For checking the results of Main examination per candidate to each checker (with a minimum of 50/- (proposed 100/-) to each checker)		Rs. 1.25

iv. Remuneration to be paid to an examiner shall be restricted per annum as under:

1.	In general cases		Rs. 15000/-	Rs. 20
2.	In such subject where separate remunerations paid for the part of question paper (..... sy. type questions and Objective type questions)		Rs. 25000/-	Rs. 30

v. Remuneration for re-valuation:

The rate of remuneration for revaluing the answer books of various examinations shall be double the rate of remuneration prescribed for revaluation of the answer-books for such examination in the subject/paper concerned. Minimum charges for revaluation of answer books will be Rs. 50/-

vi. Deductions shall be made from the remuneration bills unless condoned by the University in special cases:

Ch 26/2/04

Delay in dispatching marks to Tabulators/University		Rs.20/- per day	Rs.50/- delay
Delay in returning the marked answer books		Rs.20/- per day	Rs.50/- of delay
Delay in dispatching the examiners report		Rs.05/- per day	Rs.10/- per day

For Errors and omissions

Copy of marks slip sent to wrong Roll Nos.		Rs.20/- per mistake	Rs.50/- per mistake
Copy of marks slip sent from those shown on the answer books		Rs.20/-	Rs.50/-
Copy sent to enter marks in the award list		Rs.20/-	Rs.50/-
Copy sent to write absent in the award list		Rs.5/-	Rs.10/-
Copy sent to assign an answer or part thereof		Rs.20/-	Rs.50/-
If Roll and Counter-folio of marks are sent to wrong Tabulators		Rs.20/-	Rs.50/-
Errors in the award list differ in words and figures		Rs.20/-	Rs.50/-
Copy sent to fail in the bottom entries in the award-list		Rs.10/- per mistake	Rs.20/- per mistake
Copy of marks in a wrong order i.e. not in the ascending order Roll No.		Rs.10/-	Rs.20/-
Any other mistake found on scrutiny of answer books		Rs.20/- per mistake	Rs.50/- per mistake

If the amount of the bill shall be paid to an examiner when the penalty for delays and mistakes etc. exceeds the amount of the total bill.

Rate of remuneration to the Centre Superintendent, Addl. Superintendent, Asstt. Superintendent and Invigilators/ Supervisors and non-teaching staff for the Main and Supplementary examinations shall be as under:

		Per day of 1 session of 3 hrs.	Per day of 2 sessions of 3 hrs.	Per day of 3 sessions of 3 hrs.
(a) Superintendent	(Existing)	50	75	120
	(Proposed)	Rs.100/- Rs.150/-	Rs.175/- Rs.200/-	Rs.225/- Rs.300/-
(b) Adul. Superintendent	(Existing)	40	75	105
	(Proposed)	Rs.75/- Rs.100/-	Rs.125/- Rs.175	
(c) Asslt. Superintendent	(Existing)	35	65	95
	(Proposed)	Rs.60/- Rs.80/-	Rs.100/- Rs.150/-	

25/12/04

105

6/6 (ii)

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

Minutes of the Committee meeting held on 16-07-04 at 12.00 noon in the Committee Room, V.C. Secretariat, Kota, to review the rates of remuneration payable to the teachers and staff for the examination work.

Following persons were present:-

- 1- Prof.P.K. Sharma, Professor of Management, Convenor
- 2- Shri S.G.Sharma, Registrar, MDS Univ., Ajmer, Member
- 3- Shri Yogesh Sharma, Asstt.Prof. of Law, Member
- 4- Shri G.S.Gupta, Finance Officer, Member
- 5- Smt. (Dr.) Kamlesh Joshi, Controller of Examinations, Member Secretary

On receipt of clearance from the State Govt. Vide Govt. order No.F.3/15/Edu.4/94 dated 26.02.2004, above mentioned Committee was constituted by the Hon'ble Vice-Chancellor for making recommendations on revision in the rates of remuneration payable to the teachers and staff of the University for examination work.

After having deliberations in the light of revised/proposed rates of remuneration by the State Government and existing rates of VMOU, the Committee recommends the rates of remuneration for examination work as under:-

Sr.No.	Name of Examinations	Existing rates	Recommended/ Proposed rates
--------	----------------------	----------------	--------------------------------

(A)

- 1- All Certificate, Undergraduate Degree/Diploma Programmes

.....2.....

13

~~4~~

Such as B.A./B.Com., DLS, DCO, BJMC, TTM, B.ED., DNHE, DCCT, CCT CIC, CTB, BLS, BAP/BCP etc.:-			
i) For setting each question paper in full.	Rs.180/-	Rs.400/-	
ii) For marking each answer book in full or part	Rs.5/-	Rs. 10/- (Minimum Rs.300/-)	
iii) For setting question paper with objective and multiple answer type questions (for each item/question)		Rs. 20/-	
iv) For marking each answer book	Rs.10/-	Rs. 20/-	
2- All PG Diploma/Degree Programmes such as M.A./MBA/M.Ed./PGDLL/MJMC etc.:-			
i) For setting each question paper in full.	Rs.300/-	Rs.500/-	
ii) For marking each answer book in full or part	Rs.10/-	Rs.15/- (minimum Rs.300/-)	
iii) For setting question paper with objective and multiple answer type questions (for each item/question)		Rs.25/-	
iv) For marking each answer book		Rs.25/-	
3- Dissertation / Project Report :-			
i) Supervision at UG level for each student	Nil	Rs.300/-	
ii) Supervision at PG level for each student	Rs.300/-	Rs.500/-	
iii) Evaluation at UG level for each student	Nil	Rs. 50/-	
iv) Evaluation at PG level for each student	Rs.100/-	Rs.100/-	

.....3....

v) For practical/viva voce examination for each student PG level Rs.100/- Rs.100/-
(to external and internal examiner each)

Doctorate Degree:-

i) For reading the thesis of Ph.D. Rs.300/- Rs.800/-
ii) For Practical/Viva Voce examination for Ph.D. Rs.200/- Rs.500/-

(B)

1- For all practical examinations of UG degree level such as B.Ed., DCO, C.T.B.C.T.C etc programmes.
For setting each question paper Rs.180/- Rs.400/-
For examining each candidate with a minimum of Rs.300/- to each external and internal examiner Rs.5/- Rs.10/-

2- For all Practical examinations of PG Degree level such as MCA, MBA etc.
For setting each question paper for examining each candidate with a minimum of Rs.300/- to each external and internal examiner Rs.500/- Rs.15/-

(C)

The following shall be remuneration to Moderator, Tabulator & Checker.

i) For moderation of question papers Rs.500/- programme
ii) For tabulating the results of main examination (Term-End-Exam.) per Rs.4/-

.....4.....

candidate to each tabulator (with a minimum of Rs.200/- to each tabulator)

- iii) For checking the results of main examination per candidate to each checker (with a minimum of Rs. 100/- to each checker) Rs.2/-

(D)

The remuneration to be paid to an examiner shall be restricted per annum as under (for both June & December Term and examinations.)

In General cases Rs.20,000/-

In such subject where separate remuneration is paid for setting the part of question paper (Essay type and Objective type questions) Rs.30,000/-

(E)

Deductions shall be made from the remuneration bills unless condoned by the University in special cases.

For Delay:-

Sr.No.	Particular	Deductions
1-	Delay in dispatching marks to University.	Rs.50/- per day
2-	Delay in returning the marked answer book	Rs.50/- per day

FOR ERRORS AND OMISSIONS

1-	Entry of marks against wrong Roll Nos.	Rs.50/-per mistake
2-	If marks in the award list differ from those shown on the answer books.	Rs. 50/-per mistake

.....5.....

- 3- Omission to write absent in the award Rs.10/-per mis
- 4- Omission to enter marks in the award list Rs.50/-per mis
- 5- Omission to assess an answer or part thereof R. 50/-per mis
- 6- If marks in the award list differ in words and figures. Rs.50/-per mis
- 7- Omission to fill in the bottom entries in the award list Rs.20/-per leaf
- 8- Posting of marks in wrong order i.e. not in the Ascending order of roll Nos. Rs.20/-per leaf
- 9- Any other mistake found on scrutiny of answer book Rs.50/-per mistake

Note:- Half the amount of the bill shall be paid to an examiner when the penalty for delays and the mistakes etc. exceeds half the amount of the total bill.

(F)

RATES OF REMUNERATION TO THE CENTRAL SUPERINTENDENT, ADDITIONAL SUPERINTENDENT, ASSTT.SUPERINTENDENT AND INVIGILATORS/SUPERVISOR AND NON-TEACHING STAFF FOR THE TERM-END EXAMINATIONS (Main Examinations) shall be as under:-

	Per day of 1 session of 3 hrs.		Per day of 2 sessions of 3 hrs.		Per day of 3 sessions of 3 hrs.	
	Existing	Proposed	Existing	Proposed	Existing	Proposed
(a) Superintendent	50/-	150/-	90/-	200/-	120/-	250/-
(b) Addl. Supdt.	40/-	100/-	75/-	175/-	-	200/-
(c) Asstt. Supdt.	35/-	80/-	65/-	150/-	-	175/-
(d) Invtr./Supdt.	30/-	70/-	60/-	140/-	-	210/-

.....6.....

110

// 6 //

(69)

N.B. (1) At centers where the number of examinees exceeds 1000 the center superintendent, Addl. Center supdt., Asstt. Supdt., Invigilator / Members of flying squad, Supervisors will be paid remuneration at the rates mentioned above.

(2) Where the duration of a question paper is more than four hours the invigilators shall be paid for two sessions.

(3) Rs. 25/- per session as conveyance charges will be paid to Centre Supdt., Adm. Supdt., Asstt. Supdt., Invigilators, Flying Squad, supervisor, who will be assigned examination work at the exam. Centre.

(G)

Miscellaneous charges at the examination centre Rs.3/- per candidate. For fee, Rs.0.20 paise per candidate or Rs.30/- per session in total whichever is higher.

Rate of payment of the non-teaching staff.

1- Ministerial staff per session	Rs.40/-
2- Class IV, Daftri per session	Rs.30/-
3- Electrician, Puni	
Driver & Chowkidars per day	Rs.20/-

Laboratory Staff:-

1- Lab. Asstt./Sr. Lab. Asstt.	Rs.35/-	Rs.40/-
2- Lab. Boy/Peon	Rs.25/-	Rs.30/-

....7....

(H)

The honorarium / remuneration to the Non-teaching staff who assigned the exam. work (i.e. checking exam. form, allotment of R-ll sending permission letter and also sending grade cards to the students may be made/ paid according to the existing rates of other Universities of state.

Further the Committee recommends that following enhancement increase in the rates of examination fees etc.

	<u>Existing</u>	<u>Recommended</u>
1- All certificate, U.G. Degree/ Diploma programmes. (For examination)	Rs.75/-per course/paper	Rs.100/- course/paper
2- All P.G. Degree/Diploma Programmes (For examination)	Rs.100/-per course/paper	Rs.150/- course/paper
3- Late fee	Double of Exam. fee	Double of Exam. fee
4- Retotalling fee	Rs.20/- per paper	Rs.50/- per paper
5- Duplicate mark sheet/grade card	Rs.15/-	Rs.50/-
6- Provisional certificate	Rs.20/-	Rs.100/-
7- Migration Certificate	Rs.30/-	Rs.100/-
8- Duplicate Degree/Degree in absentia		Rs.100/-
9- Submission / Resubmission of Home Assignments beyond the due date/current session		Rs.50/- per course/paper

.....8.....

112


(67)

// 8 //

The Committee also recommended to review the structure and modalities of Internal Assignments alongwith remuneration rates through a committee constituted by the Hon'ble Vice-Chancellor.

The Committee recommends that the proposed rates of remuneration in VMOU may be adopted w.e.f. Jun '04 examinations. Proposed enhanced rates towards above mentioned certificates may be effective immediately on the approval of the Hon'ble Vice-Chancellor. However proposed enhanced increased rates of examination fee may be effective from December, 2004 examination.

The meeting ended with a vote of thanks to the Convenor.


(P.K. Sharma)
Convenor


(Mrs. Kamlesh Joshi)
Member Secretary

Submitted for perusal and approval to




Hon'ble V.C

// 8 //

The Committee also recommended to review the structure and modalities of Internal Assignments alongwith remuneration rates through a Committee constituted by the Hon'ble Vice-Chancellor.

The Committee recommends that the proposed rates of remuneration in VMOI may be adopted w.e.f. Jun '04 examinations. Proposed enhanced rates towards above mentioned certificates may be effective immediately on the approval of the Hon'ble Vice-Chancellor. However proposed enhanced increased rates of examination fee may be effective from December, 2004 examination.

The meeting ended with a vote of thanks to the Convenor.


(P.K. Sharma)
Convenor


(Mrs. Kamlesh Joshi)
Member Secretary

Submitted for perusal and approval of



f. conv. & V.C.

कार्यालय : परीक्षा नियन्त्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

क्रमांक : एफ. / परीक्षा / 2005 / Spl. 01

दिनांक: 6/1 / 2005

विद्य,
कुलपति सचिवालय,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

विषय : - परीक्षा सम्बन्धी खर्चों की दरों में की गई वृद्धि वावु।
संदर्भ : - आदेश सं० एफ.3/वगखुवि/परीक्षा/गोपनीय/2004/22413-18
दिनांक 4.9.04 व 33795 दिनांक 25.11.04

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी दरों में की गई वृद्धि से व्ययों में निम्न प्रकार वृद्धि हुई है :-

S.No.	SESSION	STUDENT	REMUNERATION CHARGES		CENTRE CHARGES		INCREASE Rs. In Lac
			OLD RATE Rs. In Lac	NEW RATE Rs. In Lac	OLD RATE Rs. In Lac	NEW RATE Rs. IN Lac	
1	JUNE EXAM.	10000	2.91	5.39	5.28	7.90	2.48+2.62 = 5.10
2	DEC. EXAM.	10000	2.91	5.39	5.28	7.90	2.48+2.62 = 5.10
3.	PRE.BED & MANAGE MENT TEST	17000	-	-	4.80	7.20	2.40
	TOTAL		5.82	10.78	15.36	23.00	12.60

परिष्ठा नियन्त्रक

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 62 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की 62 वीं बैठक दिनांक 31 मई, 2005 मंगलवार को प्रातः 11.30 बजे कुलपति सचिवालय (समिति कक्ष) में आयोजित की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे -

1. डॉ. आर.वी. व्यास, - अध्यक्ष
कुलपति, व.म.खु.वि.वि., कोटा
2. प्रो. एल.एन. गुप्त - सदस्य
जयपुर
3. प्रो. उदय जैन, - सदस्य
इन्दौर
4. प्रो. एम.के. घड़ोलिया - सदस्य
आचार्य, अर्थशास्त्र
व.म.खु.वि.वि., कोटा
5. डा. आर.सी. मीणा - सदस्य
निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र,
व.म.खु.वि.वि., कोटा
6. श्री बी.एल. कोठारी - सचिव
कुलसचिव
व.म.खु.वि.वि., कोटा

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में श्री जे. सी. मोहन्ती संभागीय आयुक्त ने बैठक में भाग नहीं लिया। वित्त सचिव के प्रतिनिधि के रूप में श्री एल.एन. खण्डेलवाल ए.टी.ओ. कोटा ने बैठक में भाग लिया।

माननीय कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल ने सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया तथा प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रूप में प्रो. एस. सी. गर्ग का कार्यकाल 19 मई, 2005 को समाप्त होने पर उनके द्वारा प्रबन्ध मण्डल को प्रदान किये गये योगदान का स्मरण किया गया और उनके योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 31/5/05

[Handwritten signature] 31/5/05

कुलपति महोदय ने बैठक के दौरान संक्षिप्त उद्बोधन में निम्न बिन्दु सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किये :-

1. वित्तीय वर्ष 2004-05 का बजट लक्ष्य 350.00 लाख रुपये विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इतना ही नहीं बल्कि आय में 25.26 लाख रु. की वृद्धि हुई है। इस प्रकार विश्वविद्यालय पिछले 2 वित्तीय वर्षों से निरन्तर अपनी आय में वृद्धि कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा जो नये कार्य वर्ष 2004-05 में सम्पन्न कर लिए गये हैं उनका विस्तृत विवरण 2005-06 के बजट प्रस्ताव में उल्लेखित है।

2. वित्तीय वर्ष 2005-06 के प्रस्तावों के बारे में माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय की आय में उत्साहजनक वृद्धि अर्जित की और वर्ष 2005-06 में 380 लाख रु. के बजट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30.00 लाख रुपये अधिक है। बजट प्रस्ताव में 2005-06 में किये जाने वाले कार्यक्रमों को विस्तृत से स्पष्ट कर दिया गया है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची में वर्णित बिन्दुओं पर क्रमवार प्रकाश डाला। विस्तृत विवेचन एवं प्रबन्ध मण्डल का बिन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है -

आईटम नं. 62/1

वर्ष 2005-06 के बजट के अभाव में कुलपति महोदय द्वारा अधिनियम की धारा 8 (4) के तहत प्रथम तिमाही के व्यय हेतु जारी आदेश क्रमांक 12-37 दिनांक 1-4-2005 अनुमोदनार्थ ।


प्रबन्ध मण्डल ने उक्त आदेश को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

आईटम नं. 62/2

विश्वविद्यालय के वर्ष 2005-06 के वार्षिक बजट प्रावधानों का अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ ।

बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा कुछ जानकारियों चाही गईं जिनका कुलपति महोदय द्वारा संतोषजनक उत्तर देने के पश्चात खर्चों में कमी करने हेतु सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव व्यक्त किये गये :-

1. विश्वविद्यालय के पुराने/नकारा वाहनों की नीलामी की जावे।
2. विश्वविद्यालय में दूरभाषों की संख्या कम करके ई.पी.बी.ए. एक्स सुविधा का उपयोग किया जावे।
3. विश्वविद्यालय कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई जा रही बस सुविधा का शुल्क डीजल में वृद्धि की दर के अनुपात में समय-समय पर संशोधित किया जावे।



31/5/05

31/5/05

कुलपति महोदय द्वारा उपरोक्त सुझावों पर शीघ्र अमल करने के आश्वासन के पश्चात् वित्त समिति की 32 वीं बैठक दिनांक 30-5-2005 को पारित बजट को प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के सुझावानुसार निम्न आंशिक संशोधनों के बाद अनुमोदित किया :-

1. बजट प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 4 पर वार्षिक लक्ष्य में बिन्दु संख्या 1 में छात्र संख्या 30000 किये जाने का लक्ष्य निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों के स्थान पर क्षेत्रीय सेवाओं को आवंटित किया जाना पढ़ा जावे।
2. Maintenance of Study Centre में 1.00 लाख रुपये की वृद्धि की गई जिसमें क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा एवं जयपुर को 0.30 लाख रु. एवं अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रत्येक को 0.10 लाख रु. का अतिरिक्त बजट पोस्टेज हेतु आवंटित किया गया। इस राशि को पूंजीगत व्यय फोटो कोपियर मशीन कय 1.00 लाख रु. को शून्य कर के समायोजित किया गया। इस प्रकार पूंजीगत मद में 29.23 लाख की एवज में 28.23 लाख रुपये एवं अन्य व्ययों में 310.51 लाख रुपये की एवज में 311.51 लाख रुपये का संशोधित प्रावधान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

टेबल आईटम नं. 62/3 (1)

विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों पर नियुक्त किये जाने वाले कन्सलटेन्टों के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट अनुमोदनार्थ :-

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के द्वारा समिति की सिफारिशों का अवलोकन करने के पश्चात् वित्त समिति द्वारा सुझाये प्रस्तावों सहित समिति की सिफारिशों को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

टेबल आईटम नं. 62/3 (2)

छः माह के पाठ्यक्रमों का प्रवेश कार्य अध्ययन केन्द्रों पर करवाये जाने बाबत विद्या परिषद् का निर्णय अनुमोदनार्थ :-

सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का अवलोकन करने के पश्चात् समस्त पाठ्यक्रमों के आवेदन पत्र अध्ययन केन्द्रों पर विक्रय के लिए उपलब्ध करवाये जाने का निर्णय लिया। अतः इस कार्य हेतु अध्ययन केन्द्र पर कार्यरत समन्वयक / कर्मचारी को रु. 5/- प्रति आवेदन पत्र प्रस्तावानुसार मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
31/5/05

[Handwritten signature]
31/5/05

टेबल आईटम नं. 62/3 (3)

विश्वविद्यालय में हो रहे पीएच0डी0 शोध कार्य के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने एक प्रकरण माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा, जिसके अनुसार शोध कार्य में अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने की शंका व्यक्त की गई। डॉ. आर.पी. शर्मा के निर्देशन में किये तीन तथा डॉ. कर्ण सिंह के निर्देशन में किये गये 7 शोध प्रबन्धों को प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के सम्मुख अवलोकनार्थ रखा गया। प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने निम्न विवरणों के साथ शोध प्रबन्ध के बारे में विचार व्यक्त किये कि इस में ऐसा प्रतीत होता है कि शोध कार्य में बहुत ही विस्तार से नकल की गई है।

Name of Student	Topic	Supervisor	Date of Award
Jitendra Yadav	पंचायती राजनीति और ग्रामीण परिवर्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन	Dr. Karan Singh	1.4.2003
Narottam Giri	ग्राम पंचायतों में जन सहभागिता का अध्ययन	Dr. Karan Singh	31.7.2004
Om Prakash	हरियाणा प्रांत के ग्रामीण जीवन में सहभागिता पर अध्ययन	Dr. R.P. Sharma	Submitted in 2002

Name of Student	Topic	Supervisor	Date of Award
Geeta Yadav	भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राजनीतिक चेतना की प्रासंगिकता का अध्ययन - हरियाणा के सर्वेक्षण के आधार पर	Dr. Karan Singh	25.6.2004 (Submitted on 17.11.03)
Moti Shankar Nagar	भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राजनीतिक चेतना का अध्ययन	Dr. Karan Singh	Submitted on 06.7.2004 (Degree is yet to be awarded)

यही नहीं डॉ० कर्ण सिंह के निर्देशन में हुई शोध "पंचायती राजनीति और ग्रामीण परिवर्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन" एवं "ग्राम पंचायतों में जन सहभागिता का अध्ययन" डॉ० आर०पी० शर्मा के निर्देशन में पूर्व में हुई शोध "हरियाणा प्रांत के ग्रामीण जीवन में सहभागिता पर अध्ययन" की प्रतिकृति प्रतित होती है। जबकि डॉ० आर० पी० शर्मा अर्थशास्त्र के सहायक आचार्य थे एवं डॉ० कर्ण सिंह, राजनीति विज्ञान के सह-आचार्य है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3/11/05

[Handwritten signature]
3/11/05

प्रबंध मंडल ने प्रकरण को अत्यन्त ही गंभीर माना तथा इस प्रकार की शोध पर चिन्ता जाहिर की। सभी सदस्यों ने शोध विद्यार्थियों को इस कार्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण से जुड़े विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

गहन विचार विमर्श पश्चात् इस प्रकरण में प्रबंध मण्डल में निम्न कार्यवाही करने का सर्वसम्मत रूप से निर्णय लिया:-

1. इस पूरे प्रकरण में स्व. डॉ. आर.पी. शर्मा एवं डॉ. कर्ण सिंह के निर्देशन में किये गये कार्य की जाँच के लिए प्रबन्ध मण्डल ने एक समिति का गठन किया गया है।

- प्रो० ए०एस० नारंग, आचार्य, राजनीति विज्ञान, IGNOU, नई दिल्ली - अध्यक्ष
- प्रो० उदय जैन, सदस्य, प्रबंध मण्डल, इन्दौर - सदस्य

यह भी निर्णय लिया गया कि यह समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगी। जाँच में निदेशक, शोध समिति के सचिव के रूप में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रबन्ध मण्डल ने शोध कार्य के लिए निर्देशक डॉ. कर्णसिंह को भी दोषी माना। क्योंकि उन्होंने प्रतिकृति (कोपी नकल) किये हुए शोध प्रबन्ध को भी "अभिनव एवं मौलिकता प्रबन्ध" प्रमाणित कर विद्यार्थियों को गलत कार्य करने हेतु सहयोग किया इसलिए प्रबन्ध मण्डल ने डॉ. कर्ण सिंह के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये।

1. डॉ० कर्ण सिंह, सह-आचार्य को प्राथमिक विभागीय जाँच पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के Statute No. 17 के सहपठित विश्वविद्यालय सेवा नियम 1987 के 0.60 व 63 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जावे।


1. इस प्रकरण से जुड़े हुए विद्यार्थियों को अभी तक Provisional Degree जारी नहीं की हो तो जाँच पूर्ण होने तक जारी नहीं की जावे। यदि Provisional Degree जारी हो गई हो तो Final Degree जांच पूर्ण होने तक जारी न की जावे।

2. यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में अब तक हुए सभी Ph.D. शोध कार्य के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की जाँच हेतु एक अन्य समिति निम्नलिखित की गठित की जावे।

- प्रो० एल०एन० गुप्ता, सदस्य, प्रबंध मंडल : संयोजक
- माननीय कुलपति द्वारा नामित एक और सदस्य

उक्त समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रबंध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। जाँच में निदेशक (शोध) समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।



 31/5/05

 31/5

3. यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ० कर्ण सिंह के अधीन हुए 7 शोध कार्य एवं डॉ० आर०पी०शर्मा के अधीन हुए 3 शोध कार्य को Sealed कर कुलसचिव की Custody में सुरक्षित रखी जावें।
4. प्रबंध मण्डल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कुलपति महोदय प्रबंध मण्डल के इस निर्णय से महामहिम कुलाधिपति महोदय को व्यक्तिशः अवगत करावेंगे।

इसके बाद बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

[Signature]
31/5/05

[Signature]

[Signature] 31/5/05

[Signature]
कुलसचिव 31/5/05

सचिव प्रबन्ध मण्डल

[Signature]
31/5/05

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।

प्रबंध मंडल की 63 वीं बैठक दिनांक 22/10/05 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22/10/05 को प्रातः 11 बजे प्रबंध मंडल की 63 वीं बैठक का आयोजन माननीय कुलपति महोदय डॉ० आर० वी० व्यास की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में निम्न लिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

01	डा० आर० वी० व्यास कुलपति, वमखुवि, कोटा ।	अध्यक्ष
02	श्री जे० सी० महान्ति संभागीय आयुक्त, कोटा (प्रतिनिधी:- प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग)	सदस्य
03	डा० डी० सी० पंत गुड़गाँव-1220022 ।	सदस्य
04	डा० टी० यु० फुलजले निदेशक (क्ष० के०) इंदिरा गाँधी मुक्त वि० वि०, जयपुर ।	सदस्य
05	प्रो० एम० के० घडोलिया निदेशक, मान० एवं सामा० विद्यापीठ व० म० कखुवि, कोटा ।	सदस्य
06	डा० आर० सी० मीणा निदेशक, क्ष० के० वमखुवि, कोटा ।	सदस्य
07	श्रीमती संध्या शर्मा कोषाधिकारी, कोटा (प्रतिनिधी:- प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग)	
08	कुलसचिव वमखुवि, कोटा ।	सचिव

अनुसूचित
वर्धमान म.
कोटा

10/8
22.10.05

0/6

आवश्यक गणापूर्ति उपरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक का विधिवत प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम नवीन कुलसचिव श्री सौवरमल वर्मा का सदस्यों से परिचय करवाने के पश्चात प्रबंध मंडल के पूर्व सदस्यों प्रो० एल० एन० गुप्ता एवं प्रो० उदय जैन के कार्यकाल की समाप्ति की सूचना देते हुए उनके कार्यकाल में दिये गये सहयोग की सराहना की एवं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत नवीन सदस्यों डा० डी० सी० पंत एवं डा० टी० यु० फूलजले का परिचय करवाते हुए बताया कि डा० पंत इंदिरा गॉंधी रा० मु० वि० वि० के समकुलपाते पद से सेवानिवृत्त हुए हैं एवं डा० फूलजले वर्तमान में इग्नो में निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर के पद पर कार्यरत हैं दोनों ही सदस्यगणों के अनुभवों का लाभ वि० वि० को निरंतर मिलने की अपेक्षा की ।

कुलपति महोदय द्वारा प्रारंभिक चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रबंध मंडल को अवगत करवाया गया कि वि० वि० द्वारा समस्त परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम समय पर घोषित कर दिये गये हैं एवं वर्तमान सत्र में प्रवेश छात्रों की संख्या में भी सुधार आया है । वि० वि० द्वारा निर्धारित आय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं एवं वित्त वर्ष की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्य अर्जित कर लिये जाने का आश्वासन कुलपति महोदय द्वारा दिया गया ।

विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि करने के प्रयासों के तहत कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल की समक्ष जानकारी दी गई कि नालंदा वि० वि० द्वारा इस वि० वि० के पाठ्यक्रमों को कय करने का निर्णय किया गया है जिससे वि० वि० की आय में अब तक 6 लाख रुपये की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को राजऋषि टंडन वि० वि० द्वारा भी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास एवं अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को आयात करने की कार्यवाही की जा रही है ।

कुलपति महोदय द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद के अनुदान के संबंध में बताया गया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा वि० वि० को आगामी वित्तीय वर्ष में 80 लाख रुपए डवलपमेंट ग्रांट के रूप में एवं 4 लाख रुपये अनअसाईड ग्रांट के रूप में स्वीकृत किये हैं, इसमें प्रो० घड़ोलिया द्वारा प्राप्त सहायोग का उल्लेख भी कुलपति महोदय ने किया ।

संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा ऐड्युसेट के संबंध में जानकारी चाहने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय के वर्तमान में 65 अध्ययन केन्द्रों में से 25 अध्ययन केन्द्रों को ऐड्युसेट से जोड़ने का कार्य जारी है । इस क्रम में संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा बाराँ एवं झालावाड़ जिलो के आदिवासी क्षेत्रों के अध्ययन केन्द्रों पर ऐड्युसेट लगाये जाने हेतु आवश्यकता होने पर धनराशि सॉसद क्षेत्रीय विकास निधि से उपलब्ध करवाये जाने हेतु सहमति जताई । संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा ऐड्युसेट संबंधी कार्यवाही दिनांक 31/12/05 तक पूर्ण करने व 1/1/06 ऐड्युसेट प्रारंभ करवाने हेतु सुझाव दिया जिस पर कुलपति महोदय ने 1 जनवरी 2006 से ऐड्युसेट प्रारंभ किये जाने हेतु संभागीय आयुक्त महोदय को आश्वस्त किया । ऐड्युसेट हेतु वित्तीय संसाधनों के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को 50 लाख रुपये के राशि स्वीकृत की

05/12/05

o/c

गई है यदि और अधिक धनराशि की आवश्यकता हुई तो उसकी पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से कर ली जायगी ।

उपरोक्त चर्चा के पश्चात प्रबंध मंडल द्वारा बिंदुवार कार्यवाही विवरण पर चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

63/1 प्रबंध मंडल की 61 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

प्रबंध मंडल द्वारा बैठक के कार्यवाही विवरण को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया ।

63/2 प्रबंध मंडल की 62 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन ।

प्रबंध मंडल द्वारा उक्त बैठक के तुरंत पश्चात सदस्यों द्वारा किये गये अनुमोदन की कार्यवाही का अवलोकन किया ।

63/3 प्रबंध मंडल की 61 वीं बैठक के अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन एवं अनुमोदन ।

प्रबंध मंडल की 61वीं बैठक के निर्णयों के क्रम में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए निर्णय सं० 61/6 के क्रम में प्रो० घड़ोलिया द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परीक्षा कार्य संबंधी मानदेय एवं इस क्रम में वि० वि० द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित मानदेय की दरों में कुछ अंतर है अतः उक्त अंतर के संबंध में परीक्षण करने हेतु समिति की बैठक पुनः आयोजित की जानी चाहिये जिसे प्र०म० द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया एवं निर्णय सं० 61/13(7) के क्रम में डा० आर० के जैन की नियुक्ति पर लगाये गये आडिट आक्षेप एवं इस क्रम कुलपति महोदय द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य सरकार से प्राप्त प्रति उत्तर का परीक्षण विश्वविद्यालय स्तर पर करवाया जा रहा है वस्तुस्थिति से प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में अवगत करवा दिया जायगा । शेष अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।

63/4 प्रबंध मंडल की 62 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुपालना प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ ।

62वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन करते हुए कुलपति महोदय द्वारा डा० करण सिंह के शोध कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच के क्रम में गठित प्रो० नारंग समिति का प्रतिवेदन अवलोकन करवाते हुए प्रबंध मंडल को जानकारी दी गई कि डा० करण सिंह ने प्रबंध मंडल के निर्णय के क्रम में निलंबन को स्थानीय सिविल न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं० 221/05 पेश किये जाने एवं न्यायालय द्वारा उक्त स्टे ऐपलीकेशन को दिनांक 4/6/05 को खारिज किये जाने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कोटा में अपील सं० 31/05 प्रस्तुत की गई जिसे मान० न्यायालय द्वारा दिनांक 13/06/05 को अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई तत्पश्चात डा० करण सिंह द्वारा मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा सं० 206/5 को विद्वां करने के कारण मान० न्यायालय द्वारा मूल वाद को दि० 30.6.05 को खारिज कर दिया गया डा० करण सिंह द्वारा पुनः माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर में निलंबन के विरुद्ध दायर रिट याचिका सं० एस०वी०सिविल रिट पिटिशन 4657/05 पर मान० उच्च

946
22-K105

न्यायालय द्वारा दि० 3/8/05 द्वारा वि० वि० को निर्देशित किया गया कि डा० सिंह के प्रकरण में एक माह की निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। इस क्रम में वि० वि० द्वारा प्र० एल० एस० राठौर को विभागीय जाँच अधिकारी नियुक्त कर आगामी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। निर्णय के भाग "ब" के क्रम में अन्य शोध कार्यों की जाँच हेतु नियुक्त जाँच समिति में प्र० एल० एन० गुप्ता द्वारा उठाये गये प्रश्नों का अवलोकन किया एवं इस कारण जाँच कार्य प्रारंभ नहीं हो सकने के क्रम में निर्णय लिया कि जाँच समिति में प्र० एल० एन० गुप्ता के स्थान पर प्र० बी० एन० कौल, पुर्व कुलपति इग्नो को समिति में सम्मिलित कर जाँच कार्य प्रारंभ करवाया जाये अन्य सदस्य प्र० बी० एम० शर्मा की नियुक्ति को यथावत रखा गया। प्रबंध मंडल द्वारा शेष अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

63/5 राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा वि० वि० के प्रबंध मंडल में नवीन सदस्यों की सूचना।
प्रबंध मण्डल राज्यपाल महोदय द्वारा जारी पत्रों का अवलोकन किया गया।

63/6 वित्त समिति एवं आयोजना मंडल में नवीन सदस्यों की नियुक्ति संबंधि प्रस्ताव।
प्रबंध मंडल द्वारा वित्त समिति में डा० डी० सी० पंत को प्रबंध मंडल का सदस्य मनोनीत किया गया व अन्य बोर्ड के मनोनीत सदस्य की नियुक्ति हेतु कार्यकाल की समाप्ति पर कुलपति महोदय को नियुक्ति करने हेतु अधिकृत किया गया।

आयोजना मंडल में प्रबंध मंडल के मनोनीत सदस्य के रूप में डा० टी० यु० फूलजले को मनोनीत किया गया।

63/7 डा० करण सिंह के शोध प्रोजेक्ट की जाँच के क्रम में गठित विभागीय जाँच समिति की अनुशंसाएँ एवं इस क्रम में वि० वि० सेवा नियम 0.61 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय द्वारा डा० करण सिंह के शोध कार्यों के क्रम में प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन एवं वि० वि० द्वारा डा० करण सिंह को दिये गये आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र तथा सिनोपसिस एवं थिसीस का अवलोकन करवाया गया। प्रबन्ध मण्डल की 62 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्र० ए.एस. नारंग एवं प्र० उदय जैन द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट, डा० कर्ण सिंह द्वारा उनके निलम्बन के विरुद्ध स्थानीय न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तुत वाद/ अपील एवं सिविल रिट याचिका में पारित निर्णयों तथा मा० उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 3.8.2005 की पालना में विश्वविद्यालय की समस्त कार्यवाही का गंभीरता एवं विस्तार से अवलोकन किया। उसके आधार पर डा० कर्ण सिंह को दिया गया आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तथा डा० कर्ण सिंह को दिये गये आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र के उत्तर का पूरी तरह से अध्ययन कर विचार विमर्श किया। प्रबन्ध मण्डल ने जाँच अधिकारी प्र० एल.एस. राठौर द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट में बिन्दुवार अध्ययन- मनन किया। डा० कर्ण सिंह द्वारा जाँच रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके द्वारा दिये गये दोनों पत्रों का भी पूर्ण रूपेण गहराई से अध्ययन करने के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

1. प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों ने यह माना कि सम्पूर्ण जाँच के दौरान डॉ० कर्ण सिंह ने किसी भी स्तर पर उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार नहीं किया है इस प्रकार एक शिक्षक एवं शोध पर्यवेक्षक के रूप में इस प्रकार की गंभीर अनियमितता को उन्होंने बढ़ावा दिया है जो शिक्षा जगत के लिये एवं शिक्षकों की प्रतिष्ठा पर आघात है। शोध कार्य ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है किन्तु डॉ० कर्ण सिंह के निर्देशन में किये गये शोध कार्यों की इसी प्रकार से परम्परा बनी रही तो यह पूरी शिक्षण व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायेगी।
2. प्रबन्ध मण्डल ने यह भी पाया कि डॉ० कर्ण सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विरुद्ध कोई तथ्यात्मक प्रमाण तो प्रस्तुत नहीं कर सके किन्तु विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक प्राधिकारी (कुलपति) के अधिकारों को चुनौती देते हुये डॉ० कर्ण सिंह द्वारा अपने पत्रों में जिस भाषा में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है वह भाषा शिक्षक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
3. सभी उपस्थित सदस्यों ने डॉ० कर्ण सिंह के शोध पर्यवेक्षक के रूप में किये गये कार्य एवं पत्र व्यवहार की शैली के अनुसार उन्हें दुराचरण (Misconduct) का दोषी माना। विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अन्तर्गत यह प्रकरण निसंदेह वृहत शास्ति (Major Penalty) से दंडित किये जाने का प्रकरण है और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हों इसलिये प्रबन्ध मण्डल ने डॉ० कर्ण सिंह को दुराचरण (Misconduct) के लिए तथा विश्वविद्यालय के हित में (Good Cause) में तुरन्त प्रभाव से विश्वविद्यालय सेवा नियम की धारा 0.61 में वर्णित वृहत शास्तियों के तहत विश्वविद्यालय की सेवा से हटाये जाने (Removal) का निर्णय लिया गया तथा विश्वविद्यालय को डॉ० कर्ण सिंह को सेवा से हटाये जाने का आदेश तत्काल जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

63/8 डा० करण सिंह के शोध कार्यों की विभागीय जाँच हेतु प्रो० एल०एस० राठौर को दिये गये मानदेय संबन्धी निर्णय अनुमोदनार्थ।

प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

63/9 विश्वविद्यालय अधिनियम में इंदिरा गाँधी मुक्त वि०वि० की भौति अन्यशैक्षिक स्टाफ के प्रावधान के संबन्ध में अधिनियम में संशोधन संबन्धी प्रस्ताव।
प्रबंध मंडल द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु प्रो० एम० के० घडोलिया एवं डा० आर० सी० मीणा की सदस्यता में समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया उक्त समिति अपनी रिपोर्ट / अनुशांसा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगी।

63/10 राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा वि० वि० पर लगाये गये आर्थिक दंड की वसूली बाबत प्रकरण निर्णयार्थ ।

इस संबध में प्रबंध मंडल द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिये गये निर्णय की पालना हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति गठन का निर्णय लिया गया। समिति में श्रीमति. संध्या शर्मा, कोषाधिकारी, कोटा को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया एवं समिति की अनुशंसाओं को निर्णय हेतु प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्णय किया गया।

63/11 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने संबन्धी नियमों में नवीन नियम जोड़े जाने बाबत प्रस्ताव ।

प्रबंध मंडल द्वारा नवीन नियम जोड़े जाने का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया कि यह सुविधा उन कर्मचारियों को ही देय होगी जिन्होंने वि०वि० में न्यूनतम पाँच वर्ष की स्थाई सेवा पूर्ण कर ली हो ।

63/12 स्टेनोग्राफर के पद समाप्त किये जाने बाबत राज्य सरकार का निर्णय सूचनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा की गई कार्यवाही का नोट किया गया ।

63/13 परीक्षा नियंत्रक पद पर की गई व्यवस्था सूचनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा निर्देशित किया गया किराजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संबध में स्थानीय समाचार पत्रों में आ रही खबरों के कारण वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद पर अस्थाई व्यवस्था के स्थान पर नियमित चयन किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया एवं राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाय एवं वर्तमान आदेशों में उल्लेखित छ माह की अवधि के स्थान पर नियमित चयन की व्यवस्था होने तक या नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा तक बढ़ा दिया जायें।

63/14 दूरस्थ शिक्ष परिषद के अनुदान उपयोग हेतु गठित समिति के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये ।

कुलसचिव

o/c एवं सचिव प्रबंध मंडल

127

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबंध मंडल की 64 वीं बैठक दिनांक 15/2/06 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15/02/06 को प्रातः 1130 बजे प्रबंध मंडल की 64 वीं बैठक का आयोजन माननीय कुलपति महोदय डा० आर०वी०व्यास की अध्यक्षता में की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- | | |
|---|---|
| 1. डा०आर०वी०व्यास
कुलपति, वमखुविवि, कोटा । | अध्यक्ष |
| 2. डा०डी०सी० पंत
गुडगाँव । | सदस्य |
| 3. डा०टी०यु०फूलजले
ईदिरा गौधी रा०मु०वि०वि० । | सदस्य |
| 4. प्रो० एम०के०घडोलिया
आचार्य, अर्थशास्त्र,
मान०एवं सामा०विद्यापीठ
व०म०खु०वि०वि०, कोटा । | सदस्य |
| 5. डा० आर०सी०मीणा
निदेशक, क्षे०के०
वमखुविवि, कोटा । | सदस्य |
| 6. श्री जी०आर०कुमावत | प्रतिनिधि:-प्रमुख शासन
सचिव, वित्त विभाग । |
| 7. श्री सौवर मल वर्मा
कुलसचिव, वमखुविवि, कोटा । | सचिव |
| 8. श्री मुंशी राम
वित्त अधिकारी, वमखुविवि, कोटा । | विशेष आमंत्रित |

अनुभाग (वित्त) (सि.पी. प्रकोष्ठ)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

005

आवश्यक गणापूर्ति उपरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक का विधिवत प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग के प्रतिनिधी श्री जी०आर०कुमावत, वित्त अधिकारी, कोटा विश्वविद्यालय का परिचय प्रबंध मंडल के सदस्यों से करवाया, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधी संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के अन्य आवश्यक बैठक में व्यस्त होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकने की सूचना से भी प्रबंध मंडल के सदस्यों को अवगत करवाया गया ।

कुलपति महादेय द्वारा प्रारंभिक चर्चा करते हुए प्रबंध मंडल को अवगत करवाया कि गत बैठक से इस बैठक की अवधि में विश्वविद्यालय के सभी कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण हुए हैं । कुलपति महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा 22 एवं 23 मार्च-2006 को जयपुर स्थित हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में 06 सत्रीय राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में देश के समस्त खुला विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित प्रबुद्ध शिक्षाविदों को भी आमंत्रित किया गया है। कुलपति महोदय ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए प्रसन्ता हो रही है कि उक्त सेमीनार का उदघाटन विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं राज्य की माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा किये जाने की सहमति प्रदान कर दी गई है। सेमीनार पर होने वाले व्ययों की जानकारी देते हुए बताया गया कि सेमीनार पर कुल संभावित व्यय 7- 8 लाख रुपये होगा । जिसमें से एक लाख बीस हजार रुपये दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनअसाईड ग्रांट में से, व्यय किये जावेंगे तथा एक हजार डालर कनाडा की कामनवेलथ आफ लर्निंग संस्थान द्वारा दिये जाने की सहमति प्रदान की गई है। इसके अलावा सेमीनार पर होने वाली शेष राशि का व्यय विश्वविद्यालय के स्वयं के आय के स्रोतों से किया जावेगा। कुलपति महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि हमारे विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान है इसलिये हमारी योजना है कि प्रदेश के सभी हिस्सों में विश्वविद्यालय के कुछ कार्यक्रम आयोजित होने चाहिये जिससे कि प्रदेश में विश्वविद्यालय की पहचान बनाये रखने में सुविधा हो सके। पूर्व में आयोजित सेमीनार विश्वविद्यालय के मुख्यालय कोटा पर आयोजित की गई थी । अब 2006 की सेमीनार प्रदेश की राजधानी जयपुर में आयोजित की जा रही है क्यों कि जयपुर यातायात की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक रहता है ।

कुलपति महोदय ने यह बताया कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में हमारी वार्षिक आय 391 लाख थी किंतु हमने वर्ष 2005-06 के वित्तीय वर्ष में आय का लक्ष्य 380 लाख रखा था क्यों कि 391 लाख रुपये की आय यथार्थ में एक वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय नहीं थी, वरन इसमें पिछले वर्षों की बकाया राशि की वसूली भी सम्मिलित थी। कुलपति महोदय ने इस बात पर प्रसन्ता जाहिर की कि चालू वित्तीय वर्ष में 380 लाख की आय के लक्ष्य के विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 400 लाख रुपये की आय अर्जित कर ली गई है तथा वित्त वर्ष की समाप्ति तक 450 लाख रुपये की आय अर्जित किये जाने का अनुमान है ।

कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल के सदस्यों को जानकारी दी गई कि माह दिम्बर 2005 की बी०एड० पाठ्यक्रम की परीक्षा में भीलवाड़ा परीक्षा केन्द्र पर सहायक कुलसचिव परीक्षा के फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर 40-50 छात्रों द्वारा परीक्षा दिये जाने का तथ्य जानकारी में आने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सहायक कुलसचिव परीक्षा को भीलवाड़ा भिजवाया गया तथा बी०एड० परीक्षा में फर्जी तरीके से प्रवेश होने की कार्यवाही रोकी गई इसके अलावा इस संबंध में परीक्षा कन्द्राधीक्षक भीलवाड़ा के द्वारा पुलिस थाना रिाटी कतवाली भीलवाड़ा में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई ।

128

प्राथमिकी रिपोर्ट के अनुसंधान के दौरान पुलिस के समक्ष यह तथ्य आने पर कि उक्त कार्यवाही में विश्वविद्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक श्री निर्मल सिंह नेगी भी शामिल हो सकते हैं, को गिरफ्तार किये जाने व पुलिस अभिरक्षा तथा न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने की सूचना संबंधित निदेशक क्षेत्रकेन्द्र एवं पुलिस थाने से प्राप्त होने पर एक अन्य प्रकरण में पूर्व से ही निलंबित चल रहे कनिष्ठ लिपिक श्री निर्मल सिंह नेगी को 48 घंटे से अधिक अवधि में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के कारण राजस्थान सेवा नियम खंड-II के परिशिष्ट-1 के II में वर्णित सहपठित वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1958 के नियम 13(2) में दिये गये प्रावधानों की पालना में विश्वविद्यालय सेवा नियम 0.60 (1) (b) में वर्णित प्रावधानों के तहत इस प्रकरण में भी निलंबित किया जा चुका है। प्रबंध मंडल के सदस्य डा० डी०सी०पंत द्वारा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आंतरिक जाँच संबंधी कार्यवाही भी किये जाने का सुझाव प्रस्तुत किया। प्रबंध मंडल के सभी सदस्यों ने सुझाव से सहमति प्रकट की। इसी क्रम में कुलपति महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा बी०एड० संबंधी प्रकरण की जाँच करवाने हेतु एक आंतरिक जाँच समिति का भी गठन किया गया है जो कि पिछले दो वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई चार बी०एड० की परीक्षाओं की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जाँच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा समस्त प्रकरण पर गहनता से विचार विमर्शोपरांत प्रबंध मंडल द्वारा यह भी निर्णय किया कि परीक्षा के लिये प्रश्न पत्रों की व्यवस्था इंदिरा गाँधी रा०मु०वि०की परिपाटी के अनुसार कर ली जाय इंदिरा गाँधी रा०मु० वि० में प्रश्न पत्रों का एक Emergency पैकेट तैयार कर निदेशक क्षेत्रकेन्द्र के पास सुरक्षित रखवा दिया जाता है तथा आवश्यकता होने पर परीक्षा केन्द्राधीक्षक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय से कम से कम 12 घंटे पूर्व संपर्क कर आवश्यक मात्रा में प्रश्न पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

परीक्षा समाप्ति के बाद निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र उन प्रश्न पत्रों को विद्यार्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु क्षेत्रकार्यालय के पुस्तकालय में रख लेंगे। यह भी निर्णय किया गया कि यदि आवश्यक हो तो उक्त प्रक्रिया हेतु कार्यालय आदेश भी जारी कर दिये जावें।

प्रबंध मंडल की 63 वीं बैठक में प्रारंभिक चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव के प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त महोदय कोटा द्वारा एड्युसैट के संबन्ध में जानकारी चाही गई थी इस संबन्ध में हुई प्रगति के बारे में चर्चा करते हुए कुलपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि एड्युसैट की स्थापना हेतु इसरो से प्राफार्मा इनवाइस प्राप्त की गई है जिसकी राशि भिजवाई जा रही है तथा एड्युसैट संचालन हेतु स्टाफ की व्यवस्था के संबन्ध में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से कंसल्टंटरी सेवाएँ प्राप्त करने के संबन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति की 33वीं बैठक दिनांक 14/2/06 में अनुमोदित किया गया है अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।

डा० डी०सी० पंत का सुझाव था कि विश्वविद्यालय की वैधानिक समितियों की बैठकों के आयोजन हेतु एक कलेंडर तैयार किया जाय ताकि बैठक में सभी सदस्यों की सहभागिता में सुविधा हो सके, माननीय कुलपति महोदय द्वारा डा० पंत के सुझाव को स्वीकार करते हुए इस संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

इसके पश्चात् बैठक हेतु निर्धारित प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

लेट

64/01

प्रबंध मंडल की 63 वीं बैठक दिनांक 22/10/05 का कार्यवाही विवरण एवं निर्णयों क्रम में की गई अनुपालना अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ ।

सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए निर्णय संख्या 63/9 के संबंध में गठित समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम में निदेशक क्षेत्रकेन्द्र एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को अन्य शैक्षिक स्टाफ में माने जाने के संबंध में नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने की नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे।

64/02

वित्त समिति की 33 वीं बैठक दिनांक 14/2/06 का कार्यवाही विवरण एवं उक्त कार्यवाही विवरण के प्रमुख निर्णयों से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन के आधार पर निम्न प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय किये गये

- i) सी0ए0 द्वारा तैयार वर्ष 2004-05 की अवधि के वार्षिक लेखे एवं बैलेंसशीट अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबंध मंडल द्वारा वर्ष 2004-05 के वार्षिक लेखों एवं आडिट रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं इस संबंध में वित्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।

- ii) दिनांक 1/1/2004 के पश्चात् नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित नवीन पेंशन योजना लागू किये जाने संबंधी प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल में प्रस्तुत नवीन पेंशन नियम जो कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/1/04 के पश्चात् नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों हेतु लागू की गई है उक्त नियमों एवं इन नियमों पर आधारित विश्वविद्यालय के नियमों का अवलोकन कर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये नियमों को विश्वविद्यालय में दिनांक 1/1/04 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों हेतु लागू किये जाने का निर्णय करते हुए प्रबंध मंडल में प्रस्तुत इस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया कि यदि राज्य सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना के नियमों में कोई संशोधन अथवा बदलाव किया जाता है तो इस प्रकार के संशोधन/बदलाव विश्वविद्यालय में स्वतः लागू माने जावेंगे।

लेट

अनुशासक (प्रबंध मंडल)

- iii) विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ताओं/पैनल लायर्स को खर्च बतौर दी जाने वाली राशि संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं इस संबंध में वित्त समिति की अनुशंसाओं का अवलोकन करते हुए वित्त समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया ।

64/03

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशकों को देय वाहन भत्ता के भुगतान के संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा लगाये गये आक्षेप के संबंध में प्रस्ताव निर्णयार्थ ।

प्रबंध मंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं इस संबंध में अब तक विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का अध्ययन कर प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श कर निर्णय किया गया कि क्षेत्रीय निदेशकों को प्रदान किया जा रहा वाहन भत्ता प्रबंध मंडल द्वारा उनके कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकताओं को मद्देनजर ही स्वीकृत किया गया था, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को उनके अधीन मुख्यालय पर कार्यरत अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु समय समय पर अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यक रूप से जाना पड़ता है । निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों के पदीय उत्तरदायित्वों के तहत उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले अध्ययन केन्द्रों का निरीक्षण तथा कार्यक्षेत्र में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं कार्यालयों से संपर्क कर विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करना है । निदेशक क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के फील्ड आफिसर हैं, जब भी वे क्षेत्रीय केन्द्रों के हैडक्वार्टर से बाहर जाते हैं तो उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होता है, किंतु क्षेत्रीय के मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों पर जाने हेतु यह भत्ता देय है यदि उन्हें उक्त भत्ता बंद कर नियमानुसार स्थानीय यात्रा हेतु वाहन भाड़ा भी दिया जाता है तो वह भी 300/- प्रति माह से अधिक होगा । इंदिरा गाँधी रा0मु0वि0 में निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय की ओर से स्टाफ कार उपलब्ध करवाई जाती है, परंतु हमारे विश्वविद्यालय के पास वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण क्षेत्रीय निदेशकगणों को स्टाफ कार के स्थान पर 300/- रू0 एक मुश्त वाहन भत्ता प्रति माह विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रारंभ से ही दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में यदि वाहन भत्ता बंद कर दिया जाता है तो इससे विश्वविद्यालय का कार्यबाधित होगा और इसके स्थान पर शहर में स्थानीय यात्रा हेतु भाड़ा स्वीकृत किये जाने से व्यय भी अधिक होगा, अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रबंध मंडल द्वारा क्षेत्रीय निदेशकगणों को दिये जा रहे वाहन भत्ते को जारी रखे जाने का निर्णय किया गया तथा अंकेक्षण आक्षेप की टिप्पणी को निरस्त कस्वाने हेतु पुनः प्रयास किये जाने हेतु कहा गया ।।

अतः प्रबंध मंडल की राय में अंकेक्षण आक्षेप की टिप्पणी को निरस्त करवाने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर पुनः प्रयास किये जावें ।

७५०

64/04

विश्वविद्यालय सेवा संबंधी नियमों में राज्य सरकार के पितृत्व अवकाश संबंधी नियमों को प्रतिस्थापित करने संबंधी अधिसूचना अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा राज्य सरकार के पितृत्व अवकाश स्वीकृति के नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना का अनुमोदन किया गया ।

64/05

विश्वविद्यालय सेवा नियमों में अर्द्धवैतनिक अवकाश को चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर रूपांतरित करने के संबंध में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही करने संबंधी प्रस्ताव ।

प्रबंध मंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर निर्णय किया गया कि चूंकि विश्वविद्यालय कार्मिकों को देय विभिन्न अवकाशों की संख्या एवं उनकी स्वीकृति आदि की प्रक्रिया राज्य सरकार के निमानुसार ही है, अतः अर्द्धवैतनिक अवकाश को चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर रूपांतरित करवाने संबंधी नियम भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही लागू किये जावे इसके अतिरिक्त जिन चिकित्सालयों को विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा पुर्नभरण हेतु अनुमोदित किया गया है उन्हीं चिकित्सालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र (बाह्य रोगियों हेतु अधिकतम पन्द्रह दिवस) भी अर्द्धवैतनिक अवकाश को रूपांतरित करवाने हेतु मान्य होंगे। इस आशय का प्रावधान सेवा नियमों में जोड़े जाने की सहमति दी गई ।

अनुभाग
उच्च शिक्षा
विश्वविद्यालय

64/06

डा0 एम0 एल0 गुप्ता सेवानिवृत्त सह आचार्य का पेंशन प्रकरण के संबंध में प्रस्ताव ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को आडिट में वर्णित संपूर्ण तथ्यों के संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंध मंडल को अवगत करवाया कि वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक की अवधि का महालेखाकार कार्यालय द्वारा किये गये अंकक्षण प्रतिवेदन में डा0 एम0एल0गुप्ता सह आचार्य को प्रदान की गई वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं सी0ए0एस0 के तहत प्रदान की गई पदोन्नति को इस आधार पर अनियमित बताया गया है कि डा0 एम0एल0गुप्ता की नियुक्ति (दिनांक 5/1/81 से 22/6/86) राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टापगेप अरेजमेंट के तहत कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी न कि चयन समिति द्वारा जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय के सी0ए0एस0 के नियमों के तहत उस टेंपरेरी/एडहोक सेवा की गणना ही सी0ए0एस0 हेतु की जा सकती है जो सेवा वैधानिक चयन समिति द्वारा चयन किये जाने के पश्चात की गई हो । अंकक्षण दल द्वारा बनाये गये पैरा के अनुसार विश्वविद्यालय ने डा0 गुप्ता द्वारा दिनांक 5/1/81 से 22/6/86 की सेवा अवधि की गणना करते हुए कमशः 1/8/88 एवं 5/1/94 को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं सी0ए0एस0 का लाभ प्रदान कर दिया गया जबकि यु0जी0सी0 द्वारा जारी परिपत्र डा0 गुप्ता को यह परि लाभ 22/6/91 एवं 22/6/99 से देय थे

७६

इस आधार पर अंकेक्षण दल द्वारा आडिट पैरा में डा0 गुप्ता को उक्त दिवस से पूर्व किये गये अधिक भुगतान (70857/-)की वसूली हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया है। कुलपति महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि डा0 गुप्ता को प्रबंध मंडल की नौवीं बैठक के निर्णय संख्या 08 के अनुसार पूर्व में की गई सेवाओं के आधार पर त्रुटीवश प्रदान की गई चार वार्षिक वेतन वृद्धियों बाबत जारी किये गये आदेश को निरस्त कर दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ ही दिये जाने के संबंध में डा0 गुप्ता द्वारा माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क.ख. एवं न्यायिक मजि0, कोटा, दक्षिण में एक वाद दायर किया जिसमें दिनांक 7/2/97 को विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्णय हुआ इसके पश्चात डा0 गुप्ता ने अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-3, कोटा में अपील दायर की जिस पर मा0 न्यायालय ने दिनांक 7/8/97 को अपील का निस्तारण कर दिया गया तदुपरान्त विश्वविद्यालय की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में IInd अपील सं0 429/97 दायर की गई। उक्त अपील में दिनांक 27/7/04 को विश्वविद्यालय को निर्देशित करते हुए डा0 गुप्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए कार्यवाही करने की विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता दी जिसकी अनुपालना में डा0 गुप्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 996 दिनांक 2/12/04 जारी कर पूर्व में जारी किया गया कार्यालय आदेश क्रमांक 14518 दिनांक 26/3/96 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ दिये जाने के निर्णय को यथावत रखा गया।

प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री जी0आर0कुमावत ने डा0 एम0एल0गुप्ता को सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी पेंशन, उपादान, ग्रेच्युटी आदि नहीं दिये जाने को राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध बताते हुए डा0 गुप्ता के पेंशन प्रकरण का निस्तारण अविलंब किये जाने हेतु कहा।

इस पर माननीय कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि डा0 एम0एल0गुप्ता को सी0ए0एस0 के तहत प्रदान की गई वरिष्ठ वेतन श्रृंखला एवं पदोन्नति के क्रम में अंकेक्षण आक्षेप के अंतिम निर्णयाधीन रहते हुए प्रोविजनल पेंशन, ग्रेच्युटी व उपादान संबंधी आदेश माह दिसंबर 2004 में ही जारी कर दिये गये हैं।

कुलपति महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि डा0 एम0एल0गुप्ता द्वारा पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में भी वाद दायर किया हुआ है अतः डा0 गुप्ता के प्रकरण पर शीघ्रता से निर्णय किये जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल से निवेदन किया गया। प्रकरण पर गहनता से विचार विमर्श के पश्चात प्रबंध मंडल के सदस्यों की उक्त प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सर्वसम्मति से राय नहीं बन सकी कुछ सदस्यों ने आडिट पैरा को उचित बताते हुए आक्षेप के अनुसार रिकवरी की कार्यवाही की जावे जबकि कुछ सदस्यों के विचार थे कि इस पूरे प्रकरण में डा0 गुप्ता किसी प्रकार से दोषी नहीं हैं क्योंकि सी0ए0एस0 का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है इसलिये अंकेक्षण आक्षेप में वर्णित राशि की वसूली किये जाने से पूर्व एक समिति गठित की जावे जिसके द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किया जावे इस पर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर अंतिम निर्णय करने से पूर्व निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया जावे:-

७९६

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री जी० आर० कुमावत
(प्रति० प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर ।) | संयोजक |
| 2. डा० आर० सी० मीणा
निदेशक, क्षेत्र के०
वमखुवि, कोटा । | सदस्य |
| 3. वित्त अधिकारी
वमखुवि, कोटा । | सदस्य सचिव |

उक्त समिति पूर्ण प्रकरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के संदर्भ में लगाये गये आडिट आक्षेप एवं उस पर की जाने वाली कार्यवाही के संबन्ध में अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिवस में कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी ।

डा० एस० एन० अंबेडकर, क्षेत्रीय निदेशक के चयन के संबन्ध में प्राप्त शिकायत की जाँच के उपरान्त निष्कर्ष के आधार पर प्रस्ताव ।

अनुभागाधिकारी (मिजी प्रकोष्ठ)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने हेतु समिति सदस्यों यह राय प्रकट की कि चूंकि डा० अंबेडकर को नियोक्त विश्वविद्यालय स्कीनिंग समिति द्वारा समीक्षा किये जाने के बाद ही हुई है जिसमें डा० अंबेडकर का कोई दोष नहीं है ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पर निर्णय करने से पूर्व कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि समस्त प्रकरण एवं प्रस्तुत प्रस्ताव के संबन्ध में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता से इस संबन्ध में राय प्राप्त कर ली जावे एवं प्राप्त राय के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे ।

श्री श्याम सिंह, च०श्रे० कर्मचारी के सेवा में आये व्यवधान को नियमित करने बाबत प्रस्ताव ।

श्री श्याम सिंह की सेवा में आये व्यवधान को उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में (बिना किसी वित्तीय लाभ के) नियमित किये जाने संबन्धी आदेशों का अनुमोदन करते हुए उक्त अवधि का विशेष अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान लागू करने बाबत प्रस्ताव आदेशार्थ ।

प्रबंध मंडल की 58वीं बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नियम जो कि राज्य सरकार के नियमों पर ही आधारित है को राज्य के अन्य

*११

विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले विश्वविद्यालय के अशैक्षिक कर्मचारियों हेतु लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया तथा शैक्षणिक कर्मचारियों हेतु इग्नो के संबंधित नियमों का अध्ययन कर उसके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रबंध मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया ।

64/10

विश्वविद्यालय अधिनियम के विद्या परिषद गठन संबंधी प्रावधान के तहत विषय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव ।


विश्वविद्यालय अधिनियम के 8(1)E के अनुसार विषय समितियों के गठन एवं उनके कार्य के निर्धारण हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करते हुए निर्णय किया गया स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की विषय समितियों का कार्यकाल दो वर्ष एवं स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रमों की विषय समितियों का कार्यकाल तीन वर्ष रखा जावे ।

64/11

विद्या परिषद के गठन संबंधी अधिनियम प्रावधान में निदेशक क्षेत्रीय सेवा को विद्या परिषद का सदस्य बनाये जाने हेतु अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय किया गया कि निदेशक क्षेत्रीय सेवा के साथ साथ पुस्तकालयाध्यक्ष को भी विद्या परिषद का सदस्य बनाये जाने के संबंध में अधिनियम संशोधन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जावे तथा परीक्षा नियंत्रक को विद्या परिषद की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में बैठकों में आमंत्रित किया जावे, अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रक्रिया के पूर्ण होने तक निदेशक क्षेत्रीय सेवा व पुस्तकालयाध्यक्ष को भी विद्या परिषद की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जावे ।

बैठक आसन के प्रति धन्यवाद के साथ समाप्त हुई ।



कुलसचिव एवं
सचिव प्रबंध मंडल

श्री धारा 8(1)E के अन्तर्गत
विश्वविद्यालय
गठन

136

**VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY,
KOTA**

Minutes of the 33rd meeting of the Finance Committee held on 14th February, 2006 at 11.30 a.m. at Vice-Chancellor's meeting hall, Vardhaman Mahaveer Open University, Rawatbhata Road, Kota.

The following members were present in the meeting:-

1. Dr. R.V. Vyas,
Vice-Chancellor,
V.M.O.U., Kota
Chairman
2. Dr. D.C. Pant,
A-II/45, Regency Park-I,
D.L.F. Kutub Enclave, Phase-IV,
Gurgaon - 1220022
Member
3. Sh. J.M. Vyas,
A-19, Lalkothi Scheme,
Near Vidhan Sabha Bhawan,
Jaipur
Member
4. Dr. R.C. Meena,
Director,
Regional Centre, VMOU,
Kota
Member
5. Sh. S.M. Verma,
Registrar, VMOU,
Kota
Spl. Invitee
6. Smt. Sandhya Sharma
Treasury Officer,
Kota
Representative of FS
6. Sh. Munshi Ram
Finance Officer, VMOU,
Kota
Ex-Officio-Secy.

date and hopefully it will go up to Rs. 450.00 lacs by the end of financial year. All members of the committee appreciated University's efforts in increasing the revenue during the year.

The regular agenda items were taken up for discussion and following decisions were arrived at:

Item No.: 33/1 : To confirm the minutes of the 32nd meeting of the Finance Committee held on 30th May, 2005.

The committee confirmed the minutes of the Finance Committee meeting held on 30th May, 2005.

Item No.: 33/2 : To peruse and confirm the action taken reports of the 31st & 32nd meeting of the Finance Committee held on 27.12.04 and 30.5.2005.

अनुभाग अधिकारी (सिजी प्रकोष्ठ)
वृहत्साल महाविद्यालय

The committee noted the action taken by the university.

Item No.: 33/3 : To consider and peruse the proposal for re-appropriation under the Non-Plan budget and University Own Sources for the year 2005-06.

The members of the committee perused the proposed re-appropriation for the current financial year. After through discussion it was suggested that budget should be realistic alongwith justification note for specific budget provisions whenever deviations are noticed. It was also suggested that minor heads indicated in budget should be clubbed under major head eg. contingency etc.

Item No.: 33/4 : To peruse and note the Grant received for the year 2005-06 from D.E.C.

Perused and considered by the committee.

Item No.: 33/5 :

To peruse and approve the Annual Accounts and Balance Sheet for the year 2004-05.

The committee perused the Annual Accounts and Balance Sheet for the year 2004-05 as prepared by M/s B. Vishal & Co., Chartered Accountant, Kota. After a through discussion on the various points the committee approved and adopted the Balance Sheet. While discussing the Balance Sheet it was suggested that the Audit fee should be bifurcated under head "Remuneration of Audit Charges" as per scheduled-6 of company act 1956. The committee felt that the auditors may be advised to refrain from sermonizing in the Audit Report. Committee also observed that as far as possible audit report should be free grammatical errors

Item No.: 33/6 :

To peruse and consider the legal expenses to be paid to the Advocate/Panel Lawyers of high court and lower courts.

The committee resolved to approve the rates of the State Govt. in force from time to time fee for copy committee also resolved that if any thing is not covered under Govt. rules university may make the payment on actual charges basis.

Item No.: 33/7 :

To peruse and approve the new contributory pension scheme to university employees appointed in the university on or after 1.1.2004 as per Govt. of Rajasthan notification No. F.13(1)FD/Rules/2003 dated 27.3.2004.

The committee resolved to approve and implementation rules of "New Contributory Pension Scheme" as have been finalized and communicated vide memorandum No. F.13(1)FD/Rules/2003 dated 27.3.2004.

Item No. : 33/8

To report the following items with regard to Staff Welfare Fund as recommended by SWF Committee.

The Finance Committee approved -

- (i) Amendments in Staff Welfare Rules and recommended the same to the Board of Management.
- (ii) Committee noted the transfer of Rs. 3,52,800/- to SWF A/c from General Fund due on a/c of Tour Subsidy paid to university employees for the year 2002-03 as approved by the then Vice-Chancellor.
- (i) The committee perused and approved the amendments in rules of SWF as proposed by the SWF committee with prior permission of the Hon'ble Vice-Chancellor.
- (ii) Considered and approved.

Item No. : 33/9

To report the action taken by the Vice-Chancellor as contained in the office-order No. F.2/VMOU/G.Ad./05/4406 dated 6.7.2005 on regard to payment of Security Guards.

The action taken was confirmed by the committee, as it is only a one time expense and just and payment had been made for one month. Finance Committee was also informed that such security guards have been charged by the security agency.

Table Agenda

Item No. : 33/10(i)

To consider the enhancement of Ph.D. fee and remuneration charges for examiners and experts relating to the research work.

Minutes of the committee constituted by the Vice-Chancellor for fee for Ph.D. Students and remuneration for examiners and experts relating to research work was approved by the Finance Committee.

Item No. 33/10(ii) :

To peruse and consider the proposal for EDUSAT terminal to be installed at 27 centres and remuneration @ Rs. 5000/- (Rupees Five Thousand Only) per month per person per centre.

The matter was discussed at length and it was decided that the university may request the Institutional consultancy from IGNOU for the purpose, in the first instance.

Item No.: 33/10(iii) :

To peruse and consider the proposal for remuneration to part time staff engaged at information centres.

The proposal was considered and approved by the committee.

Meeting ended with a vote of thanks to the chair.



Finance Officer

&

Ex-Officio-Secy., FC

प्रबंध मंडल की 65 वीं बैठक दिनांक 6 जून 2006 को प्रातः 10.30 विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :-

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | डा0 आर0 वी0 व्यास
कुलपति,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा । | अध्यक्ष |
| 2. | डा0 बी0 एल0 जाटावत
उपसचिव
उच्च शिक्षा विभाग, राज0 सरकार । | प्रतिनिधी
प्रमुख शासन सचिव, उ0 शि0 |
| 3. | डा0 डी0 सी0 पंत
ए-II/45 रेजेन्सी पार्क, फेज-4,
गुडगाँव (हरियाणा) । | सदस्य |
| 4. | डा0 टी0 यु0 फूलजले
क्षे0 सेवाएँ विभाग
इंदिरा गाँधी रा0 मु0 वि0 वि0 नई दिल्ली । | सदस्य |
| 5. | प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया
आचार्य
मानविकी एवं सामा0 विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला वि0 वि0, कोटा । | सदस्य |
| 6. | डा0 एस0 एन0 अंबेडकर
निदेशक, क्षे0 के0,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
अजमेर । | सदस्य |
| 7. | श्री मुंशी राम
वित्त अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा । | विशेष आमंत्रित |
| 8. | श्री एस0 एम0 वर्मा
कुलसचिव
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा । | सचिव |

प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, रास्थान सरकार एवं प्रो0 एस0 सी0 गगर्ग समकुलपति, इंदिरा गाँधी रा0 मु0 वि0 वि0 की सहभागिता अपरिहार्य कारणों से संभव नहीं हो सकी ।

आवश्यक गणापूर्ति के उपरॉत अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम डा0 आर0 सी0 मीणा का प्रबंध मंडल की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त होने की सूचना से प्रबंध मंडल को अवगत करवाते हुए उनके द्वारा किये गये योगदान हेतु आभार प्रकट किया तथा डा0 मीणा के स्थान पर मनोनीत नवीन सदस्य डा0 एस0 एन0 अंबेडकर निदेशक क्षे0 के0, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का परिचय अन्य

सदस्यों से करवाते हुए डा0 अंबेडकर एवं डा0 बी0एल0जाटावत,उप सचिव,उच्च शिक्षा विभाग (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग)का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया गया ।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध मंडल के सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में प्रति वर्ष औसतन 2000 छात्रों की वृद्धि हो रही है, फलतः विश्वविद्यालय की आय में भी उतरोत्तर वृद्धि हो रही है।माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिये आय के लक्ष्य 380 लाख के विरुद्ध 467 लाख की आय वित्तीय वर्ष 2005-06 में अर्जित हुई है,जो कि लक्ष्य से 87 लाख रुपये अधिक एवं वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्राप्त आय 391 लाख से लगभग 76 लाख रुपये अधिक है। कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की पाठ्यसामग्री को देश के अन्य खुले विश्वविद्यालयों यथा नालंदा खुला विश्वविद्यालय (बिहार), राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश), एवं पं0 सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय (छत्तीसगढ़), द्वारा क्य की गई है।

कुलपति महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों सामान्य रूप व उचित तरीके से चल रही है।इसके उपरॉत कार्यवाही विवरण में प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

65/01 प्रबंध मंडल की 64 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं लिये गये निर्णयों के क्रम में अनुपालना प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा पुर्व बैठक के अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर इस संबध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया ।

65/02 वित्त समिति की 34वीं बैठक दिनांक 5/6/06 का कार्यवाही विवरण एवं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वर्ष 2006-07 के बजट का अनुमोदन ।

वित्त समिति की 34 वीं बैठक दिनांक 5/6/06 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन करते हुए बैठक के दौरान वित्त समिति की अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत किये गये वर्ष 2006-07 के बजट तथा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।

65/03 श्री जे0 एम0 व्यास को वित्त समिति में मनोनीत किये जाने का निर्णय सूचनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा श्री जे0एम0 व्यास को वित्त समिति में प्रबंध मंडल के मनानीत सदस्य के रूप में सदस्य बनाये जाने निर्णय का अनुमोदन किया ।

65/04 सेवा निवृत्त प्राध्यापकों की 65 वर्ष की आयु सीमा तक संविदा के आधार पर परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ ।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध मंडल द्वारा गहनता से विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के सफल संचालन हेतु उक्त रिक्तियों को भरा जाना आवश्यक है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति दिनांक 20/11/05 के तहत रखे जाने वाले 20 परामर्शदाताओं के संबध में बी0एड0 के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 63 वर्ष की उम्र तक नियुक्त करने के संबध में

विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 1090 दि० 22/5/06 का अनुमोदन करते हुए बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु सेवानिवृत्त शिक्षकों को एकमुश्त अनुबंध राशि 9000/- पर लगाये जाने की स्वीकृति दी गई ,तथा अन्य विषयों के परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु संपूर्ण तथ्यों का हवाला देते हुए एजेंसी के स्थान पर सेवानिवृत्त प्रोफेशनल्स को अनुबंध पर रखे जाने एवं 63 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष अधिकतम आयु किये जाने की अनुमति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों एवं प्रबंध मंडल के निर्णय का उल्लेख करते हुए तथा प्रबंध मंडल की अनुशंसा के साथ पुनः विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया ।

65/05

विद्या परिषद की 27 वीं बैठक दिनांक 29/5/06 में पारित दीक्षा कार्यक्रम एवं इस क्रम में आयोजित आगामी दीक्षा कार्यक्रम के संबंध में सूचना ।

दीक्षान्त समारोह माह सितंबर अथवा अक्टूबर में आयोजित किये जाने संबंधी विद्या परिषद के निर्णय पर चर्चा करते हुए करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल को अवगत करवाया कि मुख्य अतिथि पद हेतु भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय अथवा महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को कुलाधिपति महोदय की ओर से आमंत्रित करवाये जाने का निर्णय विद्या परिषद द्वारा किया गया है, तथा साथ ही यह भी निर्णय किया गया है कि यदि किसी कारणवश उक्त दोनों महानुभावों की उपस्थिति संभव नहीं हो सके तो कुलपति महोदय को महामहिम राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति महोदय से विचार विमर्श कर इस संबंध में निर्णय करने हेतु अधिकृत किया गया ।

प्रबंध मंडल के माननीय सदस्य डा० डी०सी०पंत द्वारा सुझाव दिया गया चूंकि दीक्षांत समारोह माह सितंबर/ अक्टूबर में आयोजित किया जाना है अतः कार्यसूची विवरण में उल्लेखित विवरण में दिसंबर-2005 तक के छात्रों को उपाधि दिये जाने के स्थान पर माह जून-2006 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी उक्त प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में उपाधि का वितरण करवा दिया जावे तो उचित रहेगा। इस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि उक्त सुझाव पर गंभीरता से विचार कर ,संभव हुआ तो माह जून-06 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को भी प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान कर दी जावेगी। कुलपति महोदय के उक्त कथन के बाद प्रस्तावानुसार अवधि के छात्रों हेतु दीक्षांत समारोह आयोजित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई ।

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के संबंध में विद्या परिषद द्वारा किये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया ।

दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाने वाली मानद उपाधि हेतु विद्या परिषद द्वारा सुझाये गये निम्नलिखित तीन नामों पर विचार किया गया:-

1. सर जॉन डेनियल
2. प्रो० वी०एस० प्रसाद
3. प्रो० वी०आर० मेहता

विचार विमर्श के उपरांत दीक्षांत समारोह में डी०लि० की मानद उपाधि के लिये सर जॉन डेनियल के नाम को अनुमोदित करते हुए निर्णय किया कि यदि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं राज्य की महामहिम राज्यपाल महोदय उक्त नाम के अलावा किसी अन्य शिक्षाविद् को मानद उपाधि प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव करें तो माननीय कुलपति महोदय को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है ।

65/06

क्वालिटी ऐशयोरेंस प्रकोष्ठ के गठन संबंधी कार्यवाही सूचनार्थ एवं प्रकोष्ठ की स्थापना एवं उसके कार्यप्रणाली के संदर्भ में प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल को बताया गया कि क्वालिटी ऐशयोरेंस प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है किंतु इसके कुछ कार्य एवं विश्वविद्यालय में पुर्व से ही कार्यरत स्टाफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन डिस्टेंस ऐजुकेशन के कार्यों से मिलते जुलते होने के कारण इस संबंध में नवीन प्रस्ताव प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा ।

प्रबंध मंडल के सदस्य डा0 डी0सी0पंत का सुझाव था कि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में स्टाफ हेतु सहायक कुलसचिव आदि पदों की माँग की गई है, इनके स्थान पर उक्त क्वालिटी ऐशयोरेंस प्रकोष्ठ में कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं **Multi-skilled worker** का पदस्थापन किया जाना चाहिये। सहायक कुलसचिव के स्थान पर शैक्षिक संवर्ग सहायक निदेशक रखा जाना उचित होगा। इसके उपर्रांत आवश्यक संशोधन के उपर्रांत उक्त प्रस्ताव को प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु वापिस लिया गया ।

65/07

पेपर कार्ड शीट डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर खरीदने के संबंध में मुद्रण सलाहकार समिति का निर्णय अनुमोदनार्थ ।

उक्त बिंदु पर वित्त समिति की 34वीं बैठक में निर्णय किये जाने के कारण प्रबंध मंडल प्रस्तुत प्रस्ताव पर अलग से चर्चा कर निर्णय करने के स्थान पर वित्त समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय किया गया ।

65/08

मुद्रण कार्य हेतु अनुबंधित फर्मों की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी निर्णय सूचनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु ।

वित्त समिति की 34 वीं बैठक में इस पर विचार कर लिया गया है इसलिये प्रबंध मंडल को अलग से कोई विचार नहीं करना है ।

65/09

विश्वविद्यालय में स्वीकृत अनुभागधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में मामला प्रबंध मंडल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 एवं 1995-95 की बी0एफ0सी0की बैठक में स्वीकृत सहायक लेखाधिकारी के दो पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के निर्णय के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1997-98 में विश्वविद्यालय में कार्यरत लेखाकारों की पदोन्नति से भरे जाने के कारण प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले सहायक लेखाधिकारी के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया जावे तथा वर्तमान में कार्यरत लेखाकारों की पदोन्नति भी भविष्य में सहायक लेखाधिकारी के पदों पर ही की जावे। प्रबंध मंडल की 38 वीं बैठक के निर्णय सं0 38/17 के संबंध निर्णय किया गया कि भविष्य में अनुभागधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालय सहायक एवं स्टेनो ग्रेड प्रथम(पी0ए0) को ही अनुभागधिकारी पद पर पदोन्नति के योग्य माना जावे लेखा संवर्ग के कार्मिकों को अनुभागधिकारी के पदों पर पदोन्नत नहीं किये जाने का निर्णय करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से जब तक सहायक लेखाधिकारी के पदों को

पदोन्नति से भरे जाने की कार्येत्तर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब तक अनुभागधिकारी पद की पदोन्नति संबधी कार्यवाही नहीं की जावे।

65/10

डा0 एम0 एल0 गुप्ता सेवानिवृत सह आचार्य के आडिट आक्षेप संबधी प्रकरण में गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

उक्त प्रस्ताव के संबध में माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध मंडल के सदस्यों को अवगत करवाया कि 64 वीं बैठक में लिये गये निर्णय सं0 64/06 की पालना में समिति का गठन कर प्रबंध मंडल के निर्णयानुसार समिति को पंद्रह दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु उक्त समिति द्वारा निर्धारित अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई एवं ना ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने की मांग की गई। अतः कमेटी की रिपोर्ट विलंब से प्राप्त होने का कारण स्वीकार्य नहीं है। माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि गठित की गई कमेटी में तीन सदस्य थे जिसमें संयोजक श्री जी0आर0कुमावत, वित्त अधिकारी कोटा विश्वविद्यालय, एवं सदस्य सचिव श्री मुंशी राम, वित्त अधिकारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जबकि समिति के अन्य सदस्य डा0 आर0सी0मीणा द्वारा दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने व दोनों रिपोर्ट विरोधाभासी होने के कारण स्वीकार्य नहीं होना माना जा सकता है। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि डा0 एम0एल0गुप्ता द्वारा पेंशन प्रकरण एवं आडिट आक्षेप के संबध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट सं0 424/05 दायर की हुई है जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त याचिका में वर्णित तथ्यों को भी समिति द्वारा नजरदांज किया गया है। चूंकि डा0 गुप्ता द्वारा ए0जी0द्वारा बनाये गये आक्षेप की वैधता को ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय में डा0 गुप्ता द्वारा की गई याचिका के संबध में अंतिम निर्णय होने तक कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है ।

प्रबंध मंडल ने संपूर्ण प्रकरण पर गहनता से विचार विमर्शोपरंतु निर्णय किया कि डा0 गुप्ता द्वारा पेंशन प्रकरण एवं ए0जी0 आक्षेप के संबध में मान0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 424/05 दायर की हुई है, परंतु उक्त याचिका में विश्वविद्यालय के विरुद्ध किसी प्रकार का स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है, साथ ही डा0 गुप्ता दिनांक 31/8/04 को विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत हो गये है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र के आधार पर जिस दिनांक से डा0 एम0एल0गुप्ता की सेवा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में निविवादित है तब से डा0 गुप्ता की सेवा के वर्षों के आधार पर उन्हें शतप्रतिशत पेंशन संबधी समस्त परिलाभों का भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जावे। उसमें से ए0जी0आक्षेप में उल्लेखित राशि को रोका जाकर इस राशि को विश्वविद्यालय के सामान्य कोष में जमा रखा जावे उक्त राशि के संबध में निर्णय दायर याचिका के संबध में अंतिम निर्णय होने के बाद मान0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किया जावे ।

65/11

डा0 आर0 के0 जैन, सहा0 आचार्य, प्रबंध की नियम विरुद्ध नियुक्ति के संबध में लेखा परीक्षा दल द्वारा लगाये गये आक्षेप के क्रम में तैयार प्रतिवेदन अवलोकन एवं निर्णयार्थ ।

प्रबंध मंडल में प्रस्ताव पर चर्चा करते प्रबंध मंडल को बताया गया कि कुलपति महोदय द्वारा गठित तीन सदस्य समिति की अनुशंसाओं को प्रबंध मंडल की 61वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया प्रबंध मंडल के निर्णयानुसार समिति की अनुशंसाओं को

निदेशालय निरीक्षण विभाग को दि० 1/6/05 को वित्त विभाग की ओर से प्रेषित किया गया, इस क्रम में निदेशालय निरीक्षण विभाग द्वारा पत्र क्रमंक 8886 दि० 6/8/05 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमंक 14/11/02 के संबंध में विश्वविद्यालय के निर्णय से अवगत होना चाहा है। इस पर प्रबंध मंडल द्वारा यह निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 14/11/02 के पत्र में वर्ष 2002 में निर्धारित योग्यता के आधार पर डा० जैन की योग्यता का परीक्षण किया गया है, इतः कोई भी निर्णय करने से पूर्व डा० आर०के० जैन की नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता की जानकारी किया जाना आवश्यक है अतः प्रबंध मंडल द्वारा यह निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से डा० जैन की नियुक्ति के समय प्रबंध विषय के व्याख्याता पद की योग्यता मंगवाई जावे इसके पश्चात् पूर्व गठित समिति (जिसका प्रतिवेदन प्रबंध मंडल की 61वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया है) को ही प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी कार्यवाही के संबंध में सुझाव सहित एक माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे तथा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के अंकेक्षण पैरा का जवाब प्रेषित किये जाने की कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय किया गया ।

65/12

विश्वविद्यालय में शिक्षकों हेतु यू०जी०सी० या इग्नो के अवकाश नियम लागू करने के क्रम में प्रस्ताव निर्णयार्थ ।

उक्त प्रस्ताव के क्रम में प्रबंध मंडल के सदस्यों को अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों हेतु निर्धारित अवकाश नियम इस विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु लिखा जा रहा है, इस क्रम में प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं इंदिरा गाँधी रा०मु०वि०वि० के अवकाश नियमों का अवलोकन कर निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु वि०वि०अनु० आयोग के लागू किये जा सकने वाले अवकाश नियम लागू कर दिये जावें ।

65/13

प्रबंध मंडल के निर्णय सं० 63/10 के क्रम में गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ ।

राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा विश्वविद्यालय पर आरोपित शास्त्रि की राशि को संबंधित अधिकारी से वसूलने के क्रम में प्रबंध मंडल की 63 वीं बैठक के निर्णय सं० 63/10 के क्रम में गठित समिति के प्रतिवेदन का प्रबंध मंडल के सदस्यों द्वारा अवलोकन करने के उपरान्त समिति के सुझाव के क्रम में निर्णय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय अधिकृत किया गया ।

65/14

कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की पूर्ति हेतु चैनल्स के निर्धारण संबंधी आदेश सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबंध मंडल द्वारा कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के संबंध में जारी किये गये आदेश क्रमंक 4164 दि० 29/6/05 एवं 5315 दि० 18/7/05 एवं विभिन्न

ए०सी०आर०प्रपत्रों का अवलोकन कर ए०सी०आर० भरने हेतु चैनल्स निर्धारित करने के संबंध में जारी किये गये दोनों आदेशों का अनुमोदन किया गया ।

65/15

क्षेत्रीय केन्द्रों पर माह मई एवं जून में कार्यालय समय परिवर्तन कर प्रातः कालीन समय किये जाने के संबध में प्रस्ताव निर्णयार्थ ।

उक्त प्रस्ताव के संबध में सदस्यों का मत था कि यदि क्षेत्रीय केन्द्र कार्यालयों व मुख्यालय का समय अलग अलग रखा गया तो क्षेत्रीय केन्द्रों एवं मुख्यालय के मध्य समन्वयता में कठिनाई के साथ साथ छात्रों को भी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। चूंकि राज्य सरकार के विभागों में भी कार्यालय समय प्रातः 10 से साँय 05बजे तक ही रहता है,ऐसी स्थिति में छात्रों के हितो को मद्देनज़र रखते हुए तथा समस्त कार्यालयों में समन्वयता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि भविष्य में माह मई एवं जून में विश्वविद्यालयके मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का समय परिवर्तन नहीं किया जाकर पूरे वर्ष एक ही समय प्रातः 10.00 बजे से साँय 5.00बजे तक ही रखा जावे।

65/16

श्री निर्मल सिंह नेगी क०लि० के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत् पुर्व बैठक के निर्णय के क्रम में की गई कार्यवाही सूचनार्थ ।

उक्त प्रस्ताव के क्रम में प्रबंध मंडल द्वारा जॉच अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डा० डी०सी०पंत का कहना था कि जॉच अधिकारी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह पर्याप्त नहीं है,क्योंकि भीलवाड़ा परीक्षा केन्द्र पर फर्जी आधार पर बी०ए० परीक्षा में प्रविष्ट हुए परीक्षार्थियों के संबध में जो घटना घटी है तथा इस संबध में थाने में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसमें विश्वविद्यालय के एक कार्मिक श्री निर्मल सिंह नेगी को सह अभियुक्त के रूप में नामजद किया गया है,उक्त सारे घटना क्रम की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जावे जिसमें घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के बयान आदि के आधार पर प्रकरण में श्री नेगी की संलिप्तता के संबध में पृथक से रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे ।

उपरोक्त निर्णयापरांत आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त किये जाने की घोषणा की गई ।

कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबंध मंडल।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,के प्रबंध मंडल की 66वीं बैठक दिनांक 8/12/06 को
क्षेत्र 0 के 0 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,जयपुर पर माननीय कुलपति प्रो० नरेश दाधीच की
अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री अतुल कुमार गर्ग सदस्य
प्रमुख शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार
जयपुर।
2. प्रो० एस०सी०गर्ग सदस्य
समकुलपति
इंदिरा गॉंधी रा०मु० विश्वविद्यालय
नई दिल्ली।
3. प्रो०एम०के०घड़ोलिया सदस्य
आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।
4. डा०एस०एन०अंबेडकर सदस्य
निदेशक,क्षेत्र 0 के 0
व०म०खु०वि०वि०,अजमेर।
5. श्री एस०एम०वर्मा सचिव
कुलसचिव
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।
6. श्री मुंशी राम विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग,डा०डी०सी०पंत एवं डा० टी०यु०फुलजले की सहभागिता
अपरिहार्य कारणों से संभव नहीं हो सका।आवश्यक गणापूर्ति के पश्चात औपचारिक रूप से
बैठक प्रारंभ करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध मंडल के सभी सदस्यों का बैठक में
स्वागत करते हुए अवगत कराया कि उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर दिनांक
11/10/06 को ही कार्यभार ग्रहण किया है दो माह की अवधि में विश्वविद्यालय की विभिन्न
वैधानिक समितियों की बैठकें आयोजित करवाने के साथ साथ यह प्रयास किया जा रहा है कि
खुला विश्वविद्यालय किस प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो इस सम्बन्ध में
आयोजना मंडल,विद्या परिषद ,वित्त समिति की बैठकें आयोजित की गई है जिनके कार्यवाही
विवरण माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ बैठक में प्रस्तुत किये जाएंगे।

माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि उनके द्वारा विश्वविद्यालय का वर्ष
2010 का विज्ञान डोक्युमेंट तैयार करवाने की कार्यवाही की जाएगी साथ ही इस विश्वविद्यालय
को आउट सोर्सिंग के माध्यम से ज्ञान आधारित विश्वविद्यालय बनाया जाने के प्रयास भी किये
जाएंगे साथ ही कई तरह के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के साथ साथ

“Gandhian Nonviolent Conflict Resolution” पर एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया जा रहा है, इसी तरह विश्वविद्यालय को राज्य सरकार एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त होने वाले अनुदान / सहायता राशि का शत प्रतिशत उपयोग किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ क्षेत्र 0 के जयपुर को प्रथम चरण में कंप्यूटराइज किये जाने की कार्ययोजना है, तथा जयपुर स्थित क्षेत्र 0 के का पुनरुद्धार किये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है, द्वितीय चरण में शेष क्षेत्र 0 केन्द्रों के संरचनात्मक ढांचे में भी सुधार के साथ साथ कंप्यूटराइज किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर के भूतल पर बने हॉल व कमरों को पुनरुद्धार करने हेतु 40.00 लाख रुपये तथा मुख्यालय स्थित कुलपति सचिवालय में कान्फ्रेंस हॉल व अन्य पुनरुद्धार कार्यों में 06.00 लाख रुपये व्यय किये जाने के प्रस्ताव को आयोजना मंडल की सातवीं बैठक तथा वित्त समिति की 35वीं की बैठक में अनुमोदित किया गया है।

प्रबंध मंडल के सदस्यों ने भी माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

इसके उपरांत कार्यसूचि विवरण के विभिन्न बिंदुओं पर बिदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

66/01 प्रबंध मंडल की 65वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

66/02 प्रबंध मंडल की 65वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

प्रबंध मंडल के सदस्यों द्वारा 65वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना पर विचार कर निम्न निर्णय लिये गये:-

65/4 प्रमुख शासन सचिव महोदय उच्च शिक्षा द्वारा अवगत कराया कि सेवानिवृत्त प्राध्यापक को 65 वर्ष की उम्र तक परामर्शदाता के पद पर रखे जाने हेतु निर्णय कर लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा पत्र भिजवाया जा रहा है। उक्त बिंदु पर चर्चा करते हुए प्रो० एस०सी०गर्ग ने अवगत कराया कि इंदिरा रा०मु०वि०वि० में 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को आगामी तीन वर्षों अर्थात् 65 वर्ष की आयु तक परामर्शदाता के रूप में पुनर्नियोजन पर रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में इग्नो से पत्राचार कर पुनर्नियोजन की शर्तें मंगवाया जाने का निर्णय किया गया।

निर्णय संख्या 65/09 के तहत विश्वविद्यालय में स्वीकृत अनुभागधिकारी के पद पर मंत्रालयिक संवर्ग से पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में भिजवाये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा तर्कसंगत औचित्य के साथ पुनः विस्तृत प्रस्ताव भिजवाने हेतु कहा गया उक्त बिंदु पर चर्चा के दौरान यह भी बात उभर कर सामने आई कि विश्वविद्यालय में पंजीकृत छात्र संख्या की दृष्टि से स्टाफ की आवश्यकता के सम्बन्ध में आंकलन किये जाने हेतु प्रो० एस०सी०गर्ग के संयोजकत्व में एक समिति का गठन किया जावे जिसमें शेष सदस्यों का मनोनयन माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया जावेगा, उक्त समिति अपनी रिपोर्ट आगामी बजट निर्णायक समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेगी। निर्णय संख्या 65/11 के क्रम में पुनः स्मरण पत्र प्रेषित करने का निर्णय किया गया। निर्णय संख्या 65/12 पर विचारविमर्शोपरांत निर्णय किया गया कि डा० डी० सी० पंत के संयोजकत्व में एक समिति गठित की जावे जिसमें शेष सदस्यों का मनोनयन किये जाने हेतु कुलपति महोदय का अधिकृत किया गया उक्त समिति इग्नो यु०जी०सी०, एवं विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित अवकाश नियमों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। निर्णय संख्या 65/16 के क्रम में प्रो० एस०सी०गर्ग ने दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को नियमानुसार अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने के

सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई जिस पर अवगत करवाया गया कि दिवंगत कर्मचारी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण में विधिक राय प्राप्त की जा रही है, प्राप्त राय के अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। इसके उपरान्त 65वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

66/03 दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा प्रेषित **Undertaking** अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सदस्यों द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा भिजवाई गई अंडरटेकिंग के प्रारूप का अवलोकन कर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन करते हुए यह निर्णय किया कि विश्वविद्यालय द्वारा नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाकर डेक को अवगत कराया जाय तथा प्रारंभ किये गये पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद से कोई सुझाव प्राप्त हो तो उस सुझाव को आगामी वर्ष के पाठ्यक्रमों में लागू किया जाये।

66/04 विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर नियुक्त परामर्शदाताओं के कार्यालय में कार्य करने के समय निर्धारण बाबत लिया गया निर्णय अनुमोदनार्थ।

उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक हेतु स्थागित किया जाकर नियुक्त किये जाने वाले परामर्शदाताओं को दिये जाने वाले मानदेय के पुर्ननिधारण हेतु प्रो० एस०सी०गर्ग के संयोजकत्व में एक समिति का गठन किया गया जिसमें शेष सदस्यों का मनोनयन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

66/05 दैनिक वेतनभोगी कनिष्ठ लिपिकों को प्रबंध मंडल के निर्णयानुसार दिये गये न्यूनतम वेतन भत्ते पर लगाये गये आडिट अंकेक्षण के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्ताव।

माननीय उच्च न्यायालय की द्विपीठ में दायर याचिका के निर्णय तक उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय को स्थगित रखते राज्यसरकार एवं महालेखाकार कार्यालय को उपरोक्तानुसार जवाब भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

66/06 विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर एडवांसमेंट योजना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

66/07 विश्वविद्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधित करने बाबत प्रस्ताव निर्णयार्थ।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रो० एस०सी०गर्ग ने अवगत कराया कि पॉचवे वेतन आयोग में तकनीकी पद यथा स्टेनो आदि पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित वेतन श्रृंखला की अगली स्टेज इग्नो में दी गई है अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टेनो के प्रकरण का परीक्षण भी इग्नो में प्रचलित नियमों के तहत करवाकर प्रकरण राज्य सरकार को पुनः भिजवाया जावे।

66/08 आयोजना मंडल की बैठक दिनांक 1/12/06, विद्या परिषद की बैठक दि० 4/12/06 एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 7/12/06 के दौरान लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित प्रस्ताव।

माननीय कुलपति महोदय ने दिनांक 1/12/06 को आयोजित आयोजना मंडल की सातवीं बैठक, 4/12/06 को आयोजित विद्या परिषद की 28वीं बैठक एवं दिनांक 7/12/06 को आयोजित वित्त समिति की 35वीं बैठक के कार्यवाही विवरण में लिये गये विभिन्न निर्णयों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यगणों को उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध करवाते हुए लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए सभी सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किये जिस पर प्रबंध मंडल ने आयोजना मंडल, विद्या परिषद एवं वित्त समिति के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्वति किये जाने हेतु सहमति जताई।

66/9(1) विश्वविद्यालय में गठित विद्यापीठ व्यवस्था को स्थगित कर निदेशक संकाय की व्यवस्था लागू करने बाबत प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विद्या परिषद के निर्णय एवं समस्त विद्यापीठों के निदेशकगणों की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचारोविमर्शों परांत यह निर्णय किया गया कि प्रस्तावानुसार चारों विद्यापीठ की व्यवस्था को प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिये स्थगित रखा जावे तथा एक वर्ष पश्चात उक्त व्यवस्था पर पुनः विचार विमर्श कर निर्णय किया जाय।

66/9(2) विभिन्न न्यायालयों में दायर प्रकरणों में विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी करने हेतु निर्धारित पैनल में नवीन एडवोकेट्स के नाम सम्मिलित करने बाबत किये गये निर्णय का अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल के समक्ष एडवोकेट्स के पैनल में नवीन नाम जोड़े जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने उपरांत प्रबंध मंडल ने विश्वविद्यालय द्वारा नवनियुक्त निम्नलिखित पैनल एडवोकेट्स के नामों को माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर, जयपुर एवं जिला सत्र न्यायालय जयपुर में विश्वविद्यालय की ओर से पैरवी किये जाने हेतु अनुमोदित किया :-

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर:-

1. श्री एम0 आर0 सिंधवी।
2. श्री कमल कुमार जाशी।
3. श्री कमल किशोर दवे।
4. श्री संदीप शाह।
5. श्री कैलाशनाथ जोशी।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर:-

1. श्री रमेश चन्द्र जोशी
2. श्री पी0वी0कल्ला
3. श्री मनोज कुमार शर्मा
4. श्रीमति श्रुति दीक्षित

जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर :-

1. श्री राकेश शर्मा

66/9(3)संविदा के आधार पर परामर्शदाताओं के पद पर की गई नियुक्तियों के अनुमोदन बाबत् प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्त प्रोफेशनल्स को संविदा पर रखने हेतु जारी की गई विज्ञप्ति सं० एफ/2/ वीएमओयु / स्थापना/पर्रा०/टी०/06/3164 दिनांक 2/12/06 के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा समिति द्वारा की गई समीक्षा के बाद अनुषंसा के आधार पर निम्न सेवानिवृत्त प्रोफेसरर्स :-

1. प्रो० आई पी०मोदी	होटल प्रबन्ध में डिप्लोमा
2. प्रो० अरुण चर्तुवेदी	सामाजिक विज्ञान
3. डा० पुरसोत्तम आसोपा	हिन्दी
4. प्रो० पी०सी०माथुर	लोक प्रशासन
5. प्रो० कल्याण सिंह शेखावत	राजस्थानी भाषा

को उनके नाम के आगे अंकित विषयों में परामर्शदाता रखे जाने सम्बन्धी कार्यवाही तथा उक्त परामर्शदाताओं को आवश्यकतानुसार क्षेत्रकेन्द्रों पर भी नियुक्त किये जा सकने की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल को यह भी अवगत करवाया कि उक्त परामर्शदाताओं में से प्रो० आई०पी०मोदी, प्रो०पी०सी०माथुर, प्रो० कल्याण सिंह शेखावत एवं डा०पुरसोत्तम आसोपा ने राज्य सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छुट नहीं बढ़ाये जाने तक अपनी सेवाएँ विश्वविद्यालय को निशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव किया है, कुलपति महोदय की उक्त जानकारी पर प्रबंध मंडल द्वारा उक्त शिक्षाविदों के प्रस्ताव की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विकास में उनका सकारात्मक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

66/9(4)विश्वविद्यालय में नये वाहन (कार)कय किये जाने बाबत् प्रस्ताव।

इस सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक के निर्णय सं० 35/05 का अनुमोदन किया गया।

66/9(5)प्रवेश आवेदन पत्र विक्रय हेतु हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सूचना केन्द्रों को मानदेय दिये जाने बाबत् प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के पश्चात् प्रबंध मंडल द्वारा यह निर्णय किया गया कि अध्ययन केन्द्र के कार्मिकों को देय पाँच रूपये प्रति प्रवेश आवेदन पत्र मानदेय की भाँति हाल में में स्थापित सूचना केन्द्र व अन्य शैक्षिक संस्थाएँ यथा विभिन्न कालेज एवं स्कूल व व्यक्ति (विश्वविद्यालय कार्मिकों के अतिरिक्त) जिनके द्वारा भी विश्वविद्यालय के प्रवेश आवेदन पत्र विक्रय का कार्य किया जावे उन्हें पाँच रूपये प्रति प्रवेश आवेदन पत्र मानदेय दिया जाय।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबंध मंडल

कार्यवाही विवरण
प्रबंध मंडल की 67 वीं बैठक दिनांक 24 अप्रैल-2007

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,के प्रबंध मंडल की 67वीं बैठक दिनांक 24/04/07 को क्षेत्र के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,जयपुर पर माननीय कुलपति प्रो० नरेश दाधीच की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

- | | |
|---|----------------|
| 1. श्री अतुल कुमार गर्ग
प्रमुख शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार
जयपुर। | सदस्य |
| 2. प्रो० एस०सी०गर्ग
समकुलपति
इंदिरा गाँधी रा०मु० विश्वविद्यालय
नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3. प्रो०एम०डी०अग्रवाल
आचार्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा। | सदस्य |
| 4. डा०एस०एन०अंबेडकर
निदेशक,क्षेत्र के
व०म०खु०वि०वि०,अजमेर। | सदस्य |
| 5. श्री एस०एम०वर्मा
कुलसचिव
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा। | सचिव |
| 6. श्री एन०एल०चांडक
वित्त अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा। | विशेष आमंत्रित |

प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, डा0डी0सी0पंत एवं डा0 टी0यु0फुलजले की सहभागिता अपरिहार्य कारणों से संभव नहीं हो सकी। आवश्यक गणापूर्ति के पश्चात औपचारिक रूप से बैठक प्रारंभ करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध मंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रो0 एम0के0घडोलिया का प्रबंध मंडल में दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने की जानकारी देते हुए उनके द्वारा प्रबंध मंडल में किये गये योगदान की सराहना करते हुए तथा प्रो0 घडोलिया के स्थान पर नव नियुक्त सदस्य प्रो0 एम0 डी0 अग्रवाल का स्वागत करते हुए सदस्यों से प्रो0 अग्रवाल का परिचय करवाते हुए प्रबंध मंडल की 66वीं बैठक के बाद से वर्तमान तक विश्वविद्यालय के कार्यों में हुई प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन किये जाने के साथ साथ माह जुलाई 2007 से प्रारंभ होने वाले प्रवेश सत्र से लगभग 40 नये पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं जिनमें कई विषयों में एम0 फिल व स्नातकोत्तर के साथ साथ विज्ञान विषय में स्नातक, कुक्कट पालन पाठ्यक्रम व जल संरक्षण प्रबंधन से सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के अध्यादेश भी तैयार किये जाकर विद्या परिषद की 29 वीं एवं 30 वीं बैठक में अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्तमान बैठक में उक्त समस्त अध्यादेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा नवीन पाठ्यक्रमों के प्रारंभ किये जाने हेतु तीन संस्थाओं क्रमशः राजस्थान मिशन आफ लीवलीहुड (जिसकी अध्यक्ष राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री महोदया हैं तथा उपाध्यक्ष राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव श्री एम0एल0मेहता हैं) एट योअर सर्विस (तक0 प्रबंध संस्थान) जयपुर तथा होटल एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान अमरावती से एम0ओ0यु0 किये जाने के प्रस्ताव को भी विद्या परिषद से अनुमोदित करवा लिया गया है। राजस्थान मिशन आफ लीवलीहुड संस्थान से दिनांक 22/4/07 को एम0ओ0यु0 किया गया है, तथा शेष दोनों संस्थानों से एम0ओ0यु0 का परीक्षण करने की कार्यवाही जारी है बाद परीक्षण उक्त दोनों संस्थानों से एम0ओ0यु0 पर हस्ताक्षर किये जावेंगे प्रबंध मंडल के सदस्य प्रो0 एस0सी0गर्ग द्वारा इस सम्बन्ध में सुझाव दिया कि होटल एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान अमरावती के स्थान पर राजस्थान स्थित किसी संस्थान अथवा सरकारी संस्थान से एम0ओ0 यु0 किया जावे तो उचित रहेगा।

माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2006-07 में निर्धारित 470.00 लाख की राजस्व आय लक्ष्यों के विरुद्ध 716.56 लाख की आय अर्जित की है, तथा भविष्य में भी विश्वविद्यालय राजस्व आय में वृद्धि के लिये सतत प्रयत्नशील रहेगा।

प्रबंध मंडल के सदस्यों की ओर से प्रो0 एस0सी0 गर्ग ने माननीय माननीय कुलपति महोदय द्वारा 6 माह की अल्पावधि में कम समय में अब तक किये गये प्रयासों की सराहना करते हुए प्रबंध मंडल की ओर से पूर्ण सहयोग दिये जाने हेतु आश्वस्त किया।

तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय की ओर से प्रबंध मंडल की बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार विमर्श प्रारंभ करवाने के सम्बन्ध में कुलसचिव को दिये गये निर्देशों के क्रम में कुलसचिव द्वारा सदन के पटल पर वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बैठक हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करने के बाद प्रबंध मंडल द्वारा निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

67/01 प्रबंध मंडल की 66 वी बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल द्वारा प्रबंध मंडल की 66वीं बैठक के संलग्न कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

67/02 प्रबंध मंडल की 66 वीं बैठक के निर्णयों के क्रम में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

प्रस्ताव के साथ संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

67/03 वित्त समिति की 36वीं बैठक दिनांक 23/4/07 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल द्वारा वित्त समिति की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के साथ साथ सदन के पटल पर रखे गये वर्ष 2006-07 के संशोधित बजट एवं वर्ष 2007-08 के बजट का वित्त समिति की अनुशंसाओं सहित अनुमोदन करते हुए वर्ष 2005-06 सी0ए0 द्वारा प्रस्तुत आडिट रिपोर्ट का अवलोकन कर उक्त रिपोर्ट को भी वित्त समिति की अनुशंसा सहित स्वीकार किया गया।

67/04 विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर एडवांसमेंट योजना हेतु

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रबंध मंडल की 66 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था, उक्त बैठक में प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे, प्रबंध मंडल के निर्णय की अनुपालना में प्रस्ताव पुनः अद्यतन कर अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।



67/05 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित विभिन्न पाठ्यक्रमों के आर्डिनैस अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा अब तक संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के आर्डिनैस तैयार नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसे ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद की 28 वीं बैठक में सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के आर्डिनैस बनाये जाने चाहिये जिनमें पाठ्यक्रम के प्रवेश एवं अन्य सम्बन्धित प्रक्रिया का उल्लेख हो विद्या परिषद के विचारों को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार किये गये अध्यादेश जो कि विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनांक 16/4/07 में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित अध्यादेश (बैठक के दौरान उपलब्ध करवाये जावेंगे) एवं विद्या परिषद की 29वीं बैठक में अनुमोदित बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं एम0फिल पाठ्यक्रमों के अध्यादेश संलग्न परिशिष्ट पर विश्वविद्यालय अधिनियम के चैप्टर VI के प्रावधान संख्या 02 :-

The first Ordinances of the University shall as soon as may be after the commencement of this Act, be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the State Government and may be amended (by adding, deleting or in any other manner) at any time by the Board of Management in such manner as may be prescribed by the Statutes.

के तहत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:-

मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न अध्यादेशों एवं बैठक के दौरान विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण के साथ प्रस्तुत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों का अवलोकन किया गया:-

11. स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अध्यादेश
12. वणिज्य में स्नातक डिग्री के पाठ्यक्रम का अध्यादेश
13. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम का अध्यादेश
14. पत्रकारिता में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम का अध्यादेश
15. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अध्यादेश।

समस्त अध्यादेशों के अवलोकन के बाद प्रो० एस०सी०गर्ग द्वारा उक्त अध्यादेशों के सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये जाने की आवश्यकता बताये जाने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि विद्या परिषद द्वारा पारित समस्त अध्यादेशों को परीक्षण किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया हुआ है, अतः समिति की



रिपोर्ट/अनुशंसा के बाद ही अध्यादेशों का प्रकाशन करवाया जावेगा, माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो० एस०सी०गर्ग से अनुरोध किया गया कि अध्यादेशों के सम्बन्ध में उनके जो भी सुझाव हो वे विश्वविद्यालय को भिजवाने का श्रम करें ताकि समिति द्वारा उक्त सुझावों को अपनी अभिशंसा में शामिल कर अध्यादेशों को अंतिम रूप दिया जा सके।

67/06 श्रीमति निलम सिंह स्टेनोग्राफर को शास्त्र के निर्धारण बाबत प्रस्ताव।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रकाश डालते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल की आगामी बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किये जाने का प्रस्ताव किया, जिसे कि प्रबंध मंडल ने स्वीकार करते हुए प्रस्ताव को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

67/07 विश्वविद्यालय कार्मिक स्वर्गीय श्री निर्मल सिंह नेगी की पत्नी का अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने बाबत प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्शोपरंत स्वर्गीय श्री निर्मल सिंह नेगी की पत्नी श्रीमति हरलीन कौर को राज्य सरकार के अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत कनि०लिपक के पर पर नियुक्ति दिये जाने का निर्णय करते हुए इस सम्बन्ध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

67/08 सेवा निवृत्ति उपरंत प्रो०एम०डी०अग्रवाल को पुनः नियोजित किये जाने बाबत प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय संकाय में वाणिज्य विषय में कार्यरत एक मात्र आचार्य प्रो० एम०डी० अग्रवाल दिनांक 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं ऐसी स्थिति में वाणिज्य से सम्बन्धित नवीन पाठ्यक्रम जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है एवं जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे हैं, उन्हें जारी रखने में कई प्रकार की कठिनाईयाँ आने का उल्लेख निदेशक संकाय द्वारा करते हुए प्रो० अग्रवाल को सेवानिवृत्ति उपरंत पुर्ननियोजन पर रखे जाने का प्रस्ताव किया है। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के साथ वर्ष 2000 में किये गये एम०ओ०यु० की शर्त संख्या 08 के अनुसार बिना राज्य सरकार की अनुमति के रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध है, ऐसी स्थिति में प्रो० एम०डी० अग्रवाल को सेवानिवृत्ति उपरंत पुर्ननियोजन किये जाने की अनुमति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को पत्र क्रमांक 5326 दि० 2/4/07 प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में निदेशक संकाय से प्राप्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

[Handwritten signature]

निर्णय:-

उक्त प्रस्ताव के क्रम में कुलसचिव द्वारा राज्य सरकार के प्राप्त पत्र क्रमोंक प(8)/1शि-4/2007 दिनोंक 21/4/07 को सदन के पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार के पत्र के निर्देशानुसार प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं किया गया।

67/09-1 विद्या परिषद की 29वीं बैठक दिनोंक 5 मार्च 2007, 30वीं बैठक दि० 16 अप्रैल 2007 एवं 31 वीं बैठक दिनोंक 19 अप्रैल 2007 के कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं 30 वीं बैठक द्वारा अनुमोदित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों को प्रबंध मंडल की वर्तमान बैठक के प्रस्ताव संख्या 67/05 की निरंतरता में अनुमादनार्थ।

निर्णय:-

विद्या परिषद की 29 एवं 30 वीं सामान्य बैठकों एवं 31वीं आपात बैठक में पारित किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों तथा विभिन्न संस्थाओं के साथ किये जाने वाले एम०ओ०यु० व विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना का अनुमोदन किया गया।

बैठक के दौरान प्रस्तुत विद्या परिषद की 29 एवं 30 वीं सामान्य बैठकों तथा 31वीं आपात बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।*

67/09-2 प्रबंध मंडल की 66 वीं बैठक के निर्णय संख्या 66/2 के क्रम में विश्वविद्यालय छात्र संख्या की दृष्टि से स्टाफिंग' पेटर्न के निर्धारण बाबत प्रो० एस०सी०गर्ग के संयोजकत्व मेगठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

निर्णय:-

प्रबंध मंडल द्वारा रिपोर्ट को अवलोकन कर निर्णय किया गया कि प्रवेश विभाग को स्वतंत्र ईकाई का दर्जा नहीं दिया जाकर निदेशक क्षे.सेवा. अथवा निदेशक संकाय का भाग बनाया जाना चाहिये, तथा स्टाफिंग पेटर्न के

* आदेश क्रमोंक 633-40 दि० 12 जून 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

1958

सम्बन्ध में इग्नो द्वारा वर्ष 1991 में जारी किये गये परिपत्र एवं कमेटी की अभिशंसाओं के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न का प्रस्तावित प्रारूप तथा प्रो० गर्ग समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को स्टाफ हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।

67/09-3 प्रबंध मंडल की 66 वीं बैठक के निर्णय संख्या 66/4 के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत परामर्शदाताओं के मानदेय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रो० एस०सी०गर्ग के संयोजकत्व में गठित समिति का प्रतिवेदन।

निर्णय:-

परामर्शदाताओं को दिये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध में गठित अनुशंसाओं को वित्त समिति की 36 वीं बैठक की अनुशंसा के क्रम में स्वीकार किया गया।


67/09-4 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी कार्मिक श्री बाल किशन के सम्बन्ध में निर्णयार्थ प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किया गया कि चूंकि वर्तमान में बागवान का कोई पद रिक्त नहीं है एवं माननीय राज० उच्च न्यायालय की एकल एवं द्विपीठ द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25 एफ की पालना नहीं किये के कारण कार्मिक श्री बाल किशन की सेवाएँ बहाल करने के निर्देश दिये गये थे। ऐसी स्थिति में उक्त धारा की पालना करते हुए श्रमिक श्री बालकिशन की छंटनी किये जाने का निर्णय करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

67/09-5 श्री मान प्रकाश शर्मा, कार्यालय सहायक के विरुद्ध प्रबंध मंडल द्वारा की गई शास्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनः विचारार्थ।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध मंडल द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद संपूर्ण प्रकरण पर कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

67/09-6 विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशकों को देय वाहन भत्ते पर आडिट आक्षेप के



कम में निर्णयार्थ प्रस्ताव।

वाहन भत्ते पर आडिट आक्षेप के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों को विस्तार से जानकारी दिये जाने के बाद प्रमुख शासन सचिव महोदय (उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा बताया गया कि वाहन भत्ता दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नये सिरे से पुर्ण औचित्य के साथ राज्य सरकार के पास पुनः प्रेषित किया जावे, इस पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किया गया कि उक्त सम्बन्ध में पुनः विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ राज्य सरकार को पुनः विचारार्थ भिजवाया जावे।

67/09-7 प्रत्येक वर्ष माह मई एवं जून में कार्यालय समय प्रातः कालीन (प्रातः 7.30 से 1.00 बजे तक) नहीं करने के प्रबंध मंडल की 65वीं बैठक के निर्णय के कम में विश्वविद्यालय कार्मिकों के समूह द्वारा उक्त निर्णय पर पुर्नविचार किये जाने का अनुरोध अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध मंडल द्वारा विचार विमर्श के बाद 65वीं बैठक में लिये गये निर्णय पर पुर्नविचार करते हुए यह निर्णय लिया कि माह मई एवं जून में विश्वविद्यालय के मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों का कार्यालय समय एक समान प्रातः 7.30 से 1.00 बजे तक रखा जावे, उक्त अवधि में पुर्व वर्षों की तरह भोजनावकाश एवं माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश देय नहीं होगा।


67/09-8 भरतपुर संभाग मुख्यालय पर विश्वविद्यालय का नवीन क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने बाबत् प्रस्ताव।

भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर खोले जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र राज्य के प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर स्थापित किये गये हैं चूंकि वर्तमान में भरतपुर को राज्य का सातवाँ संभागीय मुख्यालय बनाया गया है इस दृष्टि से वहाँ पर विश्वविद्यालय का सातवाँ क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने से उस क्षेत्र के छात्रों की संख्या में वृद्धि होना निश्चित है। माननीय कुलपति महोदय के वक्तव्य पर विचार विमर्श के बाद प्रबंध मंडल द्वारा भरतपुर में नया क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निर्णय किया कि नवीन क्षेत्रीय केन्द्र पर स्टाफ लगाये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जावें।



161-A

उक्त निर्णयों के उपरॉत आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।


कुलसचिव
सचिव, प्रबंध मंडल

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।

कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मंडल की 68वीं बैठक(आपात) दिनांक 29 मई, 2007

प्रबंध मंडल की 68 वीं बैठक(आपात) दिनांक 29 मई 2007 को विश्वविद्यालय के समिति कक्ष, कुलपति सचिवालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | प्रो० नरेश दाधीच
कुलपति,
वमखुविवि, कोटा । | अध्यक्ष |
| 2. | डा०डी०सी०पंत
गुड़गाँव । | सदस्य |
| 3. | डा० टी०यु०फूलझोले
क्षेत्रीय सेवा अनुभाग
इंदिरा गाँधी रा०मु०वि०वि०, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 4. | प्रो० एस०सी०गर्ग
आचार्य
स्कूल ऑफ साइंस
इंदिरा गाँधी रा० मु०वि०वि०, नई दिल्ली | सदस्य |
| 5. | डा० आर० वी० व्यास
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ
वमखुविवि, कोटा । | सदस्य |
| 6. | प्रो० पी०के०शर्मा
आचार्य, प्रबंध
वमखुविवि, कोटा । | सदस्य |
| 7. | डा० एस०एन०अंबेडकर
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र
वमखुविवि, अजमेर । | सदस्य |
| 8. | श्री साँवरमल वर्मा
कुलसचिव
वमखुविवि, कोटा । | सचिव |

Moh Doshi


आवश्यक गणापूर्ति के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा नवनियुक्त सदस्य डा० आर०वी०व्यास एवं प्रो० पी०के०शर्मा का सदस्यों से परिचय करवाते हुए प्रबंध मंडल में उनका स्वागत किया तथा पूर्व सदस्य प्रो० एम०डी०अग्रवाल विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण प्रबंध मंडल में उनका कार्यकाल पूर्ण होने की जानकारी प्रबंध मंडल को देते हुए प्रबंध मंडल की सदस्यता के अल्प कार्यकाल में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग की सराहना करते हुए विधिवत रूप से बैठक प्रारंभ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया।

कुलसचिव द्वारा आपात बैठक आयोजित किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए कार्यसूची में प्रस्तुत एक मात्र प्रस्ताव के क्रम में माननीय कुलपति महोदय से हिन्दी व अंग्रेजी विषय के सहायक आचार्य पद हेतु दिनांक 28 मई 2007 को आयोजित चयन समिति की बैठक की अनुशंसाएँ सदन के पटल पर रखने का अनुरोध किया।


माननीय कुलपति महोदय द्वारा हिन्दी विषय के सहायक आचार्य पद हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसाएँ सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई। प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्तुत अभिशंसाओं का अवलोकन कर चयन समिति की अभिशंसाओं का अनुमोदन करते हुए चयन समिति की अनुशंसाओं के अनुसार श्रीमति मीता शर्मा को सहायक आचार्य हिन्दी के पद पर नियुक्ति किये जाने व कुमारी अंशुल दाधीच को आरक्षित सूची में रखते हुए आगामी एक वर्ष की अवधि तक उक्त विषय में रिक्ति होने पर अंशुल दाधीच को नियुक्त किये जाने की अभिशंसा का अनुमोदन किया गया।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अंग्रेजी विषय के सहायक आचार्य पद हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसाएँ सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई। प्रबंध मंडल द्वारा प्रस्तुत अभिशंसाओं का अवलोकन कर चयन समिति की अभिशंसाओं का अनुमोदन करते हुए चयन समिति की अनुशंसाओं के अनुसार श्रीमती क्षमता चौधरी को सहायक आचार्य अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति किये जाने व कुमारी गरिमा जैन को आरक्षित सूची में रखते हुए आगामी एक वर्ष की अवधि तक उक्त विषय में रिक्ति होने पर गरिमा जैन को नियुक्त किये जाने की अभिशंसा का अनुमोदन किया गया।

अंत में आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।



(प्रो० नरेश दाधीच)


(डा० डी०सी०पंत)



(डा० टी०यु०फूलझोले)


(प्रो० एस०सी०गर्ग)


(डा०आर०वी०व्यास)


(प्रो०पी०के०शर्मा)


(डा० एस०एन०अंबेडकर)


(श्री साँवरमल वर्मा)